


2022

अप्रैल
संस्करण



अभ्यास
प्रश्नों
के साथ

यूपीएससी मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका



Download
Our App
Now!



मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका - अप्रैल 2022

यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 परीक्षा 5 जून 2022 को आयोजित की जाएगी, जबकि यूपीएससी मेन्स 2022 परीक्षा 16 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। जो लोग यूपीएससी सीएसई 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि करेंट अफेयर्स का एक गहन अध्ययन, समझ और संशोधन होना जरूरी है!

तैयारी को आसान बनाने के लिए, हम उम्मीदवारों के लिए मासिक करेंट अफेयर्स संकलन प्रदान कर रहे हैं। पत्रिका में व्यापक समाचार लेखों का विषय-वार वितरण शामिल है, जो पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आदि जैसे स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों पर चर्चा करने के लिए एक अलग खंड - 'संपादकीय विश्लेषण' जोड़ा गया है।

इस पत्रिका के अंत में करेंट अफेयर्स एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न भी उपलब्ध कराए गए हैं। करेंट अफेयर्स के अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, उम्मीदवारों को पत्रिका पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए।

"हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर है। कल की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित न करें, आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों और अपेक्षाओं के साथ करें।"

— कैथरीन पल्सीफेर

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन.....	8
• अपराधिक अभिनिर्धारण प्रक्रिया विधेयक 2022	8
• सीयूईटी 2022: UG प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा	8
• 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर डीपीआर.....	9
• ई-गोपाला पोर्टल.....	10
• गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)	11
• ग्राम न्यायालय ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008	12
• पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन	13
• जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन 2022.....	13
• भारतीय रेलवे की क्वच प्रणाली	14
• राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2030	15
• राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022	15
• मनरेगा पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट	16
• पीएमजी दिशा योजना	17
• डीडीयू-जीकेवाई की समीक्षा	17
• आरएसईटीआई (RSETI)	18
• समर्थ पहल	19
• स्त्री मनोरक्षा परियोजना	20
• तेजस स्किंलिंग प्रोजेक्ट	20
• यूडीआईएसई+ 2020-21 रिपोर्ट	21
अंतर्राष्ट्रीय संबंध.....	23
• 5वां बिस्सटेक शिखर सम्मेलन.....	23
• बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप दिया गया.....	23
• द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था	24
• भारत की आर्कटिक नीति	25
• व्यापार एवं निवेश पर भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय संवाद	26
• श्रीलंका में चीन के उद्यमों को भारतीय विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना.....	27
• इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट.....	27
• अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2022	28
• एनडीआरएफ ने यूक्रेन को राहत सामग्री भेजी	29
• रूस-यूक्रेन युद्ध के मध्य क्वाड शिखर सम्मेलन.....	29
• रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनजीए की बैठक.....	30
• रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संकल्प	31
• डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन.....	31
अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास	32
• "सागर परिक्रमा" कार्यक्रम.....	32
• खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन स्वीकृत	32

• उचित एवं लाभकारी मूल्य: महाराष्ट्र मुद्दे का समाधान.....	33
• कृषि में उर्वरक का उपयोग.....	34
• ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था.....	35
• ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) रिपोर्ट.....	36
• भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव.....	36
• मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स.....	37
• नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	38
• राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन.....	39
• राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित किया जाएगा.....	40
• नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया	40
• पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन अप्रैल-जून 2021.....	41
• आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त ऋण हेतु दिशा-निर्देश, 2022 जारी किए.....	42
• सागरमाला कार्यक्रम के सात वर्ष.....	44
• स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर तथा इनोवेशन पार्क.....	45
• फार्मास्युटिकल उद्योगों का सुदृढीकरण: मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए	45

सामाजिक समस्याएँ..... 47

• जेंडर संवाद.....	47
• अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस.....	48
• कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान.....	48
• मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में गिरावट.....	49
• लैंगिक भूमिकाओं पर प्यू स्टडी.....	49
• प्रवासियों एवं देश-प्रत्यावर्तितों के राहत तथा पुनर्वास हेतु प्रछत्र योजना.....	50

पर्यावरण और पारिस्थितिकी..... 52

• अमेज़ॉन वर्षावन अस्थिर बिंदु तक पहुंच रहे हैं.....	52
• कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियाँ.....	53
• जलवायु परिवर्तन 2022: आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट.....	53
• प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	55
• ग्रेट बैरियर रीफ में व्यापक पैमाने पर विरंजन.....	55
• सरिस्का व्याघ्र अभयारण्य में भीषण आग.....	56
• पारद पर मिनामाता अभिसमय.....	57
• सिम्बा: एशियाई सिंह की पहचान हेतु सॉफ्टवेयर.....	58
• सुंदरबन टाइगर रिजर्व: टाइगर्स रीचिंग कैरिंग कैपेसिटी	59
• संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022	59
• प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संकल्प अंगीकृत किया गया.....	60
• विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021.....	61

विज्ञान और प्रौद्योगिकी..... 63

• हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन.....	63
--	----

• आई-स्पिंट'21 एवं इनफिनिटी फोरम 2021 ग्लोबल फिनटेक	64
• सूर्य के ऊपर घटित होने वाले प्लाज्मा के जेट	65
• डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की सूची	66
• "परम गंगा" सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम)	76
• वेनेरा डी मिशन: रूस ने अमेरिकी भागीदारी को निलंबित किया	77
• वेब3 क्या है: भारत को वैश्विक वेब3 विकास केंद्र बनाना	77
• नासा - आर्टेमिस मिशन.....	79

आंतरिक सुरक्षा 80

• चेर्नोबिल आपदा: रूसी आक्रमण, कारण तथा परिणाम	80
• कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी).....	81
• अभ्यास 'ईस्टर्न त्रिज-VI'	81
• लामित्ये 2022 अभ्यास.....	82
• अभ्यास स्लिनेक्स	83
• राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय	83

इतिहास, कला और संस्कृति 84

• 'साहित्योत्सव' महोत्सव साहित्य महोत्सव 2022	84
• भारत भाग्य विधाता - लाल किला महोत्सव	84
• राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) 2022.....	85


संपादकीय विश्लेषण 86

• विदेश में छात्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था	86
• केयर इनफॉर्मड बाय डेटा - लैंसेट स्टडी	87
• केंद्रीकृत परीक्षण.....	87
• युद्ध से चीन के निहितार्थ.....	88
• पांच राज्यों के चुनाव, उनके संदेश तथा निहितार्थ.....	89
• खंडित विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ.....	90
• हार्म इन द नेम ऑफ गुड	90
• हर्टेनिंग माइलस्टोन.....	91
• लाइन्स एंड रोल्स	92
• एक भारतीय विधायी सेवा की आवश्यकता	93
• महिला कार्यबल की क्षमता का दोहन.....	94
• सील्ड जस्टिस	95
• अ-निर्देशित प्रक्षेपास्त्र	95
• जल प्रबंधन को एक जल-सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है.....	96
• एक उप क्षेत्रीय समूह जिसे मार्ग पर वापस आना चाहिए.....	97

अभ्यास प्रश्नावली 99

यूपीएससी और पीएससी

परीक्षाओं की तैयारी करें



यूपीएससी Adda247 ऐप की विशेषताएं

- दैनिक शीर्ष समाचार और हेडलाइंस
- दैनिक करेंट अफेयर्स लेख
- दैनिक संपादकीय विश्लेषण
- सामान्य अध्ययन नोट्स
- दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी विस्तृत समाधान के साथ
- विषयवार जीएस और सीसैट क्विज़
- मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका
- योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं का सार
- संसद टीवी चर्चाओं का विश्लेषण



Download
Our App Now!



भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

आपराधिक अभिनिर्धारण प्रक्रिया विधेयक 2022

संदर्भ

- हाल ही में, सरकार ने पुलिस तथा जेल अधिकारियों को रेटिना एवं आईरिस स्कैन सहित भौतिक तथा जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहित करने तथा विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आपराधिक प्रक्रिया (अभिनिर्धारण) विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया है।

प्रमुख बिंदु

- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 कुछ ऐसे व्यक्तियों को जैविक व्यक्तिगत डेटा साझा करने हेतु बाध्य करता है, जिन्हें अपराधों के लिए अभियुक्त एवं दोषसिद्ध (अभिशास्त) किया जा चुका है।
- यह विधेयक कैदियों के अभिनिर्धारण (पहचान) अधिनियम, 1920 को भी प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, जो अधिकांशतः उन व्यक्तियों के लिए "माप" के संग्रह पर लागू होता है जिन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है एवं जो जेल की सजा काटेंगे।

आपराधिक अभिनिर्धारण प्रक्रिया विधेयक 2022: प्रमुख प्रावधान

- उंगलियों के निशान, हथेली के निशान एवं पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस तथा रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने एक उनके विश्लेषण इत्यादि को सम्मिलित करने हेतु "माप" को परिभाषित करता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो/एनसीआरबी) को माप के अभिलेखों को एकत्रित करने, संग्रहित करने तथा संरक्षित करने एवं अभिलेखों के साझाकरण, प्रसार, विनष्ट करने तथा निपटान के लिए सशक्त बनाना।
- किसी भी व्यक्ति को माप देने का निर्देश देने हेतु मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाना;
 - एक मजिस्ट्रेट विधि प्रवर्तन अधिकारियों को एक निर्दिष्ट श्रेणी के दोषसिद्ध एवं गैर-दोषी व्यक्तियों के मामले में उंगलियों के निशान, पैरों के निशान तथा तस्वीरें एकत्र करने का निर्देश दे सकता है;
- पुलिस या जेल अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति का माप लेने के लिए सशक्त बनाना जो माप देने से इनकार करता है या मना करता है।

विधेयक की आलोचना

- स्पष्टता का अभाव: विधेयक अनेक प्रावधानों को परिभाषित नहीं करता है। उदाहरण के लिए: बिल कहता है कि यह "दोषसिद्ध एवं अन्य व्यक्तियों" के लिए माप के संग्रह का प्रावधान करता है किंतु अभिव्यक्ति "अन्य व्यक्तियों" को परिभाषित नहीं किया गया है।

- मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष: संसद में विपक्षी सदस्य ने तर्क दिया कि विधेयक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है, इसलिए विधेयक संसद की विधायी क्षमता से परे है।
- अनुच्छेद 20(3): विधेयक प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी (गवाह) बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- विधेयक कैदियों के अधिकारों एवं विस्मृति (भूल जाने) के अधिकार पर भी ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा को 75 वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है।
- जबकि विस्मृति के अधिकार के आसपास का न्यायशास्त्र अभी भी भारत में प्रारंभिक चरण में है, पुट्टास्वामी वाद का निर्णय इसे (विस्मृति के अधिकार) निजता के मौलिक अधिकार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में चर्चा करता है।

सीयूईटी 2022: UG प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा

प्रसंग

- हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन/यूजीसी) के अध्यक्ष ने घोषणा की कि स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम अनिवार्य सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

सीयूईटी क्या है?

- कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) एक कम्प्यूटरीकृत परीक्षा है एवं सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी/NTA) द्वारा आयोजित की जाएगी।
- इन विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अब पूर्ण रूप से सीयूईटी में प्राप्तांक के आधार पर होगा, एवं कक्षा 12 के बोर्ड के अंकों का कोई भारांक (वेटेज) नहीं होगा।
- यद्यपि, विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड के रूप में बोर्ड परीक्षा के अंकों का उपयोग कर सकते हैं।



सीयूईटी मूल विवरण

सीयूईटी संबंधित जानकारी	विवरण
सीयूईटी आवेदन पत्र की तिथि	अप्रैल का पहला सप्ताह
सीयूईटी परीक्षा की तिथि	जुलाई का प्रथम सप्ताह
सीयूईटी का पाठ्यक्रम	कक्षा 12 की NCERT की पाठ्यपुस्तकें।
सीयूईटी परीक्षा का पैटर्न	सीयूईटी परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सीयूईटी में अनिवार्य रूप से तीन भाग होंगे।
सीयूईटी परीक्षा की अवधि	सीयूईटी परीक्षा साढ़े तीन घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा होगी।
सीयूईटी पाली	सीयूईटी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में, उम्मीदवार खंड I (भाषा), दो चयनित किए गए डोमेन विषय तथा सामान्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। द्वितीय पाली में, वे अन्य चार डोमेन विषयों एवं एक अतिरिक्त भाषा परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे, यदि चयनित किए जाते हैं।
सीयूईटी अंकन योजना	गलत उत्तरों के लिए छात्रों को ऋणात्मक अंकन प्रदान किया जाएगा
सीयूईटी परीक्षा शुल्क	शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

सीयूईटी 2022: प्रमुख बिंदु

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एमयू) एवं जामिया विश्वविद्यालय जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों सहित यूजीसी द्वारा वित्त पोषित सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सीयूईटी अनिवार्य होगा। यद्यपि, परीक्षा ऐसे संस्थानों में आरक्षित सीटों के कोटे को प्रभावित नहीं करेगी।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सीयूईटी से छूट दी गई है।

- यूजीसी ने सीयूईटी 2022 को 13 भाषाओं-हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, ओडिया एवं अंग्रेजी में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

सीयूईटी क्यों?

- मूल्यांकन विधियों में "विविधता" के कारण सरकार ने प्रवेश के लिए बोर्ड के अंकों का उपयोग करने का पक्ष नहीं लिया।
- यह देखा गया कि कुछ बोर्ड दूसरों की तुलना में अंकन में अधिक उदार हैं तथा इससे उनके छात्रों को दूसरों पर अनुचित लाभ मिलता है।

एनटीए क्या है?

- शिक्षा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन/MoE), भारत सरकार (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया/GOI) ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी/NTA) की स्थापना की है।
- एनटीएस को प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने हेतु कुशल, पारदर्शी एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों की परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर डीपीआर
संदर्भ

- हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने वानिकी अंतःक्षेपों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जारी की है।

13 नदियों पर डीपीआर: प्रमुख बिंदु

- 13 नदियां: जिन 13 नदियों के लिए डीपीआर जारी किए गए हैं उनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी शामिल हैं।
- डीपीआर को राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा वित्त पोषित किया गया था एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (इंडियन काउंसिल आफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन/आईसीएफआरई), देहरादून द्वारा तैयार किया गया था।
- तेरह नदियाँ सामूहिक रूप से एक बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती हैं जो देश के 45% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है।

डीपीआर के बारे में

- नदियों के साथ-साथ उनकी सहायक नदियों को प्राकृतिक परिदृश्य, कृषि परिदृश्य एवं शहरी परिदृश्य जैसे विभिन्न

परिदृश्यों के अंतर्गत नदियों के परिदृश्य में वानिकी अंतःक्षेप हेतु प्रस्तावित किया गया है।

- लकड़ी की प्रजातियों, औषधीय पौधों, घास, झाड़ियों तथा ईंधन, चारे एवं फलों के वृक्षों सहित वानिकी वृक्षारोपण के विभिन्न मॉडलों का उद्देश्य जल संवर्धन, भूजल पुनर्भरण करना तथा क्षरण को रोकना है।
- विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर जीआईएस तकनीक द्वारा समर्थित नदी परिदृश्य (रिवरस्केप) में प्राथमिकता वाले स्थलों के उपचार के लिए मृदा एवं नमी संरक्षण तथा घास, जड़ी-बूटियों, वानिकी एवं उद्यान कृषि संबंधी वृक्षों के रोपण के संदर्भ में स्थल विशिष्ट उपचार प्रस्तावित किए गए हैं।
- प्रत्येक डीपीआर में चित्रित रिवरस्केप का विस्तृत भू-स्थानिक विश्लेषण, नदी के पर्यावरण पर विस्तृत समीक्षा, वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक एवं सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) तथा जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके क्षेत्रों की प्राथमिकता शामिल है।
- फोकस: डीपीआर संरक्षण, वनीकरण, जलग्रहण उपचार, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना, नमी संरक्षण, आजीविका सुधार, आय सृजन, नदी के किनारों, जैव उद्यानों (इको-पार्क) को विकसित करके पारिस्थितिकी पर्यटन एवं जनता के मध्य जागरूकता लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- नोडल एजेंसी: डीपीआर को राज्य वन विभागों के माध्यम से नोडल विभाग के रूप में तथा राज्यों में अन्य लाइन विभागों की योजनाओं के अभिसरण के साथ डीपीआर में प्रस्तावित गतिविधियों एवं भारत सरकार से वित्त पोषण सहायता के माध्यम से निष्पादित किए जाने की संभावना है।
- समय सीमा: वृक्षारोपण के रखरखाव हेतु अतिरिक्त समय के प्रावधान के साथ उपचार को पांच वर्ष की अवधि में परिव्याप्त होना प्रस्तावित है।
- मुद्रास्फीति समायोजित: परियोजना के प्रारंभ में विलंब के संदर्भ में, डीपीआर के प्रस्तावित परिव्यय को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उपयोग करके समायोजित किया जाएगा क्योंकि परियोजना परिव्यय की गणना 2019-20 के दौरान प्रचलित लागतों के अनुसार की गई थी।
- रिज टू वैली एप्रोच: निष्पादन के दौरान, "रिज टू वैली एप्रोच" का अनुसरण किया जाएगा एवं मृदा तथा नमी संरक्षण कार्य वृक्षारोपण कार्यों से पूर्व संपादित किए जाएंगे।

डीपीआर के लाभ

- पर्यावरणीय लाभ: डीपीआर में प्रस्तावित गतिविधियों से गैर-इमारती वन उत्पादों के रूप में लाभ के अतिरिक्त हरित आवरण में वृद्धि करने, मृदा के कटाव, पुनर्भरण जल स्तर एवं सीक्स्टेर

कार्बन डाइऑक्साइड के संभावित लाभों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- वनावरण में वृद्धि: वानिकी के अंतःक्षेप से 13 नदियों के परिदृश्य में संचयी वन क्षेत्र में 7,417.36 वर्ग वर्ग किमी की वृद्धि होने की संभावना है।
- कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन: प्रस्तावित अंतःक्षेपों से 10 वर्ष पुराने वृक्षारोपण में 50.21 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य एवं 20 वर्ष पुराने वृक्षारोपण में 74.76 मिलियन टन समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करने में सहायता मिलेगी।
- भूजल पुनर्भरण: तेरह नदियों के परिदृश्य में प्रस्तावित अंतःक्षेप से भूजल पुनर्भरण में 1,889.89 मिलियन m³ प्रतिवर्ष की सीमा तक सहायता मिलेगी, एवं अवसादन में 64,83,114 m³ प्रतिवर्ष की कमी होगी।
- आर्थिक लाभ: इसके अतिरिक्त, अपेक्षित गैर-काष्ठ एवं अन्य वन उपज से 449.01 करोड़ रुपये उत्पन्न होने की संभावना है। यह भी अपेक्षा है कि 13 डीपीआर में प्रावधान के अनुसार नियोजित गतिविधियों के माध्यम से 344 मिलियन मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा।

ई-गोपाला पोर्टल

समाचार में ई-गोपाला पोर्टल

- हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने "ई-गोपाला" पोर्टल नामक एक एंड्रॉइड तथा वेब-आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है।

ई-गोपाला पोर्टल क्या है?

- ई-गोपाला पोर्टल के बारे में: ई-गोपाला पोर्टल डेयरी किसानों को अपने पशुओं का प्रबंधन करने में सहायता करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसानों द्वारा प्रत्यक्ष उपयोग के लिए ई-गोपाला पोर्टल 2020 में विमोचित किया गया था।
- ई-गोपाला पोर्टल 12 भाषाओं- हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, असमिया एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है।

ई-गोपाला पोर्टल के प्रमुख लाभ

- ई-गोपाला पोर्टल किसानों को स्थानीय रूप से उपलब्ध चारा (फ्रीड) सामग्री का उपयोग करके डेयरी पशुओं के लिए संतुलित राशन तैयार करने में सहायता करता है।
 - यह उत्पादकता एवं प्रजनन क्षमता में वृद्धि करते हुए फ्रीड लागत को अनुकूलित करने में सहायता करता है।
- ई-गोपाला पोर्टल नृजातीय (एथनो)-पशु चिकित्सा (ईवीएम) का उपयोग करके डेयरी पशुओं की लगभग 29 सामान्य रोगों जैसे

मास्टिटिस, अपच, दस्त इत्यादि के प्रबंधन में किसानों की सहायता करता है।

- यह खंड नृजातीय-पशु चिकित्सा के माध्यम से रोग प्रबंधन प्रोटोकॉल पर विभिन्न भाषाओं में वीडियो भी सम्मिलित रखता है।
- ई-गोपाला पोर्टल डेयरी पशुओं की खरीद/बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, मवेशियों एवं भैंसों की विभिन्न नस्लों के लिए उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण वीर्य खुराक के स्रोत की जानकारी तथा आईवीएफ भ्रूण एवं लिंग-वर्गीकृत वीर्य की उपलब्धता के लिए संपर्क विवरण प्रदान करता है।
- ई-गोपाला पोर्टल आईएनएपीएच से अपने पशुओं के प्रजनन, पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में समयोचित जानकारी भी प्रदान करता है।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया/एडब्ल्यूबीआई) मान्यता प्राप्त गौशालाओं / एडब्ल्यूओ / गैर सरकारी संगठनों / एसपीसीए तथा स्थानीय निकायों को निम्नलिखित हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है-
 - नये पशु आश्रय गृह की स्थापना,
 - पशु आश्रयों, पशुओं की दवाओं का रखरखाव,
 - चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा पशु चिकित्सा शिविर इत्यादि का आयोजन एवं
 - अवैध परिवहन/वधशालाओं से मुक्त कराए गए पशुओं के रखरखाव के लिए बचाए गए पशुओं के अनुरक्षण अनुदान एवं संकटग्रस्त पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवाओं का प्रावधान।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, भारत सरकार 90% परिशुद्धता के साथ मादा बछड़ों के उत्पादन के लिए लिंग- वर्गीकृत वीर्य के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।
 - लिंग वर्गीकृत वीर्य का व्यापक उपयोग देश में लावारिस पशुओं की आबादी को सीमित कर देगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

समाचारों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक अधिप्राप्ति हासिल की है।
- यह विगत वित्त वर्ष की तुलना में 160% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 5 वर्ष की अल्प अवधि में, GeM विश्व के सर्वाधिक वृहद सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है।

GeM का प्रदर्शन

- GeM की स्थापना के पश्चात से, संचयी सकल व्यापारिक मूल्य (ग्रॉस मर्चेन्डाइज वैल्यू/GMV) 23 मार्च 2021 को साढ़े चार वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
- दूसरी ओर, चालू वित्त वर्ष में GeM का संचयी सकल व्यापारिक मूल्य एक वर्ष से भी कम समय में 1 लाख करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन) को पार कर गया, जो विगत वित्त वर्ष की तुलना में 160% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
- चालू वित्त वर्ष में 22% की दर से वृद्धि के साथ आज्ञप्तियों की संख्या भी 31.5 लाख को पार कर गई है।
- सकल जीएमवी में लगभग 30% योगदान के साथ राज्य एक महत्वपूर्ण हितधारक बने रहे।
- GeM पर कुल कारोबार का 57% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के माध्यम से आया है एवं 6% से अधिक का योगदान महिला उद्यमियों द्वारा किया गया है।
 - यह ध्यान देने योग्य है कि GeM पर महिला विक्रेताओं एवं उद्यमियों की संख्या में एक वर्ष में 6 गुना की वृद्धि हुई है।
- सकल GMV (25,000 करोड़ रुपये) में 25% योगदान के साथ विगत वित्त वर्ष की तुलना में सेवाओं की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है?

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिप्राप्ति हेतु एक गतिशील, आत्मनिर्भर एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है। यह भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति के लिए एक ऑनलाइन मंच है।
 - GeM पहलू 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी।
- **GeM पोर्टल का विकास:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी सहयोग से आपूर्ति एवं व्ययन महानिदेशालय (डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाइज एंड डिस्पोजल/DGS&D) ने उत्पादों एवं सेवाओं दोनों की अधिप्राप्ति हेतु एक GeM पोर्टल विकसित किया है।
 - गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) की मेजबानी आपूर्ति एवं व्ययन महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) के क्या उद्देश्य हैं?

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक मुक्त एवं पारदर्शी अधिप्राप्ति मंच निर्मित करना है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन अधिप्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के लाभ

क्रेताओं के लिए	विक्रेताओं के लिए
<ul style="list-style-type: none"> वस्तुओं/सेवाओं की पृथक-पृथक श्रेणियों के लिए उत्पादों की समृद्ध सूची खोजने, तुलना करने, चयन करने एवं खरीदने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करना। पारदर्शी तथा क्रय में सुगमता एक सतत विक्रेता रेटिंग प्रणाली आपूर्ति एवं भुगतान की खरीद तथा निगरानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड सरल वापसी नीति 	<ul style="list-style-type: none"> सभी सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच। न्यूनतम प्रयासों के साथ विपणन (मार्केटिंग) के लिए एकल बिंदु स्थल (वन-स्टॉप शॉप)। उत्पादों/सेवाओं पर बोलियों/प्रत्यावर्ती नीलामी के लिए वन-स्टॉप शॉप। विक्रेताओं के लिए उपलब्ध नवीन उत्पाद सुझाव सुविधा गतिशील मूल्य निर्धारण: बाजार की स्थितियों के आधार पर मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है आपूर्ति तथा भुगतान की बिक्री एवं निगरानी के लिए विक्रेता के अनुकूल डैशबोर्ड निरंतर एवं एक समान क्रय प्रक्रिया

ग्राम न्यायालय | ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008

समाचारों में ग्राम न्यायालय?

- राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अब तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 476 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया जा चुका है।
- इनमें से 257 वर्तमान में 10 राज्यों में क्रियाशील हैं।

ग्राम न्यायालय के बारे में प्रमुख तथ्य

- पृष्ठभूमि:** भारत के विधि आयोग ने नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय के लिए किफायती एवं त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था।
- संबद्ध विधान:** ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई है जो 02 अक्टूबर, 2009 से प्रवर्तन में आया है।
- ग्राम न्यायालय:** ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।

- ग्राम न्यायालयों की स्थापना:** राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु उत्तरदायी हैं।
 - यद्यपि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है।
- न्यायिक स्थिति:** ग्राम न्यायालयों को ग्राम स्तर पर छोटे-मोटे विवादों को निपटाने के लिए सिविल एवं आपराधिक दोनों अधिकार क्षेत्र के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है।
- केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता:** ग्राम न्यायालय खोलने के लिए, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है।
 - तब से सरकार ने ग्राम न्यायालय योजना के लिए आवंटित 50 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय पर 2026 तक इस योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
 - ग्राम न्यायालयों के लिए धन तभी जारी किया जाएगा जब उन्हें अधिसूचित किया जाता है एवं न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के साथ-साथ क्रियाशील किया गया है एवं न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है।

ग्राम न्यायालय अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके द्वार पर किफायती न्याय उपलब्ध कराना है;
- मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए अथवा सन्निहित ग्राम पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने हैं;
- ग्राम न्यायालयों की पीठ मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में अवस्थित होगी।
 - न्यायाधिकारी समय-समय पर गांवों का दौरा करेंगे एवं पक्षों को सुन सकते हैं तथा अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पर मामलों का निपटारा कर सकते हैं;
- ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों, दीवानी वादों, दावों या विवादों की सुनवाई करेंगे जो अधिनियम की पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
 - उन्हें आपराधिक मुकदमे में संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करना होता है।
- पक्षों के मध्य सुलह कराकर जहाँ तक संभव हो विवादों को सुलझाया जाना है एवं इस उद्देश्य के लिए ग्राम न्यायालय इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले सुलहकर्ताओं का उपयोग करेंगे;
- ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रावधानित साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा

निर्मित किए गए किसी भी नियम के अधीन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन

समाचारों में पीएम-किसान योजना

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) को देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।
- पीएम-किसान योजना के तहत लाभ सभी पुष्टिकरण / सत्यापन स्तरों को स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से उनके वास्तविक डेटा प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जाते हैं।

पीएम-किसान योजना का क्रियान्वयन

सरकार ने देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम-किसान योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा किसानों के डेटा को अपलोड करने तथा उसके प्रथम स्तर के सत्यापन हेतु पीएम-किसान पोर्टल का शुभारंभ।
- पीएम-किसान पोर्टल को यूआईडीएआई, पीएफएमएस, आयकर पोर्टल तथा पेंशनभोगियों एवं कर्मचारी अभिलेखों के साथ अपात्र लाभार्थियों के सत्यापन/निष्कासन हेतु एकीकरण, एवं अपात्र लाभार्थियों द्वारा राशि की वापसी के लिए एनटीआरपी पोर्टल।
- पीएम-किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर का शुभारंभ जहां किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं, लाभ हस्तांतरण की स्थिति की जांच कर सकते हैं, आधार विवरण संपादित कर सकते हैं, इत्यादि। किसान इन सभी सुविधाओं का लाभ सीएससी के माध्यम से भी उठा सकते हैं।
- पीएम-किसान पोर्टल के फार्मर्स कॉर्नर की सभी कार्यक्षमताओं को प्रदान करने के लिए पीएम-किसान ऐप का शुभारंभ।
- भौतिक सत्यापन, ई-केवाईसी इत्यादि जैसे विभिन्न सत्यापन अभ्यासों का परिचय यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र किसानों को हस्तांतरित किए जाएं।
- पीएम-किसान के अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए एक वसूली तंत्र आरंभ करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके तकनीकी एवं नीतिगत मुद्दों को हल करने के लिए नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करना।

- झारखंड, मणिपुर, नागालैंड तथा मेघालय जैसे जहां भी आवश्यकता हो, विशेष हस्तक्षेप करना।
- पीएम-किसान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक परियोजना अनुश्रवण इकाई, अर्थात् राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी की स्थापना करना।

पीएम-किसान योजना- प्रमुख बिंदु

- **पृष्ठभूमि:** छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में पीएम-किसान योजना को प्रारंभ किया गया था।
- **पीएम-किसान योजना के बारे में:** पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 / - रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2000 / - रुपये की तीन समान 4-मासिक किश्तों में देय होता है।
- **अनुदान:** पीएम-किसान योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **कार्यान्वयन:** पीएम-किसान योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **लाभार्थियों का अभिनिर्धारण:** पीएम-किसान के तहत, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को लाभार्थी किसान परिवारों के अभिनिर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पीएम-किसान योजना- प्रमुख उद्देश्य

- पीएम-किसान का उद्देश्य विभिन्न आदानों के क्रय में छोटे तथा सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
 - यह प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य तथा उचित पैदावार सुनिश्चित करने हेतु निमित्त है।
- पीएम-किसान का उद्देश्य इस तरह के व्ययों को पूरा करने के लिए किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना तथा कृषि संबंधी गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैम्पेन 2022

संदर्भ

- हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 की अवधि के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान 2022 प्रारंभ किया है।

जल शक्ति अभियान: प्रमुख बिंदु

- **नई विशेषताएं:** स्प्रिंग शेड का विकास, जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा, जल क्षेत्र में लिंग को मुख्यधारा में लाना 2022 के अभियान में जोड़ी गई कुछ नवीन विशेषताएं हैं।
- लैंगिक मुख्यधारा (जेंडर मेनस्ट्रीमिंग) से जल प्रशासन/संरक्षण तथा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- राज्य सरकारें अपने राज्य के प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित करेंगी।
- **जल शक्ति केंद्र:** यह एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जल संबंधी सभी समस्याओं का एकल समाधान केंद्र प्रदान करेगा तथा यथाशीघ्र जिला जल संरक्षण योजना तैयार करेगा।
- यदि इस वर्ष अभियान के तहत देश के सभी जल निकायों को प्रगणित किया जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।
- "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान का सफल कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर **स्थानीय समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी** पर निर्भर करता है।
- जल संरक्षण कार्य में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जल के अभाव के मुद्दों का शमन करने तथा जल संरक्षण संरचनाओं की परिसंपत्ति के स्वामित्व धारी के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय समुदाय के व्यक्ति "जल योद्धा" होंगे।

कैच रेन कैम्पेन क्या है?

- कैच द रेन" अभियान: जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) द्वारा एक **राष्ट्रव्यापी अभियान**।
- **फोकस:** देश के सभी जिलों के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, 2021 के मानसून- पूर्व एवं मानसून की अवधि में वर्षा जल को बचाने तथा संरक्षित करने पर।
- **टैगलाइन:** "कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स"।
- **उद्देश्य:** लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ, जलवायु परिस्थितियों एवं उप-मृदा स्तर के लिए उपयुक्त आरडब्ल्यूएचएस (रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) निर्मित करने हेतु राज्यों एवं समस्त हितधारकों को प्रेरित करना।
- **जागरूकता अभियान:** युवा क्लबों को शामिल करते हुए "नेहरू युवा केंद्र संगठन" (एनवाईकेएस), युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के सहयोग से।
- **2019 में जल शक्ति अभियान** के सफल कार्यान्वयन के बाद, **जल शक्ति अभियान-II: कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स** अभियान प्रारंभ किया गया था।
 - जल शक्ति अभियान जल संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए **कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान** था एवं इसे देश के 256 जिलों में 1,592 जल संकटग्रस्त प्रखंडों में क्रियान्वित किया गया था।

- हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने गुल्लागुडा-चित्तगिड्डा रेलवे स्टेशनों के मध्य 'कवच' कार्य प्रणाली के परीक्षण का निरीक्षण किया।
- उनकी उपस्थिति में 'कवच' प्रणाली का व्यापक परीक्षण किया गया।
- परीक्षण के दौरान, दोनों इंजनों के एक दूसरे की ओर बढ़ने के कारण आमने-सामने की टक्कर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
 - 'कवच' प्रणाली ने स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम को प्रारंभ किया एवं इंजनों को एक दूसरे से 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया।

कवच प्रणाली क्या है?

- **कवच प्रणाली के बारे में:** भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा के कॉर्पोरेट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 'कवच' स्वदेशी रूप से विकसित एक एटीपी है।
 - कवच प्रणाली सुरक्षा समग्रता स्तर - 4 मानकों की एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है।
- **डिजाइन तथा विकास:** कवच प्रणाली को भारतीय उद्योग जगत के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन/आरडीएसओ) द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है।
 - कवच प्रणाली के परीक्षणों को दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा सुगम बनाया गया था।
- **उद्देश्य:** कवच ट्रेनों को खतरे (लाल) पर सिग्नल पास करने से रोकने तथा टक्कर से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देशित है।
 - यदि चालक गति सीमाओं के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है, तो कवच ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है।
 - इसके अतिरिक्त, यह एक कार्यात्मक कवच प्रणाली से लैस दो लोकोमोटिव के मध्य टकराव को रोकता है।
- **संगुणन महत्व:** 'कवच' सर्वाधिक सस्ती, सुरक्षा समग्रता स्तर 4 (एसआईएल -4) प्रमाणित तकनीकों में से एक है, जिसमें त्रुटि की संभावना 10,000 वर्षों में 1 है।
 - साथ ही, यह रेलवे के लिए इस स्वदेशी तकनीक के निर्यात के व्यापार मार्ग खोलता है।
- **लक्ष्य:** आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में, 2022-23 में सुरक्षा एवं क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा।
 - कवच के तहत लगभग 34,000 किलोमीटर नेटवर्क को लाया जाएगा।

कवच प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

- खतरे पर सिग्नल पासिंग की रोकथाम (एसपीएडी)

भारतीय रेलवे की कवच प्रणाली

चर्चा में कवच प्रणाली

- ड्राइवर मशीन इंटरफेस (डीएमआई) / लोको पायलट ऑपरेशन सह इंडिकेशन पैनल (एलपीओसीआईपी) में सिग्नल पहलुओं के प्रदर्शन के साथ मूवमेंट अथॉरिटी का निरंतर अद्यतन
- ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए स्वचालित ब्रेक लगाना
- समपार फाटकों के पास पहुंचते समय स्वतंत्र रूप से सीटी बजना
- कार्यात्मक कवच से लैस दो इंजनों के मध्य टकराव की रोकथाम।
- आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसओएस संदेश
- नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी।

राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2030

संदर्भ

- हाल ही में, रेल मंत्रालय ने 2030 तक 'भविष्य हेतु तैयार' रेलवे प्रणाली निर्मित करने के लिए भारत - 2030 हेतु एक राष्ट्रीय रेल योजना (नेशनल रेल प्लान/NRP) तैयार किया है।

राष्ट्रीय रेल योजना विजन: मुख्य बिंदु

- एनआरपी का उद्देश्य परिचालन क्षमता एवं वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है ताकि माल ढुलाई में रेलवे के आदर्श हिस्से को 45% तक बढ़ाया जा सके।
- योजना का उद्देश्य मांग से पूर्व क्षमता का निर्माण करना है, जो बदले में 2050 तक मांग में भविष्य की वृद्धि को भी पूरा करेगा और माल ढुलाई में रेलवे की आदर्श हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% कर देगा एवं इसे बनाए रखना जारी रखेगा।

राष्ट्रीय रेल योजना विजन के उद्देश्य

- माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमता एवं वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना।
- मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाकर पारवहन (माल ढुलाई) के समय को काफी हद तक कम करना।
- राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 प्रारंभ किया गया है जैसे 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की बहु रेल-पथ (मल्टी-ट्रैकिंग), दिल्ली-हावड़ा एवं दिल्ली-मुंबई मार्गों पर 160 किमी प्रति घंटे की गति का उन्नयन अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्ण विकर्ण (जीक्यू/जीडी) मार्गों पर गति को 130 किमी प्रति घंटे तक अपग्रेड करना तथा सभी जीक्यू/जीडी मार्गों पर सभी समपारों को हटाना।
- नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की पहचान करना।
- नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना।

- यात्री यातायात के लिए रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए वैगन की आवश्यकता का आकलन करना।
- 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) एवं माल ढुलाई में आदर्श हिस्सेदारी (फ्रेट मोडल शेयर) बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता का आकलन करना।
- पूंजी में कुल निवेश का आकलन करना जिसकी समय-समय पर वियोजन (ब्रेक अप) के साथ आवश्यकता होगी।
- रोलिंग स्टॉक के संचालन एवं स्वामित्व, माल ढुलाई कथा यात्री टर्मिनलों के विकास, रेल पथ संबंधी आधारीक संरचना का विकास / संचालन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी।

रेलवे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- भारतीय रेलवे में जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है, उनमें उच्च गति युक्त रेलगाड़ियां, सुरक्षा, रेल पथ का आधुनिकीकरण, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग सिस्टम एवं अत्यधिक वजन ढुलाई प्रणाली (हेवी हॉल सिस्टम) का विकास जहां एक्सल लोड एवं ट्रेनों की लंबाई तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सम्मिलित है।
- सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है एवं रेलवे के नेटवर्क विस्तार, नवीन आधारीक अवसंरचना के निर्माण तथा तकनीकी उन्नयन में महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों की घोषणा करने पर भी विचार कर रही है।

राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के लिए फोकस क्षेत्र

- भारतीय रेलवे में नीति एवं नियामक उन्नयन
- भारतीय रेलवे में दक्षता एवं सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु प्रभावी साधन
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा संयुक्त उद्यम
- रेल संपर्क का सहभागी मॉडल
- रेलवे में निजी पूंजी का लाभ उठाने हेतु रणनीतियां
- क्षमता वृद्धि एवं आधारीक अवसंरचना

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022

समाचारों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार

- हाल ही में, उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के तीसरे संस्करण का विमोचन किया है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022

- **मूल मंत्रालय:** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं।
- **अधिदेश:** आजादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 उन स्टार्टअप्स एवं सक्षमकर्ताओं को अभिस्वीकृत करेगा, जिन्होंने भारत के विकास की कहानी में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 उन स्टार्टअप्स को स्वीकार करेगा जो अपने भीतर आत्मनिर्भर भारत की भावना को और प्रोत्साहित करने की शक्ति एवं क्षमता रखते हैं।
 - नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 असाधारण इन्क्यूबेटरों तथा त्वरकों (एक्सेलेरेटर्स) को एक सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख रचक खंडों (बिल्डिंग ब्लॉक्स) के रूप में पुरस्कृत करेगा।
- **श्रेणी:** स्टार्टअप्स के लिए 2022 पुरस्कार 50 उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत 17 क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स के लिए पुरस्कारों की सात विशेष श्रेणियां हैं:
 - महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप
 - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव
 - कैपस स्टार्टअप
 - विनिर्माण उत्कृष्टता
 - महामारी से निपटने के लिए नवाचार (निवारक, नैदानिक, चिकित्सीय, अनुश्रवण, डिजिटल कनेक्ट, घरेलू से कार्य समाधान, इत्यादि)
 - समाधान वितरण या भारतीय भाषाओं में व्यवसाय संचालन
 - पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से स्टार्टअप।
- **पुरस्कार:** प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एक विजेता इनक्यूबेटर एवं एक विजेता एक्सेलेरेटर को 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- **महत्व:** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 निम्नलिखित कारणों से स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण है-
 - विजेताओं एवं उपविजेताओं को संभावित प्रायोगिक परियोजनाओं तथा कार्य आदेशों एवं निवेशकों के साथ पिचिंग के अवसरों के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा व्यावसायिक घरानों को अपने समाधान प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।
 - उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के विगत संस्करण

- प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा 2020 में की गई थी एवं संपूर्ण भारत में 1,600 से अधिक स्टार्टअप्स तथा इकोसिस्टम इनेबलर्स के आवेदन प्राप्त हुए।

- नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में 2,200 से अधिक स्टार्टअप्स एवं इकोसिस्टम इनेबलर्स की भागीदारी देखी गई।

मनरेगा पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट

मनरेगा: संदर्भ

- हाल ही में, ग्रामीण विकास पर संसदीय पैनल ने **मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के कार्यान्वयन के बारे में चिंता व्यक्त की है** एवं सरकार से इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है।

मनरेगा के कार्यान्वयन में मुद्दे

- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** समिति ने पर्याप्त धन की कमी की पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की गति पर चिंता व्यक्त की। मनरेगा के दो प्रमुख पहलू हैं- मांग आधारित प्रकृति का रोजगार एवं परिसंपत्ति निर्माण। ये दोनों पहलू बुरी तरह प्रभावित होंगे।
- **लंबित मजदूरी:** पैनल ने यह भी पाया है कि लंबित मजदूरी का मुद्दा चिंताजनक है क्योंकि 2022-23 के लिए योजना के बजट अनुमान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मांगे गए 78,000 करोड़ रुपए से घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिए गए थे।
- फर्जी जॉब कार्ड, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, उपस्थिति नामावली (मस्टर रोल) को विलंब से अपलोड करना, तथा मजदूरी एवं सामग्री के लिए भारी लंबित भुगतान मनरेगा में बाधा डालने वाले मुद्दों में से हैं।
- **फर्जी लाभार्थी:** जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन को लेकर बेईमान तत्वों की मिलीभगत से वास्तविक मजदूरों को उनका बकाया नहीं मिल रहा है जबकि पैसा कई हाथों में जा रहा है, यह वर्तमान समय का कड़वा सच है।
- **रोजगार सेवक प्रारंभ में कच्चा मस्टर भरते हैं** तथा सप्ताह में एक बार मस्टर रोल ऑनलाइन अपलोड करने हेतु प्रखंड में जाते हैं। इसका मनरेगा लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि मस्टर अपलोडिंग में विलंब से मजदूरी के भुगतान में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त, यदि मस्टर-रोल को अद्यतन नहीं किया जाता है एवं निर्धारित समय के भीतर अपलोड किया जाता है, तो इसे बैकडेट नहीं किया जा सकता है, जिससे भुगतान में हानि होती है।
- समिति ने **जाति-आधारित भुगतान प्रणाली** की भी आलोचना की है एवं कहा है कि इस प्रथा को "तत्काल" हल किए जाने की आवश्यकता है तथा इसे आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

मनरेगा पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट: सिफारिशें

- समिति ने ग्रामीण विकास विभाग को इसकी गणना पर पुनर्विचार करने एवं बजट की कमी के लिए ग्रामीण विकास

योजनाओं की गति को तेज करने के लिए वित्त मंत्रालय से उचित रूप से उच्च आवंटन के लिए संपर्क करने की सिफारिश की है।

- पैनल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट/MoRD) से पूर्व की प्रणाली को बहाल करने के लिए कहा है जिसके द्वारा "जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के वियोजन" के बिना एकल हस्तांतरण ऑर्डर उत्पन्न किया गया था।

जाति-आधारित भुगतान प्रणाली

- विगत वर्ष, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2021-22 वित्तीय वर्ष से NREGS श्रमिकों को उनकी श्रेणियों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने हेतु राज्यों को एक परामर्शिका भेजी थी।
- इस प्रणाली के तहत, यदि 20 व्यक्ति (जैसे, छह एससी, चार एसटी एवं 10 अन्य) मनरेगा के तहत एक कार्यस्थल पर एक साथ कार्य करते हैं, तो एक ही मस्टर रोल जारी किया जाएगा, किंतु भुगतान तीन अलग-अलग फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ), तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक जारी करके किया जाएगा।

पीएमजी दिशा योजना

समाचारों में पीएमजी दिशा योजना

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2017 में ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का आरंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी।

पीएमजी दिशा के तहत ग्राम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदम

- अभियानों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, डिजिटल वैन इत्यादि के माध्यम से डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता एवं प्रचार गतिविधियों को बढ़ाना।
- निम्न इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दों का समाधान करने के लिए, दूरस्थ स्थानों पर वाईफाई-चौपाल स्थापित किए गए हैं।
- चिन्हित राज्यों के ग्रामीण आबादी वाले जिलों में अंतर्वेशन के लिए ग्रामीण विद्यालयों को उम्मीदवारों के प्रशिक्षण तथा परीक्षा हेतु काम में लिया गया है।
- माननीय सांसदों/विधायकों/जिला कलेक्टरों ने स्थानीय पीएमजी दिशा टीम द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में पीएमजी दिशा प्रमाण पत्र वितरित किए हैं।
- ग्रामीण आबादी वाले जिलों को कवर करने के लिए कुछ ग्रामीण विद्यालयों को उम्मीदवारों के प्रशिक्षण तथा परीक्षा हेतु काम में लिया गया है।
- पीएमजी दिशा योजना के बारे में लक्षित लाभार्थियों तक सूचना प्रसारित करने हेतु विभिन्न तंत्रों को अपनाया गया है जैसे कि

मौखिक प्रचार, ऑनलाइन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें पोस्टर, बैनर, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया इत्यादि सम्मिलित हैं।

पीएमजी दिशा योजना के बारे में प्रमुख बिंदु

- **पीएमजी दिशा के बारे में:** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** पीएमजी दिशा योजना का मुख्य उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करके डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना है।
 - न्याय संगत भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, देश भर में 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में औसतन 200-300 उम्मीदवारों को पंजीकृत करने की परिकल्पना की गई है।
- **प्रदान किए जाने वाले डिजिटल कौशल:** पीएमजी दिशा के तहत, प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षु निम्नलिखित में सक्षम हैं-
 - कंप्यूटर/डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि) संचालित करने में।
 - ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने,
 - इंटरनेट ब्राउज़ करने,
 - सरकारी सेवाओं तक पहुंचने,
 - सूचनाओं को खोजने,
 - वित्त रहित (कैशलेस) लेनदेन इत्यादि करने।
- **कवरेज:** पीएमजी दिशा योजना 14-60 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों को कवर करती है। अब तक, लगभग 5.66 करोड़ उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है तथा 4.81 करोड़ उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, जिनमें से 3.54 करोड़ उम्मीदवारों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

पीएमजी दिशा के तहत पात्रता मानदंड

- पीएमजी दिशा योजना मात्र देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है।
- ऐसे सभी परिवार जहां परिवार का कोई भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, इस योजना के तहत पात्र परिवार माने जाएंगे।
- प्रति पात्र परिवार में से केवल एक व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए विचार किया जाएगा।
- परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 14 - 60 वर्ष है, को कवर किया जाएगा।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों का अभिनिर्धारण डीजीएस (दिल्ली ई-गवर्नमेंट सोसाइटी), ग्राम पंचायतों एवं प्रखंड विकास अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से सीएससी-एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) द्वारा की जाएगी।

डीडीयू-जीकेवाई की समीक्षा

डीडीयू-जीकेवाई: संदर्भ

- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा की है।

डीडीयू-जीकेवाई: प्रमुख बिंदु

- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत 2021-22 के दौरान 2.80 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने तथा 1.96 लाख उम्मीदवारों को नियोजित करने का लक्ष्य है।
- फरवरी 2022 तक, डीडीयू-जीकेवाई के तहत 11.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों को डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित किया गया था।
- आवधिक समीक्षा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन/एनआरएलएम) पर नीति आयोग के अध्ययन दोनों ने कहा है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- विगत वर्ष की तुलना में डीडीयू-जीकेवाई में ग्रामीण युवाओं की कम रुचि प्रदर्शित करने का कोई संकेत नहीं है।

डीडीयू-जीकेवाई क्या है?

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के एक भाग के रूप में 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) की घोषणा की है।
- डीडीयू-जीकेवाई को ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता जोड़ने तथा ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूर्ण करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ कार्य सौंपा गया है।
- डीडीयू-जीकेवाई प्लेसमेंट, प्रतिधारण, करियर की प्रगति तथा विदेशी प्लेसमेंट पर बल देने के साथ वैश्विक मानकों के लिए मानक प्रशिक्षण परियोजनाओं को वित्त पोषित करके ग्रामीण आबादी की चुनौतियों को पूरा करता है।

- डीडीयू-जीकेवाई 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 689 जिलों में उपस्थित है, जो 7,426 से अधिक प्रखंडों के युवाओं को प्रभावित करता है।

डीडीयू-जीकेवाई के लाभ

- यह समाज के निर्धन तथा उपेक्षित वर्ग को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है क्योंकि यह ग्रामीण निर्धनों को बिना किसी लागत के मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- इसमें एक समावेशी कार्यक्रम डिजाइन है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी / एसटी- 50%; अल्पसंख्यक-15%; महिला- 33%) को अनिवार्य रूप से कवर करता है।
- यह प्रशिक्षण से लेकर करियर की प्रगति तक पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि यह रोजगार प्रतिधारण, करियर प्रगति तथा विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में अग्रणी है।
- यह नियोजन-उपरांत सहायता (पोस्ट-प्लेसमेंट सपोर्ट), प्रव्रजन सहायता (माइग्रेसन सपोर्ट) तथा एलुमनाई नेटवर्क प्रदान करके पदस्थापित उम्मीदवारों के लिए अधिक समर्थन प्रदान करता है।
- साझेदारी नियोजन के निर्माण में इसका एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण है क्योंकि यह कम से कम 70% (पूर्व में 75%) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत प्लेसमेंट प्रदान करता है।

डीडीयू जीकेवाई हेतु पात्रता

- ग्रामीण युवा: 15 - 35 वर्ष
- एससी/एसटी/महिला/पीवीटीजी/पीडब्ल्यूडी: 45 वर्ष की आयु तक

डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन

- डीडीयू-जीकेवाई त्रि स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल का अनुसरण करता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट/MoRD) में DDU-GKY राष्ट्रीय इकाई नीति-निर्माण, तकनीकी सहायता एवं सुविधा प्रदाता अभिकरण के रूप में कार्य करती है।
- डीडीयू-जीकेवाई राज्य मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज/पीआईए) कौशल तथा प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं।

आरएसईटीआई (RSETI)

RSETI: संदर्भ

- हाल ही में, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स/ आरएसईटीआई) ने आजादी का

अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महिला केंद्रित पाठ्यक्रमों के नए बैचों का शुभारंभ किया है।

आरएसईटीआई: प्रमुख बिंदु

- आरएसईटीआई कार्यक्रम के अंतर्गत कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 66 प्रतिशत है।
- इसकी स्थापना से अब तक लगभग 26.28 लाख महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं लगभग 18.7 लाख को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है।
- होममेड अगरबत्ती मेकर, सॉफ्ट टॉय मेकर एंड सेलर, पापड, अचार तथा मसाला पाउडर, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट एवं कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी आदि ट्रेडों में नए बैच प्रारंभ किए गए।
- आरएसईटीआई योजना के तहत कुल 64 में से 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए लक्षित हैं।

आरएसईटीआई क्या है?

- आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट/एमओआरडी), भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंकों के मध्य एक तीन-तरफा साझेदारी है।
- यह कार्यक्रम 2009 में कर्नाटक के रुडसेटी से प्रेरणा लेकर प्रारंभ किया गया था।
- रुडसेटी को 1982 में कर्नाटक में मंजूनाथेश्वर ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक एवं केनरा बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।
- ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार/उद्यमिता उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बैंकों को अपने प्रमुख जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई खोलना अनिवार्य है।
- आरएसईटीआई कार्यक्रम उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण तथा दीर्घकालिक सहयोग के दृष्टिकोण के साथ संचालित है।
- 18-45 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण निर्धन युवा प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं।
- प्रत्येक आरएसईटीआई में 1-6 सप्ताह की अल्प अवधि के लिए 30-40 कौशल विकास कार्यक्रम हैं।
- कुल क्रियाशील आरएसईटीआई: 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 585।
- ग्रामीण निर्धन युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उन्हें कार्यक्षेत्र एवं उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें लाभदायक उद्यमियों में रूपांतरित करने में आरएसईटीआई अग्रणी के रूप में स्थापित हो गए हैं।

आरएसईटीआई के उद्देश्य

- ग्रामीण बीपीएल युवाओं की पहचान कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

- प्रस्तावित प्रशिक्षण मांग आधारित होगा।
- प्रशिक्षणार्थी को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यह उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के पश्चात निर्धारित किया जाएगा।
- बैंकों के साथ सुनिश्चित क्रेडिट लिंकेज के लिए मार्गदर्शक सहायता (हैंड होल्डिंग सपोर्ट) प्रदान किया जाएगा।
- सूक्ष्म उद्यम प्रशिक्षुओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही कम से कम दो वर्ष हेतु अनुरक्षी (एस्कॉर्ट) सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- प्रशिक्षुओं को निशुल्क भोजन एवं आवास के साथ गहन अल्पकालिक आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।

समर्थ पहल

समर्थ पहल: संदर्भ

- हाल ही में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ" प्रारंभ किया है, ताकि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया जा सके।

समर्थ पहल: प्रमुख बिंदु

- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं भारत एसएमई फोरम के सहयोग से एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - "महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना" (एंपावरिंग वूमेन एंटरप्रेन्योर्स) का आयोजन किया।
- सम्मेलन का आयोजन वर्तमान एवं आकांक्षी भारतीय महिला उद्यमियों को विश्व के विभिन्न हिस्सों से सर्वाधिक सफल महिला उद्यमियों के अनुभवों तथा उद्यमशीलता की यात्रा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ उद्यमिता में सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए किया गया है।
- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर एक व्यापक प्रस्तुति भी दी गई।

एमएसएमई में महिलाएं

- एमएसएमई क्षेत्र महिलाओं के लिए विपुल अवसर प्रदान करता है एवं इसलिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है।
- महिलाएं आज जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण एवं अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रही हैं तथा इस बारे में आशावादी हैं कि उनके लिए भविष्य में उनके लिए क्या है।

- सरकार द्वारा बढ़ी हुई समर्थनकारी पहलों के साथ, हम एक साथ भारत के भविष्य में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं।

समर्थ पहल क्या है?

- इस पहल के माध्यम से, एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास एवं बाजार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा ग्रामीण एवं उप-शहरी क्षेत्रों की 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, हजारों महिलाओं को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विपणन के अवसर प्राप्त होंगे।

समर्थ पहल के लाभ

- मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा।
- एनएसआईसी की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रक्रिया शुल्क पर 20% की छूट
- उद्यम पंजीकरण के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान।

स्त्री मनोरक्षा परियोजना

संदर्भ

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ वूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट/एमडब्ल्यूसीडी) ने सप्ताह भर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक भाग के रूप में स्त्री मनोरक्षा परियोजना प्रारंभ की है।

स्त्री मनोरक्षा परियोजना: प्रमुख बिंदु

- यह पहल निमहंस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज), बेंगलुरु के सहयोग से प्रारंभ की गई है।
- इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत में 6000 ओएससी कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- यह परियोजना मनोसामाजिक कल्याण पर बल देगी एवं इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है।

- यह परियोजना ओएससी (वन स्टॉप सेंटर) के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो कि ओएससी के पास आने वाली महिलाओं के मामलों को संभालने के तरीके के बारे में है, विशेष रूप से वे महिलाएं जिन्होंने उचित संवेदनशीलता एवं देखभाल के साथ हिंसा तथा संकट का सामना किया है।
- यह परियोजना ओएससी कर्मचारियों एवं परामर्शदाताओं के लिए स्व-देखभाल तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

स्त्री मनोरक्षा परियोजना के बारे में

- मंत्रालय द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर निमहंस द्वारा जिस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है, उसे दो प्रारूपों में प्रदान किया जाएगा।
- एक प्रारूप सभी ओएससी पदाधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा जिसमें सुरक्षा गार्ड, रसोइया, सहायक, केस वर्कर, परामर्शदाता, केंद्र प्रशासक, पैरा मेडिकल स्टाफ इत्यादि सम्मिलित हैं।
- दूसरा प्रारूप अग्रवर्ती पाठ्यक्रम पर बल देगा जो महिलाओं के प्रति अनेक हिंसा के मामले में बहु-पीढ़ी के निहितार्थ एवं आजीवन मानसिक आघात से संबंधित विभिन्न घटकों पर केंद्रित है।
- इस संबंध में, MWCD ने OSC परामर्शदाताओं के लिए अग्रवर्ती प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है तथा OSC कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए संसाधन सामग्री भी जारी की है।

वन स्टॉप सेंटर क्या है?

- एमडब्ल्यूसीडी ने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की है, जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रख्यत्र योजना की एक उप-योजना है।
- सखी के नाम से लोकप्रिय इस योजना को 2015 से क्रियान्वित किया गया है।
- निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे चरणबद्ध रूप से एकीकृत सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिए ये केंद्र पूरे देश में स्थापित किए जा रहे हैं।
- यौन उत्पीड़न, यौन बलात्संग, घरेलू हिंसा, मानव दुर्व्यापार, सम्मान संबंधी अपराध, एसिड अटैक अथवा डायन-संदिग्धता के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाएं जो ओएससी तक पहुंच गई हैं या उन्हें संदर्भित किया गया है, उन्हें विशेष सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- वर्तमान में देश में कुल 234 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यरत हैं।

तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट

समाचारों में तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तेजस (ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स) का शुभारंभ किया।
- भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन/NSDC) एवं खाड़ी देशों में स्थित EFS, DulSCO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन, फ्यूचर माइलज (FutureMilez), लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज, ईडीआई एवं प्राइम हेल्थ ग्रुप के मध्य समझौता ज्ञापन (मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- उन्होंने दुबई एक्सपो में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा इटली के केंद्रीय पवेलियन का भी दौरा किया।

तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु

- TEJAS (ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स) के बारे में:** TEJAS (ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स), प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है।
- उद्देश्य:** तेजस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल, प्रमाणन एवं विदेशों में रोजगार प्रदान करना है।
 - तेजस का उद्देश्य भारतीय कार्यबल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कौशल तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने हेतु मार्ग निर्मित करना है।
 - तेजस का लक्ष्य प्रारंभिक चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 10,000 सशक्त भारतीय कार्यबल तैयार करना है।

तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट का महत्व

- तेजस प्रवासी भारतीय जनसंख्या को प्रभावी कौशल प्रदान करेगा एवं विश्व को भारत से एक व्यापक कुशल कार्यबल प्रदान करेगा।
- तेजस भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक मार्ग के रूप में कार्य करेगा।
 - तेजस भारत-यूएई के मध्य मार्ग निर्मित करेगा एवं भारतीय कार्यबल को यूएई में बाजार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने में सक्षम बनाएगा।

दुबई एक्सपो 2022 के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु

- दुबई एक्सपो 2022 कोरोना वायरस महामारी के पश्चात मध्य पूर्व एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आयोजित होने वाले सर्वाधिक व्यापक आयोजनों में से एक है।

- विगत वर्ष अक्टूबर में आरंभ हुए छह महीने तक चलने वाले दुबई एक्सपो में 192 देशों ने भाग लिया था।
- दुबई एक्सपो 2020 में भारत का पवेलियन एक विशाल आयोजन है जो लगभग एक लाख वर्ग फुट में चार मंजिलों में फैला है।
- भारत का पवेलियन एक व्यापक समारोह है जो चार मंजिलों तथा लगभग एक लाख वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तृत है।
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले इस एक्सपो में भारत के पंद्रह राज्य तथा नौ केंद्रीय मंत्रालय भाग ले रहे हैं।

यूडीआईएसई+ 2020-21 रिपोर्ट

यूडीआईएसई+ 2020-21 रिपोर्ट समाचारों में

- शिक्षा मंत्रालय भारत की विद्यालयी शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस (Unified District Information System for Education Plus/यूडीआईएसई+) 2020-21 पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा।

यूडीआईएसई+ 2020-21 रिपोर्ट के बारे में प्रमुख बिंदु

- विकास:** स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में विद्यालयों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की यूडीआईएसई+ प्रणाली विकसित की गई थी।
- उद्देश्य:** यूडीआईएसई+ प्रणाली का उद्देश्य 2012-13 के पश्चात से यूडीआईएसई डेटा संग्रह प्रणाली में प्रखंड अथवा जिला स्तर पर कागज के प्रारूप में मैनुअल डेटा भरने एवं बाद में कंप्यूटर पर प्रभरण (फीडिंग) के पूर्ववर्ती अभ्यास से संबंधित मुद्दों को दूर करना है।
- सुधार:** यूडीआईएसई+ प्रणाली में, विशेष रूप से डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग तथा डेटा सत्यापन से संबंधित क्षेत्रों में सुधार किए गए हैं।

यूडीआईएसई+ 2020-21 विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों पर रिपोर्ट

- 2020-21 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित कुल छात्र 25.38 करोड़ थे।
 - 2019-20 में 25.10 करोड़ नामांकन की तुलना में 28.32 लाख नामांकन की वृद्धि हुई है।
- सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो/जीईआर):** यह मापता है कि 2019-20 की तुलना में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर 2020-21 में भागीदारी के सामान्य स्तर में सुधार हुआ है।
- 2019-20 की तुलना में 2020-21 में स्तर के अनुसार जीईआर हैं: उच्च प्राथमिक में 89.7% से 91.2%, प्राथमिक में 97.8% से 99.1%, माध्यमिक में 77.9% से 79.8% और उच्चतर माध्यमिक में क्रमशः 51.4% से 53.8%।
- स्कूली शिक्षा में शिक्षक:** 2020-21 के दौरान 96 लाख शिक्षक स्कूली शिक्षा में आस्थित हैं।

- यह 2019-20 में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की संख्या की तुलना में लगभग 8800 अधिक है।
- छात्र-शिक्षक अनुपात (प्यूपिल टीचर रेशियो/पीटीआर): 2020-21 में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राथमिक के लिए 26, उच्च प्राथमिक के लिए 19, माध्यमिक के लिए 18 एवं उच्चतर माध्यमिक के लिए 26 था, जिसमें 2018-19 के बाद से सुधार हुआ है।
 - 2018-19 के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए पीटीआर क्रमशः 28, 20, 21 तथा 30 था।
- विद्यालय में बालिकाएं: 2020-21 में 12.2 करोड़ से अधिक बालिकाओं ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में दाखिला लिया है, जिसमें 2019-20 में लड़कियों के नामांकन की तुलना में 11.8 लाख लड़कियों की वृद्धि हुई है।

यूडीआईएसई+ 2020-21 गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर रिपोर्ट

- गैर-शिक्षण कर्मचारी: विगत कुछ वर्षों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। 2018-19 में 12.37 लाख की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल गैर-शिक्षण कर्मचारी 15.8 लाख रहे।

यूडीआईएसई+ 2020-21 विद्यालय अवसंरचना पर रिपोर्ट

- क्रियाशील विद्युत व्यवस्था वाले विद्यालयों ने 2020-21 के दौरान विद्युत उपलब्ध कराने वाले 57,799 विद्यालयों को जोड़कर प्रभावशाली प्रगति की है।

- 2018-19 में 73.85 प्रतिशत की तुलना में अब कुल स्कूलों में से 84% में कार्यात्मक विद्युत व्यवस्था की सुविधा है, जो इस अवधि के दौरान 10.15% का उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।
- क्रियाशील पेयजल वाले स्कूलों का प्रतिशत 2019-20 में 93.7% से 2020-21 में बढ़कर 95.2% हो गया है।
- वर्ष के दौरान अतिरिक्त 11,933 स्कूलों में शौचालय की सुविधा को जोड़कर वर्ष 2019-20 में 93.2% की तुलना में 2020-21 में बालिकाओं हेतु क्रियाशील शौचालय सुविधाओं वाले विद्यालयों का प्रतिशत बढ़कर 93.91% हो गया है।
- 2020-21 के दौरान हाथ धोने की सुविधा वाले स्कूलों के प्रतिशत में भी सुधार हुआ है एवं अब यह 2019-20 में 90.2% की तुलना में 91.9% है।
- क्रियाशील कंप्यूटर वाले स्कूलों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 6 लाख हो गई, जो 2019-20 में 5.5 लाख थी, जो 3% की वृद्धि दर्शाती है। अब, 40% विद्यालयों में क्रियाशील कंप्यूटर हैं।
- इंटरनेट की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 2020-21 में 2.6% की वृद्धि के साथ बढ़कर 3.7 लाख हो गई, जो 2019-20 के 3.36 लाख थी।

नामांकन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

- 2020-21 के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हुए।

adda247

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

5वां बिस्मटेक शिखर सम्मेलन

5वां बिस्मटेक शिखर सम्मेलन

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 5वें बिस्मटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल/ बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी- सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनामिक कोऑपरेशन) शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- 5वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी बिस्मटेक के वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा वर्चुअल मोड में की गई है।

बिस्मटेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत

- भारत ने बिस्मटेक क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग तथा सुरक्षा को बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला एवं इस संबंध में अनेक सुझाव प्रस्तुत किए।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने समकक्ष नेताओं से बंगाल की खाड़ी को बिस्मटेक-सदस्य देशों के मध्य संयोजकता (कनेक्टिविटी), समृद्धि एवं सुरक्षा के सेतु में रूपांतरित करने का प्रयास करने का आह्वान किया।

5 वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन की थीम

- 5वीं बिस्मटेक की थीम:** 5वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु "एक प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग" (टुवर्ड्स ए रेसिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्थी पीपल) है।
- बिस्मटेक थीम में सहयोग गतिविधियों को विकसित करने हेतु बिस्मटेक द्वारा किए गए प्रयासों को सम्मिलित किया गया है जो कोविड -19 महामारी के आर्थिक एवं विकास परिणामों से निपटने के लिए सदस्य राज्य के कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं।

5 वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- 5वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन 2022 का मुख्य परिणाम बिस्मटेक चार्टर को अंगीकृत करना एवं उस पर हस्ताक्षर करना था।
 - बिस्मटेक चार्टर** समूह को ऐसे सदस्य राज्यों से निर्मित संगठन में औपचारिक रूप प्रदान करता है जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं एवं उस पर निर्भर हैं।
- शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा 'ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान' को अपनाने के साथ बिस्मटेक कनेक्टिविटी एजेंडा में भी अत्यधिक प्रगति हुई है।
 - परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान:** यह भविष्य में क्षेत्र में कनेक्टिविटी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शन संरचना निर्मित करता है।

- तीन बिस्मटेक समझौतों पर हस्ताक्षर: ये निम्नलिखित जारी सहयोग गतिविधियों में हासिल की जा रही प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं-
 - आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिस्मटेक अभिसमय;
 - राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिस्मटेक समझौता ज्ञापन तथा
 - बिस्मटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान की स्थापना पर एसोसिएशन का ज्ञापन।

बिस्मटेक देशों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु

- बिस्मटेक की स्थापना 1997 में दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य 5 देशों - दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल एवं श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देशों - म्यांमार एवं थाईलैंड के साथ एक विशिष्ट संपर्क प्रदान करने हेतु की गई थी।
- सहयोग के क्षेत्र:** अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए देश एक मंच के रूप में एक साथ आए।
 - प्रारंभ में, छह क्षेत्रों- व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन एवं मत्स्य पालन को क्षेत्रीय सहयोग के लिए सम्मिलित किया गया था जिसे बाद में सहयोग के 14 क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था।
- बिस्मटेक मुख्यालय:** बिस्मटेक का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में अवस्थित है।
- 17वां बिस्मटेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था।
- बिस्मटेक के नए महासचिव:** तेनज़िन लेकफेल।
- उद्देश्य:** क्षेत्र में आपसी व्यापार, संपर्क एवं सांस्कृतिक, तकनीकी तथा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना।

बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप दिया गया

BBIN पहल: संदर्भ

- हाल ही में, भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल ने बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते (एमवीए) को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप प्रदान किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

बीबीआईएन एमवीए: मुख्य बिंदु

- भूटान ने एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया तथा समझौता जापान को "भूटान द्वारा एमवीए के लंबित अनुसमर्थन" को अंतिम रूप प्रदान किया गया।
- मूल बीबीआईएन एमवीए पर सभी चार देशों द्वारा जून 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। यद्यपि, भूटान ने धारणीयता एवं पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी।
- भूटानी संसद ने तब योजना का अनुमोदन नहीं करने का निर्णय लिया एवं पूर्व प्रधानमंत्री तोबगे शेरींग की सरकार ने अन्य तीन देशों को 2017 में वाहनों की आवाजाही (बीआईएन-एमवीए) के लिए परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।
- 2020 में, प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान के "वर्तमान आधारीक संरचना" एवं "कार्बन- ऋणात्मक" देश बने रहने की सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए, एमवीए में सम्मिलित होने पर विचार करना संभव नहीं होगा।
- जबकि भारत "आशान्वित" बना रहा कि भूटान परियोजना पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, यह देखते हुए कि परियोजना पर भूटान की ओर से कोई नया संकेत नहीं है, इसे देखते हुए नवंबर 2021 में एक बैठक में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया।

बीबीआईएन पहल क्या है?

- BBIN आर्थिक परियोजना का उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत एवं नेपाल को सड़क मार्गों से जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा निर्मित करना है।
- बीबीआईएन कनेक्टिविटी परियोजना की कल्पना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन/सार्क) द्वारा 2014 में नेपाल में एक शिखर सम्मेलन में एक क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर सहमत होने में विफल रहने के बाद की गई थी, जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा इस परियोजना का विरोध था।

BBIN का महत्व

- बीबीआईएन क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इन दक्षिण एशियाई देशों की आर्थिक स्थितियों में सुधार की दिशा में एक कदम है।
- BBIN समझौता 'बांग्लादेश, भूटान, भारत तथा नेपाल के मध्य यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के आवागमन के नियमन के लिए निर्मित किया गया था एवं इन पड़ोसी देशों के मध्य परिवहन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी सहायता प्रदान करता है।
- कॉरिडोर माल, लोगों के मध्य संपर्क में भी वृद्धि करेगा एवं सुगम परिवहन का समर्थन करेगा।

- यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति प्रतिरोध के रूप में भी कार्य करेगा एवं साथ ही उप-क्षेत्रीय दक्षिण-एशियाई एकता के संबंध में एक सुदृढ़ मंच प्रस्तुत करेगा।

बीबीआईएन पहल: प्रमुख पहलू

- सदस्य राज्यों को कार्गो एवं यात्रियों के परिवहन के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में अपने वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी।
- पड़ोसी देश के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, सभी कारों को इलेक्ट्रॉनिक परमिट की आवश्यकता होगी तथा राष्ट्रों की सीमाओं के पार सीमा सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे।
- मालवाहक वाहनों को सीमा पर एक ट्रक से दूसरे ट्रक में उत्पादों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना चार देशों में से किसी में भी प्रवेश करने की अनुमति होगी।
- कार्गो ट्रकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया जाता है, परमिट ऑनलाइन प्रदान किए जाते हैं एवं इस प्रणाली के तहत सभी भूमि बंदरगाहों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से परमिट वितरित किए जाते हैं।
- हर बार जब कंटेनर का दरवाजा खोला जाता है, तो वाहन पर लगी एक इलेक्ट्रॉनिक सील अधिकारियों को सूचित करती है।

द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था

द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था: संदर्भ

- हाल ही में, भारत तथा जापान ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था का नवीनीकरण किया है जिसके अंतर्गत दोनों देश अमेरिकी डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं का विनिमय कर सकते हैं।

बाइलेट्रल स्वैप अरेंजमेंट: प्रमुख बिंदु

- दोनों देशों ने 28 फरवरी, 2022 से 75 अरब डॉलर तक की द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बाइलेट्रल स्वैप अरेंजमेंट/बीएसए) का नवीनीकरण किया है।
- बीएसए का उद्देश्य अन्य वित्तीय सुरक्षा जालों को सुदृढ़ एवं पूरक बनाना है तथा दोनों देशों के मध्य वित्तीय सहयोग को और गहन करना तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान करना है।

बाइलेट्रल स्वैप अरेंजमेंट क्या है?

- बीएसए एक दोतरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं का विनिमय कर सकते हैं।
- यह व्यवस्था भारत तथा जापान के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग एवं विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी में एक और मील का पत्थर है।

द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था के लाभ

- कठिनाई के समय में एक दूसरे की सहायता करने एवं अंतरराष्ट्रीय विश्वास बहाल करने के रणनीतिक उद्देश्य के लिए भारत एवं जापान के मध्य आपसी सहयोग का बाइलेट्रल स्वैप अरेंजमेंट (बीएसए) एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
- यह सुविधा उपयोग के लिए टैप पर भारत के लिए उपलब्ध पूंजी की सहमत राशि को सक्षम करेगी।
- साथ ही, इस व्यवस्था के लागू होने से, विदेशी पूंजी के दोहन में भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में सुधार होगा क्योंकि देश की विनिमय दर की स्थिरता में अधिक विश्वास होगा।
- भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट/बीओपी) से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए ऐसी स्वैप लाइनों की उपलब्धता घरेलू मुद्रा पर कल्पित (सट्टा) हमलों को रोकेगी तथा विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने की आरबीआई की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करेगी।

सार्क मुद्रा विनिमय

- सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा 15 नवंबर, 2012 को प्रवर्तन में आया।
- इसका उद्देश्य अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या दीर्घ अवधि की व्यवस्था होने तक भुगतान अभाव के अल्पकालिक संतुलन के लिए पञ्चगतिक सीमक (बैकस्टॉप) लाइन प्रदान करना था।
- 2019 में, आरबीआई ने सार्क क्षेत्र के भीतर वित्तीय स्थिरता एवं आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सार्क देशों के लिए 2019-2022 के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया था।
- यह ढांचा 14 नवंबर, 2019 से 13 नवंबर, 2022 तक वैध है।
- 2019-22 के ढांचे के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक 2 बिलियन अमरीकी डालर के समग्र कोष के भीतर स्वैप व्यवस्था की पेशकश करना जारी रखेगा।
- आहरण अमेरिकी डॉलर, यूरो अथवा भारतीय रुपये में की जा सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस सार्क मुद्रा विनिमय समझौते के तहत, 2020 में, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।



भारत की आर्कटिक नीति

समाचारों में भारत की आर्कटिक नीति

- हाल ही में, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने 'भारत एवं आर्कटिक: सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण' शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की।

भारत की आर्कटिक नीति

- **भारत की आर्कटिक नीति के बारे में:** भारत की आर्कटिक नीति जिसका शीर्षक 'भारत एवं आर्कटिक: सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण' है।
- **भारत की आर्कटिक नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी:** राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (द नेशनल सेंटर फॉर सोलर एंड ओशन रिसर्च/एनसीपीओआर) भारत की आर्कटिक नीति के लिए नोडल संस्थान है।
- **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है।**
- **भारत की आर्कटिक नीति के स्तंभ:** इसके छह स्तंभ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है-
 - भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सहयोग को सुदृढ़ करना,
 - जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षण,
 - आर्थिक एवं मानव विकास,
 - परिवहन तथा कनेक्टिविटी,
 - शासन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और
 - आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।
- **भारत की आर्कटिक नीति का कार्यान्वयन:**
 - भारत की आर्कटिक नीति एक कार्य योजना तथा एक प्रभावी शासन एवं समीक्षा तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी जिसमें अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह सम्मिलित है।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** भारत की आर्कटिक नीति को लागू करने में शिक्षा, अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय तथा उद्योग जगत सहित कई हितधारक शामिल होंगे।

भारत की आर्कटिक नीति का महत्व

- भारत आर्कटिक के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे देशों के एक विशिष्ट समूह में सम्मिलित होने हेतु आगे बढ़ा है।
- **आर्कटिक परिषद:** भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले तेरह देशों में से एक है।
 - **आर्कटिक परिषद के बारे में:** आर्कटिक परिषद एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकारों एवं आर्कटिक के स्थानिक लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करता है।

- पर्यवेक्षक राष्ट्र: तेरह (13) राष्ट्र आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक हैं- फ्रांस, जर्मनी, इतालवी गणराज्य, जापान, नीदरलैंड, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पोलैंड, भारत, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम।
- आर्कटिक पर भारत का रुख: भारत का कहना है कि समस्त मानवीय गतिविधियां धारणीय, उत्तरदायी, पारदर्शी एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान पर आधारित होनी चाहिए।

भारत की आर्कटिक नीति के प्रमुख उद्देश्य

भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित कार्य सूची को प्रोत्साहित करना है-

- आर्कटिक क्षेत्र के साथ विज्ञान एवं अन्वेषण, जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षण, समुद्री एवं आर्थिक सहयोग में **राष्ट्रीय क्षमताओं तथा दक्षताओं को सुदृढ़ करना।**
 - सरकार एवं शैक्षणिक, अनुसंधान तथा व्यावसायिक संस्थानों के भीतर संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
- आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में **अंतर-मंत्रालयी समन्वय।**
- भारत की जलवायु, आर्थिक एवं ऊर्जा सुरक्षा पर **आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाना।**
- वैश्विक नौवहन मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा एवं खनिज संपदा के दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य तथा रणनीतिक हितों पर आर्कटिक में बर्फ के पिघलने के प्रभाव पर बेहतर विश्लेषण, पूर्वानुमान एवं समन्वित नीति निर्माण में योगदान देना।
- **ध्रुवीय क्षेत्रों तथा हिमालय के मध्य संबंधों का अध्ययन।**
- विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत **भारत एवं आर्कटिक क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग को और गहन करना**, वैज्ञानिक तथा पारंपरिक ज्ञान से विशेषज्ञता प्राप्त करना।
- आर्कटिक परिषद में **भारत की सहभागिता में वृद्धि करना** एवं आर्कटिक में जटिल शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा क्षेत्र की भू-राजनीति की समझ में सुधार करना।

निष्कर्ष

भारत की आर्कटिक नीति देश को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी जहां मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौतियों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, को सामूहिक इच्छा शक्ति एवं प्रयास के माध्यम से हल किया जा सकता है।

व्यापार एवं निवेश पर भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय संवाद

समाचारों में व्यापार एवं निवेश पर भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता

- हाल ही में, भारत एवं कनाडा ने व्यापार तथा निवेश (मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट/एमडीटीआई) पर

पांचवीं मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री एवं उनके कनाडाई समकक्ष ने की।

व्यापार एवं निवेश पर पांचवें भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता में प्रमुख समझौते

- **भारत-कनाडा सीईपीए को अंतिम रूप प्रदान करना:** मंत्रियों ने भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट/सीईपीए) के लिए वार्ता को औपचारिक रूप से पुनः प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की।
- **अंतरिम समझौता:** वे एक अंतरिम समझौते या अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (ईपीटीए) पर भी विचार करेंगे जो दोनों देशों को शीघ्र व्यावसायिक लाभ प्रदान कर सकता है। अंतरिम समझौते में सम्मिलित होंगे-
 - वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं एवं विवाद निपटान में उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धताएं, एवं
 - पारस्परिक रूप से सहमत किसी अन्य क्षेत्र को भी सम्मिलित कर सकते हैं।
- **कृषि निर्यात को बढ़ावा देना:** दोनों देश दालों में कीट जोखिम प्रबंधन तथा स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न एवं केला इत्यादि जैसे भारतीय कृषि वस्तुओं के लिए बाजार अभिगम के लिए कनाडा के सिस्टम दृष्टिकोण की मान्यता के संबंध में गहन कार्य करने पर सहमत हुए।
- **जैविक निर्यात की सुविधा:** कनाडा भारतीय जैविक निर्यात उत्पादों की सुविधा के लिए एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण/एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) को अनुरूपता सत्यापन निकाय (कनफॉरमेटी वेरिफिकेशन बॉडी/सीवीबी) की स्थिति के अनुरोध की शीघ्र जांच करने हेतु सहमत हुआ।
- **लोचशील आपूर्ति शृंखला की स्थापना:** उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोचशील आपूर्ति शृंखला स्थापित करने के महत्व को स्वीकार किया एवं इस क्षेत्र में सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- **लोगों से लोगों के मध्य सहयोग:** उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में पेशेवरों एवं कुशल श्रमिकों, छात्रों तथा व्यापार-कर्ता यात्रियों के आवागमन सहित दोनों देशों के मध्य लोगों से लोगों के सुदृढ़ संबंधों की भूमिका को भी नोट किया।

भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) का महत्व

- भारत-कनाडा व्यापक व्यापार समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं को खोलकर वस्तुओं तथा सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने में सहायता प्राप्त होगी।

- विभिन्न क्षेत्रों में भारत-कनाडा सहयोग भारत एवं कनाडा के मध्य व्यापार तथा निवेश संबंधों की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने में सहायता करेगा।

श्रीलंका में चीन के उद्यमों को भारतीय विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना

भारत-श्रीलंका संबंधों में चीनी कोण

- हाल ही में, भारतीय ऊर्जा परियोजनाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब, भारत जाफना से सुदूर स्थित तीन द्वीपों में हाइड्रिड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा, जो विगत वर्ष कोलंबो द्वारा स्वीकृत चीनी उद्यम को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित कर देगा।
- परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन श्रीलंका गए भारतीय विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर तथा उनके श्रीलंकाई समकक्ष जी. एल. पेडरिस के मध्य हाल ही में हुई बैठक के दौरान हस्ताक्षरित था।

श्रीलंका में चीनी विद्युत परियोजनाओं की पृष्ठभूमि

- जनवरी 2021 में, श्रीलंका ने एशिया डेवलपमेंट बैंक-समर्थित प्रतिस्पर्धी बोली के बाद, चीनी कंपनी सिनोसोअर-एटेकविन को नैना तिवु, डेलफ्ट या नेदुन थावु, तथा एनालाइटिवू द्वीपों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रदान करने का निर्णय लिया।
- भारत ने तमिलनाडु से मात्र 50 किमी दूर पाक खाड़ी में प्रारंभ होने वाली चीनी परियोजना पर श्रीलंकाई पक्ष को अपनी चिंता व्यक्त की।
 - नई दिल्ली ने उसी परियोजना को ऋण के स्थान पर अनुदान के साथ निष्पादित करने की पेशकश की।
- एक वर्ष से अधिक समय तक एक पक्ष का चयन करने में असमर्थ, कोलंबो ने इस परियोजना को निलंबित कर दिया, स्पष्ट रूप से चीन की परियोजना को स्थगित कर दिया।
- हाल ही में, कोलंबो में चीनी राजदूत ने "अज्ञात कारणों" के लिए परियोजनाओं के बाधित होने पर असामान्य आलोचना की एवं कहा कि इससे संभावित विदेशी निवेशकों को गलत संदेश गया।

उत्तरी श्रीलंका में भारतीय ऊर्जा परियोजनाएं

- उत्तर-पूर्वी श्रीलंका में भारतीय ऊर्जा परियोजनाएं: निम्नलिखित हेतु हाल के समझौतों के बाद यह श्रीलंका के उत्तर तथा पूर्व में स्थापित होने वाली तीसरी भारतीय ऊर्जा परियोजना होगी-
 - पूर्वी सम्पुर शहर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का सौर उद्यम, एवं

- उत्तर में मन्नार तथा पूनरिन में अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।

मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (MRCC)

- भारत-श्रीलंका ने एक सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र (मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर/MRCC) स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की, जो पड़ोसियों के मध्य रक्षा क्षेत्र में बृहतर सहयोग का संकेत देता है।
- मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (MRCC) पहल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा 6 मिलियन डॉलर का भारतीय अनुदान शामिल है।

भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्वीकृत अन्य प्रमुख समझौते

- भारत उत्तरी प्रांत के प्वाइंट पेड्रो, पेसलाई एवं गुरुनगर में तथा राजधानी कोलंबो के दक्षिण में बालापिटिया में मात्स्यिकी बंदरगाह विकसित करने में भी सहायता करेगा।
- भारत ने श्रीलंका के दक्षिणी गाले जिले में कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं स्मार्ट बोर्ड के साथ विद्यालयों के लिए सहयोग करने, श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए अनुदान देने तथा राजनयिक प्रशिक्षण में सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की।

इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट

भारत बांग्लादेश संबंध: संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी मंत्री ने पटना (बिहार) से बांग्लादेश के रास्ते पांडु (असम) तक खाद्यान्न की पहली यात्रा का स्वागत किया।

भारत-बांग्लादेश नवाचार मार्ग: प्रमुख बिंदु

- स्वचालित जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय खाद्य निगम (फूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया/ एफसीआई) के लिए कुल **200 मीट्रिक टन खाद्यान्न** का परिवहन किया।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया/आईडब्ल्यूआई) राष्ट्रीय जलमार्ग (नेशनल वॉटरवेज/एनडब्ल्यू) **एनडब्ल्यू 1** तथा **एनडब्ल्यू 2** के मध्य एक निश्चित निर्धारित नौचालन (शेड्यूल सेलिंग) चलाने की योजना बना रहा है। यह असम एवं पूर्वोत्तर भारत के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग का प्रतीक होगा।
- कल्पना चावला तथा एपीजे अब्दुल कलाम नामक दो जहाजों के साथ एक अन्य जहाज एम वी राम प्रसाद बिस्मिल ने 17 फरवरी 22 को हल्दिया से यात्रा प्रारंभ की एवं पांडु पहुंचने के मार्ग में है।

अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2022

- प्रधान मंत्री गति शक्ति ने बांग्लादेश के माध्यम से ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को पुनः जीवंत करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।

इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट: महत्व

- इसने असम में अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग का प्रारंभ किया है।
- यह व्यावसायी समुदाय को एक व्यवहार्य, आर्थिक एवं पारिस्थितिक विकल्प प्रदान करेगा।
- जलमार्ग के माध्यम से माल का आवागमन भारत के पूर्वोत्तर को विकास के इंजन के रूप में सक्रिय करने में केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहा है।
- यह भारत की एक ईस्ट नीति के अनुरूप है।
- लंबे समय से इस क्षेत्र में विकास को अशक्त बना रहे भू-आबद्ध पहुंच को मध्य से काटकर जलमार्ग गुजरेगा।
- जलमार्ग न केवल इस भौगोलिक बाधा को दूर करेगा, बल्कि व्यवसाय एवं क्षेत्र के लोगों के लिए एक किफायती, तीव्र एवं सुविधाजनक परिवहन भी प्रदान करेगा।

भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के बारे में

- अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल भारत तथा बांग्लादेश के मध्य अस्तित्व में है जिसके अंतर्गत एक देश के अंतर्देशीय जलपोत दूसरे देश के निर्दिष्ट मार्गों से पारगमन कर सकते हैं।
- मौजूदा प्रोटोकॉल मार्ग हैं:
 - कोलकाता-पांडु-कोलकाता
 - कोलकाता-करीमगंज - कोलकाता
 - राजशाही-धुलियन-राजशाही
 - पांडु-करीमगंज-पांडु
- नौवहन क्षमता में सुधार के लिए, आईबीपी मार्गों के दो हिस्सों, सिराजगंज-दाइखोवा एवं आशुगंज-जकीगंज को भी 80:20 शेयर के आधार पर 305.84 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है (80% भारत द्वारा तथा 20% बांग्लादेश द्वारा वहन किया जा रहा है)।
- इन हिस्सों के विकास से उत्तर पूर्वी क्षेत्र को निर्बाध नौवहन प्राप्त होने की संभावना है।
- सात वर्षों (2019 से 2026 तक) की अवधि के लिए अपेक्षित गहनता प्रदान करने एवं बनाए रखने के लिए दो हिस्सों पर तलकषण (ड्रेजिंग) के अनुबंध जारी हैं।
- एक बार भारत-बांग्लादेश नवाचार (इंडिया-बांग्लादेश प्रोटोकॉल/आईबीपी) मार्ग संख्या 5 एवं 6 भारत में फरक्का के समीप मैया से बांग्लादेश में अरेचा तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) को जोड़ने वाली आईडब्ल्यूटी दूरी लगभग 1000 किमी कम हो जाएगी, जिससे समय तथा लागत काफी हद तक कम हो जाएगी।

समाचारों में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम

- हाल ही में, भारत के निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई) ने वर्चुअल इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आईईवीपी) 2022 की मेजबानी की।

अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम/आईईवीपी) 2012 के चुनावों के बाद से भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- **इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के बारे में:** अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों का दौरा करने एवं व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर चुनावी प्रक्रियाओं को व्यवहार में देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
 - यात्रा प्रतिबंधों के साथ कोविड महामारी के दौरान भी, भारत में आईईवीपी को बंद नहीं किया गया है एवं एक अभिनव आभासी माध्यम में इसे आयोजित किया जा रहा है।
- **भागीदारी:** चुनाव प्रबंधन निकायों (इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज/ईएमबी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) 2022 में लगभग 32 देशों तथा चार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।
- **प्रमुख कार्यक्रम:** गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए जारी चुनावों का एक सिंहावलोकन, ऑनलाइन भाग लेने वाले 150 से अधिक ईएमबी प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भारत का निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई)

- **गठन:** भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी।
 - 1989 तक, यह एक एकल सदस्यीय आयोग था जिसे चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा तीन सदस्यों तक विस्तारित किया गया था।
 - बाद में 1990 में, चुनाव आयुक्तों (इलेक्शन कमिश्नर्स/ईसी) के दो पदों को समाप्त कर दिया गया था, किंतु 1993 में पुनः राष्ट्रपति ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। उस समय से, भारत के निर्वाचन आयोग के पास एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं।

- **भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में:** भारत का निर्वाचन आयोग भारत में संघ तथा राज्य के निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
- **मुख्य कार्य:** भारत का चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई) भारत में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं एवं देश में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - भारतीय संवधान का भाग XV: निर्वाचन से संबंधित है तथा इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है।
 - संविधान का अनुच्छेद 324 से 329: आयोग तथा सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता इत्यादि से संबंधित है।

एनडीआरएफ ने यूक्रेन को राहत सामग्री भेजी

संदर्भ

- भारत ने अपने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स/एनडीआरएफ) के माध्यम से पोलैंड के मार्ग से यूक्रेन को राहत सामग्री भेजी है।
 - यूक्रेन के दूत इगोर पोलिखा ने अपने देश को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।
- एनडीआरएफ ने यूक्रेन के लोगों के लिए कंबल, स्लीपिंग बैट एवं सोलर स्टडी लैंप इत्यादि सहित राहत सामग्री उपलब्ध कराई है।

यूक्रेन रूस युद्ध पर हाल के घटनाक्रम

- हाल ही में, रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मास्को यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने हेतु वार्ता के लिए तैयार है, किंतु यूक्रेन के सैन्य आधारीक संरचना को नष्ट करने के अपने प्रयास को जारी रखेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) अभियोजक ने एक जांच प्रारंभ की है जो युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराध अथवा नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने गए वरिष्ठ अधिकारियों को लक्षित कर सकती है।
- एक ऐतिहासिक मतदान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस आक्रमण की निंदा की गई, क्योंकि वैश्विक ब्रांड रूस से बाहर निकल गए तथा रूबल ने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के बारे में:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट/एनडीएमए), 2005 एक आपदा या आशंकाप्रद आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (नेशनल

डिजास्टर रिस्पांस फोर्स/एनडीआरएफ) की स्थापना हेतु प्रावधान करता है।

- **विधिक स्थिति:** राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) एनडीएमए, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- **शासी प्राधिकरण:** राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एनडीएमए में निहित होगा।
- **एनडीआरएफ बलों की अवस्थिति:** एनडीआरएफ बटालियन देश की संवेदनशीलता प्रोफाइल के आधार पर देश में 16 अलग-अलग स्थानों पर अवस्थित हैं एवं आपदा स्थलों पर उनकी तैनाती के लिए प्रतिक्रिया समय को कम कर देती हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के मध्य क्वाड शिखर सम्मेलन

क्वाड शिखर सम्मेलन समाचारों में

- हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एवं जापानी प्रधानमंत्री के साथ क्वाड नेताओं के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- क्वाड समिट 2022 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का पालन करने के महत्व को दोहराया।

रूस-यूक्रेन युद्ध के मध्य क्वाड शिखर सम्मेलन- प्रमुख बिंदु

- क्वाड बैठक ने सितंबर 2021 क्वाड शिखर सम्मेलन के पश्चात से क्वाड पहल पर हुई प्रगति की समीक्षा की।
- क्वाड नेताओं ने इस वर्ष के अंत में जापान में शिखर सम्मेलन द्वारा ठोस परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से सहयोग में गति लाने पर सहमति व्यक्त की।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध पर:** क्वाड बैठक में यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें इसके मानवीय निहितार्थ भी सम्मिलित हैं।
 - भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने एवं वार्ता तथा कूटनीति के मार्ग पर वापस लौटने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **अन्य चर्चित मुद्दे:** क्वाड नेताओं ने निम्नलिखित मुद्दों पर भी चर्चा की-
 - दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति,
 - हिंद महासागर क्षेत्र एवं
 - प्रशांत द्वीप समूह (पेसिफिक आईलैंड)।

क्वाड समिट: क्वाड के लिए भारत का विजन

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक रीजन) पर फोकस:** भारत ने कहा कि क्वाड को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए।

- सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार: भारत ने क्वाड के भीतर सहयोग के ठोस एवं व्यावहारिक रूपों का आह्वान किया, जैसे-



- मानवीय एवं आपदा राहत,
- ऋण स्थिरता,
- आपूर्ति श्रृंखला,
- स्वच्छ ऊर्जा,
- कनेक्टिविटी, एवं
- क्षमता निर्माण।

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) - प्रमुख बिंदु

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के बारे में: चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक अनौपचारिक भू-रणनीतिक समूह है।
 - "क्वाड" गठबंधन का विचार, यद्यपि प्रथम बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह 2017 में ही वास्तविकता में परिणत हुआ।
- क्वाड का उद्देश्य: क्वाड सदस्य एक "निर्बाध, मुक्त एवं समृद्ध" इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने तथा समर्थन करने के लिए एक साझा उद्देश्य के साथ आए हैं।
 - क्वाड को भारत-प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से भू-रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक समूह के रूप में माना जाता है।

रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनजीए की बैठक

संदर्भ

- रूस-यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली/यूएनजीए) की बैठक हाल ही में आयोजित की गई है जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हिंसा को तत्काल बंद करने एवं यूक्रेनी क्षेत्र से रूस की सेना को वापस बुलाने का आह्वान किया।
- उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के लिए एक त्रासदी का सामना कर रहे हैं, किंतु हम सभी के लिए संभावित विनाशकारी प्रभावों के साथ एक बड़ा क्षेत्रीय संकट भी है।
- यूक्रेन पर प्रस्ताव, जिसे यूएनजीए के ग्यारहवें आपातकालीन विशेष सत्र में सुना जा रहा है, को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अधिदेशित किया गया था।

- इससे पूर्व, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 8979 में रूस की आलोचना करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयास को रूसी प्रतिनिधि ने वीटो कर दिया था।

यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएनजीए की बैठक का महत्व

- भारत सहित 100 से अधिक सूचीबद्ध वक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य प्रकट करने के पश्चात, यूएनजीए के प्रस्ताव पर मंगलवार को किसी समय मतदान होने की संभावना है।
- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा-
 - यूक्रेन पर रूसी "आक्रामकता" "सर्वाधिक कठोरतम शब्दों में निंदा करेगी",
 - सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग करेगी, तथा
 - डोनेट्स्क एवं लुहान्स्क के परिक्षेत्रों को मान्यता देने के रूसी निर्णय को प्रतिलोमित करेगी।
- UNGA वार्ता पर तत्काल वापसी एवं सभी पक्षों के लिए मानवीय सहायता के लिए सभी नागरिकों हेतु "द्रुत, सुरक्षित एवं निर्बाध" पहुंच की अनुमति तथा सुविधा प्रदान करने की मांग करता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर विभिन्न देशों का रुख

- **रूस:** उसने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी। रूस ने रूसी परमाणु हथियारों को और अधिक अलर्ट पर रखने का भी निर्णय लिया है।
- **बेलारूस:** बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में अपने देश की गैर-परमाणु स्थिति को प्रतिलोमित करने का निर्णय लिया है।
- **यूक्रेन:** संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत ने रूस की कार्रवाइयों एवं परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की घोषणा को "पागलपन" कहा तथा चेतावनी दी कि "यदि यूक्रेन का अस्तित्व नहीं रहा, तो संयुक्त राष्ट्र नहीं बचेगा"।
- **रूस:** संयुक्त राष्ट्र संघ में रूसी राजदूत ने आरोप लगाया कि यह यूक्रेन था न कि रूस ने "यह शत्रुता" आरंभ की थी।
 - उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सरकार ने "संकट की जड़ें" रोपित की थीं एवं 2015 के मिन्स्क समझौते को लागू नहीं किया था।
 - इससे पूर्व रूस ने मांग पूरी नहीं होने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। रूस ने रूसी परमाणु हथियारों को और अधिक अलर्ट पर रखने का भी फैसला किया।
- **भारत:** भारत से व्यापक रूप से यूएनजीए में प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है, जो यूएनएससी 8979 का काफी कठिन एवं लंबा संस्करण है।
 - यद्यपि, नागरिकों एवं शरणार्थियों के लिए मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने पर यूएनएससी में चर्चा के कारण भारत एक अन्य प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रवृत्त हो सकता है।

रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संकल्प

समाचारों में

- हाल ही में, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल/यूएनएचआरसी) में जारी रूस-यूक्रेन युद्ध पर मतदान संपन्न हुआ।
- भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान से स्वयं को पृथक रखा क्योंकि परिषद ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाईयों की जांच के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन करने का निर्णय लिया।
- रूस यूक्रेन संघर्ष पर, भारत ने अब तक स्वयं को पृथक रखा है-
 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीन वोट,
 - न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो वोट,
 - जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में दो वोट, एवं
 - वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) में एक वोट।

यूक्रेन में रूस की कार्रवाई पर यूएनएचआरसी संकल्प

- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा अंगीकृत किया जाने वाला अभी तक शेष सर्वाधिक सशक्त, यूएनएचआरसी प्रस्ताव रूस द्वारा आक्रामकता की "कड़ी निंदा" करता है, एवं
- यूएनएचआरसी के प्रस्ताव में कहा गया है कि वह रूसी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन, नागरिक हताहतों एवं आबादी वाले क्षेत्रों में रूसी "बमबारी एवं गोलाबारी" के कारण 6,60,000 शरणार्थियों के जबरन विस्थापन की रिपोर्टों के बारे में "गंभीर रूप से चिंतित" था।
- जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना:
 - समर्थन में वोट: 32 देशों या परिषद के लगभग दो-तिहाई देशों ने उस संकल्प के पक्ष में मतदान किया जिसमें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को एक वर्ष के लिए तीन मानवाधिकार विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए कहा गया था।
 - यह "समस्त कथित उल्लंघनों एवं मानवाधिकारों के दुरुपयोग तथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन एवं संबंधित अपराधों की जांच करने हेतु अधिदेशित है।
 - मतदान से अनुपस्थित: भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बे कस्तान एवं वेनेजुएला सहित यूएनएचआरसी के 48 सदस्यों में से कुल 13 सदस्य रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे।
 - मतदान का विरोध: मात्र रूस एवं इरिट्रिया ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया।

डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन

- खबरों में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
 - हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र

(डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन) (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

- भारत ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन संपूर्ण विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम एवं एकमात्र वैश्विक दूरस्थ केंद्र (कार्यालय) होगा।

डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में मुख्य तथ्य

प्रमुख भूमिका:

- WHO GCTM पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित सभी वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा।
- डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सदस्य देशों को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान, प्रथाओं एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को आकार देने में भी सहायता प्रदान करेगा।

- मूल मंत्रालय:** डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के अधीन जामनगर में की जाएगी।
- महत्व:** आगामी WHO- GCTM एवं WHO के सहयोग से कई अन्य पहले भारत को संपूर्ण विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के स्थापन में लाने में सहायता करेगी।

भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना निम्नलिखित को अग्रसर करेगी-

- आयुष प्रणालियों को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने हेतु
- पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना।
- पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता, पहुंच तथा तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना।
- डेटा अंडरटेकिंग एनालिटिक्स एकत्र करने तथा प्रभाव का आकलन करने हेतु प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों, उपकरणों एवं कार्यप्रणाली में मानदंड, मानक एवं दिशा निर्देश विकसित करना।
 - वर्तमान टीएम डेटा बैंकों, आभासी पुस्तकालयों एवं शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से डब्ल्यूएचओ टीएम सूचना विज्ञान केंद्र की परिकल्पना करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिकता के क्षेत्रों में विशिष्ट क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना तथा परिसर, आवासीय, या वेब-आधारित तथा डब्ल्यूएचओ अकादमी एवं अन्य रणनीतिक भागीदारों के साथ साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास

"सागर परिक्रमा" कार्यक्रम

संदर्भ

- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर "सागर परिक्रमा" कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

"सागर परिक्रमा" कार्यक्रम- प्रमुख बिंदु

- सागर परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में: हमारे समुद्रों के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में, सागर परिक्रमा कार्यक्रम हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों एवं मछुआरों का अभिनंदन कर रहा है।
- 'सागर परिक्रमा' कार्यक्रम का प्रथम चरण गुजरात से 5 फरवरी 2022 को 2 दिनों के लिए प्रारंभ होगा।
- उद्देश्य: सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा एवं तटीय मत्स्य पालक समुदायों की आजीविका तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के मध्य धारणीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना है।
- कार्यक्रम का आयोजन: सागर परिक्रमा कार्यक्रम सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मनाए जाने का प्रस्ताव है।
 - सागर परिक्रमा कार्यक्रम गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह से एक पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से मनाया जाना है।
 - सागर परिक्रमा कार्यक्रम इन स्थानों एवं जिलों में मत्स्य पालकों, मछुआरे समुदायों एवं हितधारकों के साथ अंतः क्रिया कार्यक्रम है।
- महत्व:
 - तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए 75वें "आजादी का अमृत महोत्सव" के एक भाग के रूप में सागर परिक्रमा कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
 - सागर परिक्रमा के तहत, समस्त मत्स्य पालकों, मत्स्य उत्पादकों एवं संबंधित हितधारकों के साथ आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए तटीय क्षेत्र में समुद्र में एक विकासवादी यात्रा की परिकल्पना की गई है।
- मूल मंत्रालय एवं अन्य हितधारक: सागर परिक्रमा को मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के साथ मनाया जाना है-

- मत्स्य पालन विभाग, गुजरात सरकार,
- भारतीय तटरक्षक बल,
- भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण,
- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एवं
- मत्स्य पालकों के प्रतिनिधि

"सागर परिक्रमा" कार्यक्रम- प्रमुख घटनाक्रम

- कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मत्स्य पालकों, विशेष रूप से तटीय मछुआरों, माहीगीरों एवं मत्स्य उत्पादकों, युवा मत्स्य उद्यमियों इत्यादि को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केसीसी तथा राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र /स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- पीएमएमएसवाई योजना, राज्य योजनाओं, एफआईडीएफ, केसीसी इत्यादि पर साहित्य को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो, डिजिटल अभियानों के माध्यम से तुकांतक कविताओं (जिंगल) के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाएगा ताकि योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए मत्स्य पालकों के मध्य लोकप्रिय बनाया जा सके।

खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन स्वीकृत

भारत में खान तथा खनिज: संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के लिए खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए खान मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

खान एवं खनिज अधिनियम: प्रमुख बिंदु

- ग्लूकोनाइट, पोटैश, एमराल्ड, प्लैटिनम समूह के धातु (प्लैटिनम ग्रुप ऑफ़ मेटल्स/पीजीएम), अंडालसाइट, सिलिमेनाइट एवं मोलिब्डेनम के लिए रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट की जाएगी।
- अनुमोदन से उपरोक्त खनिजों के संबंध में खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी।

खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957: संशोधन के लाभ

- अनुमोदन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आयात प्रतिस्थापन को प्रेरित करेगा जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी।
- यह खनिजों के स्थानीय उत्पादन के माध्यम से देश की विदेशी निर्भरता को कम करेगा।

- संशोधन से खनन क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में भी सशक्तिकरण के अवसर उत्पन्न होंगे।
- संशोधन समाज के एक बड़े वर्ग के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

खान एवं खनिज अधिनियम में संशोधन

- खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 देश की खनिज संपदा के आवंटन में पारदर्शिता एवं गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने हेतु नीलामी के माध्यम से खनिज रियायतें प्रदान करने की नई व्यवस्था के प्रारंभ हेतु खान एवं खनिज अधिनियम को 2015 में संशोधित किया गया था।
- खनिज क्षेत्र को और गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2021 में अधिनियम में और संशोधन किए गए हैं।
 - सुधारों के तहत, सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी, उत्पादन में वृद्धि, देश में व्यापारिक सुगमता में सुधार तथा समग्र रूप से सकल घरेलू उत्पाद में खनिजों के योगदान में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अभिवर्धन प्रदान किया है।

खनन क्षेत्र में उठाए गए कदम

- खान मंत्रालय ने देश में खनिजों के अन्वेषण में वृद्धि करने हेतु भी कदम उठाए हैं, जिससे नीलामी के लिए अधिक ब्लॉक की उपलब्धता हुई है।
- न केवल लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे परंपरागत खनिजों के लिए बल्कि गहरे बैठे खनिजों, उर्वरक खनिजों, महत्वपूर्ण खनिजों और खनिजों के आयात के लिए भी अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि हुई है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जैसी एजेंसियों ने अन्वेषण किया है तथा राज्य सरकारों को खनिजों के कई ब्लॉकों की रिपोर्ट सौंपी है जिनका अब तक देश में खनन नहीं किया गया है।



खनिजों का उपयोग

- ग्लूकोनाइट एवं पोटैश जैसे खनिजों का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है।

- प्लैटिनम समूह की धातुएं (पीजीएम) उच्च मूल्य वर्ग की धातुएं हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों एवं नए नवोन्मेषी अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- अंडालूसाइट, मोलिब्डेनम जैसे खनिज औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं।

उचित एवं लाभकारी मूल्य: महाराष्ट्र मुद्दे का समाधान

गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य: संदर्भ

- हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया है, जो चीनी मिलों को दो चरणों में मूल उचित एवं लाभकारी मूल्य (फेयर एंड रेस्प्युनेरेटिव प्राइस/एफआरपी) का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा। इस पहल को संबंधित हितधारकों से मिश्रित सुधार प्राप्त हुए हैं।

उचित एवं लाभकारी मूल्य समाचार: प्रमुख बिंदु

- हालांकि चीनी उद्योग ने इस कदम का स्वागत किया है, किंतु किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया है।

एफआरपी यूपीएससी के बारे में

- एफआरपी सरकार द्वारा घोषित मूल्य है, जो मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने हेतु विधिक रूप से बाध्य हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से एवं चीनी उद्योग के संघों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के पश्चात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज/सीएसीपी) की संस्तुतियों के आधार पर तय किया जाता है।

एफआरपी के अंतर्गत भुगतान

- एफआरपी का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है।
- आदेश में गन्ने की आपूर्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है।
- यद्यपि, मिलों के पास किसानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प उपलब्ध है, जो उन्हें किश्तों में एफआरपी का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- भुगतान में किसी भी प्रकार के विलंब पर वार्षिक 15 प्रतिशत तक ब्याज लग सकता है।

एफआरपी में प्रस्तावित बदलाव

- मिलों को अब दो किश्तों में एफआरपी का भुगतान करना होगा।
- उन्हें पिछले सीजन की रिकवरी पर निर्भर रहने के बजाय मौजूदा सीजन की रिकवरी के हिसाब से भुगतान करना होगा।

एफआरपी में बदलाव का महत्व

- चीनी मिलों ने पिछले सीजन की चीनी रिक्वरी के आधार पर किसानों को भुगतान किया।
 - चीनी की पुनर्प्राप्ति (रिक्वरी) उत्पादित चीनी बनाम गन्ने की पेराई के मध्य का अनुपात है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
 - रिक्वरी जितनी अधिक होगी, एफआरपी उतना ही अधिक होगा एवं चीनी का उत्पादन अधिक होगा।
- इस प्रकार, वर्तमान सीजन (2021-22) में मिलों को 2020-21 सीजन की वसूली के अनुसार भुगतान करना होगा।
- प्रस्तावित परिवर्तन भुगतान प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाते हैं।
- चीनी मिलें अपने चीनी स्टॉक को गिरवी रखकर धन जुटाती हैं एवं बिक्री से प्राप्तियों का उपयोग अपने कर्ज को चुकाने के लिए करती हैं।
- अतः, एक वर्ष में जब बिक्री कम होती है, या बंपर उत्पादन के एक वर्ष में, मिलों को गंभीर तरलता संकट का सामना करना पड़ता है एवं अपने ऋणदाताओं तथा किसानों दोनों को भुगतान करने में विफल रहता है।
- यह अंततः उन्हें वित्तीय दिवालियेपन की ओर अग्रसर करता है, जो मिल को बेचने या किराए पर देने के साथ समाप्त हो सकता है।
- किशतों में मूल एफआरपी का भुगतान उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक है। यह तर्क दिया गया है कि इससे उन पर तरलता का बोझ कम होगा।

कृषि में उर्वरक का उपयोग

कुछ माह पूर्व, किसानों के लिए बिक्री मूल्य को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने एवं इस कारण से किसानों पर बोझ कम करने के लिए डीएपी उर्वरक की कीमत में 140% की वृद्धि की गई थी। इस कदम ने भारतीय कृषि में उर्वरकों के उपयोग में पुनः और वृद्धि की है। इस लेख में, हम भारतीय कृषि में उर्वरक मुद्दे को समझेंगे।

आरंभ में, आइए पहले डीएपी से संबंधित दो मूलभूत प्रश्नों को समझें। सब्सिडी में बढ़ोतरी क्यों?

- फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि के मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि के कारण उर्वरकों की कीमत में वृद्धि हो रही है।
- इस संपूर्ण मूल्य वृद्धि को केंद्र सरकार वहन कर रही है एवं डीएपी उर्वरक विगत दर पर उपलब्ध करा रही है।

डीएपी क्या है?

- डीएपी भारत में दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त से किया जाने उर्वरक है।

- इस उर्वरक में फास्फोरस अधिकतम मात्रा में होता है।

भारत में उर्वरक सब्सिडी: एक संक्षिप्त परिचय

- सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरक खरीदते हैं।
- हालांकि यह अधिकतम खुदरा मूल्य (मैक्सिमम रिटेल प्राइस/एमआरपी) बाजार दर से कम है।
- यह जानना महत्वपूर्ण है कि जहां यूरिया की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, वहीं अन्य उर्वरकों के लिए इसे नियंत्रण मुक्त किया जाता है।
- वास्तव में, कुछ गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए, सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी या न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) योजना आरंभ की।

उर्वरक सब्सिडी की आवश्यकता क्यों है?

- किसानों को मूल्य वृद्धि से सुरक्षित करना: उर्वरक सहायिकी (सब्सिडी) प्रदान कर, सरकार किसानों को भविष्य में किसी भी मूल्य वृद्धि के प्रति कुशन प्रदान करती है। उर्वरक सब्सिडी किसानों को उनकी एक निश्चित सहायता एवं इस प्रकार बाजार की अनिश्चितताओं के बारे में ज्यादा सोचे बिना फसलों के उत्पादन का आश्वासन प्रदान करती है।
- उत्पादन को प्रोत्साहन: उर्वरक सहायिकी के कारण, उत्पादन में भी वृद्धि होती है क्योंकि किसान पूर्व में किए गए निवेश के साथ फसल उगाते हैं।

उर्वरक के अति प्रयोग को रोकने हेतु कदम

- दिसंबर 2015 से, भारत सरकार पर्यावरण पर उर्वरकों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सभी यूरिया आधारित उर्वरकों की अनिवार्य नीम-लेपन (नीम-कोटिंग) लागू कर रही है।
- 2018 से, सरकार ने पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों पर पंजीकृत होने वाले किसानों को वास्तविक बिक्री पर कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी भुगतान भी किया है।
- इसके अतिरिक्त, सब्सिडी युक्त उर्वरक बैग की कुल संख्या को सीमित करने की एक आगामी योजना है जिसे कोई भी व्यक्ति पूरे फसल मौसम के दौरान खरीद सकता है।

उर्वरक सब्सिडी के मुद्दे

- कोई अस्वीकृति नीति नहीं: वर्तमान में, कोई भी पीओएस मशीनों के माध्यम से कितनी भी मात्रा में उर्वरक खरीद सकता है। यद्यपि, प्रति लेनदेन 100 बैग की एक उच्चतम सीमा है, हिंदू लेनदेन की संख्या पर कोई सीमा नहीं रखी गई है।
- पर्यावरण क्षरण: सब्सिडी ने कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को सक्षम बनाया है। यह विशेष रूप से यूरिया के संदर्भ में सत्य है, जिसने पिछले दशक से मामूली कीमतों में वृद्धि देखी

है। उर्वरकों के इस बढ़े हुए उपयोग से मुद्रा में अनुत्पादकता एवं जल-आधारित पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

- **सब्सिडी की उच्च आर्थिक लागत होती है**, जिससे राज्य के राजकोष पर दबाव पड़ता है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से **भूजल भी प्रदूषित होता है**। इस मुद्दे के अधिक चिंताजनक प्रभाव हैं क्योंकि जो शिशु नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं (या नाइट्रेट-दूषित जल से निर्मित खाद्य पदार्थ खाते हैं) उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो सकता है।

भारत में उर्वरक का उपयोग: सुझाव

- सरकार को किसानों की सहायता करने हेतु वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना चाहिए जैसे सब्सिडी के स्थान पर **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** का उपयोग करना। इससे न केवल गैर-कृषि उपयोग के लिए इसके विपथन (डायवर्जन) पर अंकुश लगेगा बल्कि धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों की संख्या में भी कमी आएगी।
- इसके अतिरिक्त, जैसा कि 2012 में शरद पवार समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, सरकार पर उर्वरक सब्सिडी के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए **यूरिया को एनबीएस योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए**।
- साथ ही, **रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करने** एवं वर्मीकम्पोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- दीर्घकाल में **किसानों की कृषि आय में वृद्धि की जानी चाहिए** ताकि वे भविष्य में स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी त्याग दें।

कृषि में उर्वरक: निष्कर्ष

- अब यह उचित समय है कि आदान (इनपुट)-आधारित सब्सिडी को **निवेश-आधारित सब्सिडी** से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके एवं इस प्रकार कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निर्यात हिस्सेदारी आदर्श रूप से **25%**, किंतु कम से कम **20%** तक **बढ़नी चाहिए**।
- उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत रुपया निर्यात के लिए अच्छा होगा।

निर्यात 20% तक बढ़ना चाहिए: प्रमुख बिंदु

- **25% क्यों:** हमें तेल के अपने आयात को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। अतः, हमारे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी ताकि हम अपने आयात को वित्तपोषित करना जारी रख सकें और आने वाले दिनों में रुपये को मजबूत कर सकें।
- **रुपया कितने मजबूत निर्यात का समर्थन करता है:** एक मजबूत मुद्रा एक राष्ट्र की क्षमता को प्रदर्शित करता है एवं सदैव निर्यात के लिए अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि भारत वस्तुओं का शुद्ध आयातक है। एक मजबूत मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है।
 - विशेष रूप से, यह माना जाता है कि कमजोर मुद्रा निर्यात का समर्थन करती है। स्पष्टीकरण के लिए यहां देखें।
- मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का **निर्यात 410 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा**।
 - फरवरी 2022 तक, भारतीय निर्यात 374 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

निर्यात 20% तक बढ़ना चाहिए: आवश्यक कदम

- समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक कानूनों का पुनः अभिमुखीकरण।
- हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने के लिए हमारे 'बढ़त' का लाभ उठाना।
 - परिणाम मूलक सुलाभ
 - जनसांख्यिकीय लाभांश
 - सुशासन, एवं
 - उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करना
- निजी उद्योग के लिए **3-बिंदु कार्यवाही का आह्वान:**
 - वर्तमान वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, - एफटीए द्विपक्षीय यातायात है; हमें मांगकर्ता बनना होगा, उनकी मांगों को भी समायोजित करना होगा
 - कार्यों के माध्यम से, हमारे नागरिकों में गर्व की भावना पैदा करना, कि हमारे उत्पाद वैश्विक उत्पादों के बराबर या उससे भी बेहतर हैं। फर्क को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें! वे दिन गए जब आयात का तात्पर्य बेहतर था, "मेड इन इंडिया" मार्क को प्रत्येक श्रेणी में वैश्विक ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।
 - आकांक्षी जिलों एवं टियर 2 तथा टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान दें। ये भविष्य के निर्यात केंद्र हो सकते हैं।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था: आगे की राह

- उद्योग, सरकार एवं नागरिकों को वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का

हिस्सा बढ़ाकर तथा वैश्विक सेवा व्यापार में शीर्ष 3 देशों में पहुंचने का लक्ष्य बनाकर एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) रिपोर्ट

संदर्भ

- हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (GEM) इंडिया रिपोर्ट (21-22) के अनुसार, 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधि का विस्तार हुआ।

वैश्विक उद्यमिता अनुश्रवक: प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि भारत की कुल उद्यमी गतिविधि दर (वयस्कों का प्रतिशत (18-64 आयु वर्ग) जो एक नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं अथवा संचालित कर रहे हैं) 2021 में बढ़कर 14.4% हो गई, जो 2020 में 5.3% थी।
 - वयस्कों का प्रतिशत (18-64 आयु वर्ग) जो एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं अथवा संचालित कर रहे हैं।
- स्थापित व्यवसाय स्वामित्व दर 2020 में 5.9% से बढ़कर 8.5% हो गई।
 - वयस्कों का प्रतिशत (18-64 आयु वर्ग) जो वर्तमान में एक स्थापित व्यवसाय के मालिक-प्रबंधक हैं, अर्थात्, ऐसे व्यवसाय का स्वामित्व एवं प्रबंधन जिसने मालिकों को वेतन, मजदूरी अथवा किसी अन्य संदाय का भुगतान 42 माह से अधिक समय तक किया है।

वैश्विक उद्यमिता अनुश्रवक क्या है?

- वैश्विक उद्यमिता अनुश्रवक (ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर/जीईएम) एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो देशों के उद्यमशीलता परिदृश्य पर सूचना प्रदान करना चाहती है।
- GEM संपूर्ण विश्व में उद्यमिता तथा उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण-आधारित अनुसंधान करता है एवं इसका नेतृत्व भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद कर रहा है।
- प्रयुक्त किए जाने वाले मुख्य संकेतक को टीईए (टोटल अर्ली-स्टेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी) कहा जाता है, जो एक उद्यमशीलता गतिविधि आरंभ करने वाली कार्यशील आयु की आबादी के प्रतिशत का आकलन करता है एवं जिसने अधिकतम साढ़े तीन वर्ष पूर्व से प्रारंभ किया है।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप/एमएसडीई) देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

- पायलट प्रोजेक्ट, 'महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण एवं महिलाओं द्वारा स्टार्टअप (इकोनामिक एंपावरमेंट ऑफ वूमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स बाय वूमेन/WEE)' महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऊष्मायन (इनक्यूबेशन) एवं त्वरक ((एक्सेलरेशन) कार्यक्रमों को पायलट करने के लिए लागू किया जा रहा है, जिससे वे नए व्यवसाय आरंभ कर सकें एवं वर्तमान उद्यमों का स्तर उन्नयन कर सकें।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) तथा जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) जैसे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, पक्षपोषण तथा उद्यमिता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने हेतु उद्यमिता विकास पर प्रायोगिक परियोजना (पीएम युवा) नवंबर, 2019 में आरंभ किया गया है।
- छह पवित्र शहरों में उद्यमिता संवर्धन एवं सूक्ष्म तथा लघु व्यवसायों हेतु परामर्श: परियोजना पंढरपुर, पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, कोल्लूर एवं बोधगया में उद्यमिता जागरूकता, शिक्षा तथा परामर्श के माध्यम से संभावित एवं वर्तमान उद्यमियों की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता गतिविधियों को उत्प्रेरित करना चाहती है।
- महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता के अभिवर्धन हेतु, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, पीएमकेवीवाई केंद्रों एवं प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

संदर्भ

- वर्तमान में रूस तथा यूक्रेन के मध्य जारी तनाव ने वैश्विक व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है तथा विशेषज्ञों की राय है कि इस तरह के व्यवधानों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

कच्चा तेल

- तेल रूस से हमारे आयात बास्केट का एक प्रमुख घटक है। प्रतिबंधों से कीमतों में एक नए स्तर पर खटास आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अधिक हो सकती हैं।
- ईंधन की कीमतों में वृद्धि देश में मुद्रास्फीति के मुद्दे को और बढ़ा सकती है।

- विशेष रूप से, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 3 चुनौतियों की ओर संकेत किया है- कोविड-19 की पुनः प्रकटित लहरें, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान तथा मुद्रास्फीति।
- ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण हमारे आयात बिल में कटु अनुभव लाएगी तथा समान स्थिति हमारे चालू खाते का घाटे की भी होगी।

निर्यात

- यदि ईंधन की कीमत लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो भारत द्वारा आयात की जाने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतें भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगी।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस दबाव के कारण मांग प्रभावित हो सकती है जो हमारे निर्यात को भी प्रभावित कर सकती है।

कृषि

- रूस एवं यूक्रेन गेहूं, मक्का तथा सूरजमुखी के तेल के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता हैं।
- भारत अपना अधिकांश सूरजमुखी तेल यूक्रेन से आयात करता है।
- भारत में तेल की मांग को देखते हुए सूरजमुखी तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी।
- तेल एवं खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि का एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर चालू खाते तथा राजकोषीय संतुलन एवं आर्थिक विकास पर दबाव के रूप में प्रकट होता है।
- ऐसे परिदृश्य में, भारत, थाईलैंड एवं फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित देश होंगे, जबकि इंडोनेशिया एक सापेक्ष लाभार्थी होगा।

बैंकिंग

- आज तक, बैंकिंग क्षेत्र जारी संघर्ष के प्रति प्रतिक्रमिणी रहा है।
- वित्तीय स्वास्थ्य के संकेतक - लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं पूंजी पर्याप्तता - एक नए शिखर पर पहुंच गए हैं, इस प्रकार एक सुदृढ़ बैंकिंग परिदृश्य प्रदर्शित कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, 7 लाख करोड़ रुपये की पर्याप्त तरलता एवं 2.8 लाख करोड़ रुपये की उचित नकदी शेष है, जिसे वर्तमान संकट से बैंकिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहिए।

इस्पात

- जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपेक्षित कमी से निकट भविष्य में इस्पात (स्टील) की कीमतों में उछाल आने की संभावना है, जिससे भारतीय इस्पात क्षेत्र के प्रतिभागियों को लाभ प्राप्त होगा।
- इसके साथ ही, निर्यात के अवसर प्रमुख स्टील कंपनियों को उच्च क्षमता उपयोग दरों पर संचालन करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

निष्कर्ष

- तेल एवं गैस जैसे कुछ क्षेत्रों तथा लौह एवं अलौह धातुओं दोनों को इस प्रवृत्ति से लाभ हो सकता है, जबकि रसायन, उर्वरक, गैस उपादेयताओं, शोधन एवं विपणन जैसे प्रमुख आदान के रूप में तेल पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस

संदर्भ

- हाल ही में, सेबी ने नोट किया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) है।

बाजार अवसंरचना संस्थान: मुख्य बिंदु

- सेबी द्वारा पूर्व में एनएसई, सुश्री रामकृष्णा एवं अन्य को शासन में कथित शिथिलता के लिए स्वीकृति दिए जाने के बाद यह निर्णय आया है।

बाजार अवसंरचना संस्थान क्या है?

- स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) एवं समाशोधन (क्लियरिंग) हाउस, ये सभी बाजार अवसंरचना संस्थान हैं एवं देश के महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में 2010 में गठित एक पैनल ने कहा कि 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' शब्द का अर्थ सिस्टम की आधारीक, अंतर्निहित रूपरेखा या विशेषताएं होगा; एवं 'बाजार अवसंरचना' शब्द इस बाजार को सेवा उपलब्ध कराने वाली वाली ऐसी मूलभूत सुविधाओं तथा प्रणालियों को दर्शाता है।
- प्रतिभूतियों/पूंजी बाजार का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी/वित्तीय संसाधनों के आवंटन/पुनः आवंटन को सक्षम करना है। इस तरह के क्रियाकलापों ने अर्थव्यवस्था में धन के इष्टतम उपयोग में सहायता की है एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है।
- समुचित रूप से कार्य करने वाले एमआईआई, "पूंजी आवंटन प्रणाली के केंद्र" का गठन करते हैं, आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं तथा किसी भी अन्य आधारीक अवसंरचना संस्थान की भांति समाज पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

एमआईआई व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के विपरीत, एक अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एवं समाशोधन निगमों (क्लियरिंग कॉरपोरेशन) की संख्या उसके व्यवसाय की प्रकृति के कारण सीमित होती है, यद्यपि वे संपूर्ण बाजार स्थल को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।
- इस तरह के एमआईआई की किसी भी प्रकार की विफलता और भी बड़े गिरावट का कारण बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक गिरावट हो सकती है जो संभावित रूप से प्रतिभूति बाजार एवं देश की सीमाओं से आगे बढ़ सकती है।

भारत में एमआईआई संस्थान

- स्टॉक एक्सचेंजों में सेबी ने बीएसई, एनएसई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सहित सात को सूचीबद्ध किया है।
- दो डिपॉजिटरी: सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एवं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हैं जिन्हें MII टैग किया गया है।
 - इन डिपॉजिटरी पर प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने एवं उनके व्यापार तथा हस्तांतरण को सक्षम करने का आरोप लगाया जाता है।
- नियामक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन सहित सात समाशोधन गृहों को भी सूचीबद्ध करता है।
 - क्लियरिंग हाउस प्रतिभूतियों के व्यापार (सिक्योरिटीज ट्रेडों) को मान्य एवं अंतिम रूप प्रदान करने में सहायता करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अपने दायित्वों का सम्मान करते हैं।

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि एनएबीएफआईडी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन/AIFI) के रूप में विनियमित तथा पर्यवेक्षित किया जाएगा।

एनएबीएफआईडी: प्रमुख बिंदु

- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) अधिनियम, 2021, मार्च 2021 में पारित किया गया था एवं यह अप्रैल 2021 में प्रवर्तन में आया था।
- यह एक्विजिशन बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी के बाद पांचवां एआईएफआई बन गया है।

एनएबीएफआईडी क्या है?

- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID) को अवसंरचना वित्त पोषण (इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग) के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन/ डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है।
- NBFID एक लाख करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- NBFID के शेयर केंद्र सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, सार्वभौमिक धन निधि (सॉवरेन वेल्थ फंड), बैंकों एवं केंद्र सरकार द्वारा

निर्धारित किसी अन्य संस्थान जैसी संस्थाओं द्वारा धारित हो सकते हैं।

- प्रारंभ में, केंद्र सरकार के पास संस्था के 100% शेयर का स्वामित्व होगा जिसे बाद में 26% तक घटाया जा सकता है।

डीएफआई क्या है?

- डीएफआई की स्थापना अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की जाती है जहां सम्मिलित जोखिम वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे हैं।
- डीएफआई, बैंकों के विपरीत, लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते हैं।
- धन का स्रोत: बाजार, सरकार, साथ ही बहुपक्षीय संस्थान।

NaBFID के कार्य

एनएबीएफआईडी के वित्तीय तथा विकासात्मक दोनों उद्देश्य होंगे।

वित्तीय उद्देश्य

- भारत में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अवस्थित आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करना, निवेश करना अथवा निवेश आकर्षित करना।
- केंद्र सरकार आधारिक अवसंरचना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का निर्धारण करेगी।

विकासात्मक उद्देश्य

- आधारिक संरचना के वित्तपोषण के लिए बॉन्ड, ऋण तथा व्युत्पाद (डेरिवेटिव) के लिए बाजार के विकास को सुगम बनाना।

अन्य कार्य

- आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना,
- ऐसे मौजूदा ऋणों का भार ग्रहण करना अथवा पुनर्वित्तीयन,
- आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना,
- आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी का प्रबंध करना एवं सुविधा प्रदान करना,
- आधारिक अवसंरचना के वित्तपोषण के क्षेत्र में विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ वार्ता की सुविधा, एवं
- आधारिक अवसंरचना के वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

निधियों का एनएबीएफआईडी स्रोत

NaBFID निम्नलिखित के रूप में धन जुटा सकता है

- ऋण अथवा अन्यथा भारतीय रुपये एवं विदेशी मुद्रा दोनों में, या
- बॉन्ड तथा डिबेंचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों के निर्गम एवं विक्रय द्वारा धन प्राप्त करना।
- केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से उधार।

एआईएफआई क्या है?

- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन/एआईएफआई) वित्तीय नियामक निकायों से निर्मित एक समूह है जो वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वित्तीय संस्थान संसाधनों के उचित आवंटन में सहायता करते हैं, उन व्यवसायों से सोर्सिंग करते हैं जिनके पास अधिशेष है एवं घाटे वाले अन्य व्यवसायों को वितरित करते हैं।
- वित्तीय संस्थान ऋण ग्राहियों एवं अंतिम ऋण दाताओं के मध्य एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, सुरक्षा और तरलता प्रदान करते हैं।



राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन

संदर्भ

- हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए एक प्रारूप रिपोर्ट पर हितधारकों से अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन: प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के संदर्भ, मिशन, दृष्टि, उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के समग्र विस्तार क्षेत्र को परिभाषित करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था।
- टास्क फोर्स ने प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ

परिकल्पित राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्य क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी सिद्धांतों, मानकों, डिजिटल स्टैक, शासन संरचना तथा योजना को निर्धारित करता है।

- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन का दृष्टिकोण एक डिजिटल राजमार्ग के माध्यम से पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के मध्य उपस्थित सूचना अंतराल को पाटना है।
- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन पर्यटन क्षेत्र में सूचनाओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाकर पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की संपूर्ण क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।

भारतीय पर्यटन के समक्ष चुनौतियाँ

- औपचारिकता का अभाव: यह ऋण पात्रता में अंतराल की ओर अग्रसर होता है, मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव, आधारीक अवसंरचना के अभाव को संभालता है।
- अनुपालन उपरिब्यय (कंप्लायंस ओवरहेड): सिंगल विंडो का अभाव, श्रम अनुपालन (लेबर कंप्लायंस) इत्यादि।
- अस्थिर प्रवाह: मौसमी निर्भरता, कोविड-19, सुरक्षा मुद्दे।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: भारत में इंटरनेट बुकेबिलिटी का अभाव, पर्यटन उत्पादों की कमी, सोशल मीडिया प्रचार अभियानों की कमी।
- नियोजनीय जनशक्ति: पेशेवर दृष्टिकोण की कमी, कम उत्पादकता, बहुभाषी अनुवादक इत्यादि।
- परिवहन: सुरक्षित, तीव्र एवं गुणवत्तापूर्ण परिवहन, एकीकृत टिकट विकल्प इत्यादि का अभाव।

भारत में पर्यटन: सरकार के कदम

- अतुल्य भारत वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप: एक बहुभाषी 'अतुल्य भारत' वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लिकेशन अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों तथा आकर्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि): निधि की स्थापना पर्यटन सेवा प्रदाताओं नामतः टूर ऑपरेटरों, होटलों एवं अन्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण तथा वर्गीकरण के उद्देश्य से की गई है।
- स्वदेश तथा प्रसाद योजनाएं: भारत में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष रूप से दो प्रमुख योजनाएं आरंभ की गई हैं।
- कोविड-19 के दौरान, मंत्रालय ने होटल, रेस्तरां, B & B एवं अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 तथा उसके बाद जारी किए गए दिशानिर्देशों / एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए SAATHI (आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली/सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल विकसित की है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित किया जाएगा

समाचारों में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
- यह प्रस्ताव 2021-22 के बजट घोषणा के अनुसरण में है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम

- पृष्ठभूमि:** वर्तमान में, सीपीएसई के पास भूमि तथा भवनों की प्रकृति में काफी अधिशेष, अप्रयुक्त एवं अल्प उपयोग की गई गैर-प्रमुख परिसंपत्तियां हैं।
 - रणनीतिक विनिवेश या बंद होने वाले सीपीएसई के लिए, इन अधिशेष भूमि तथा गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण उनके मूल्य को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- एनएलएमसी की आवश्यकता:** यह उपरोक्त अधिशेष एवं अप्रयुक्त सरकारी परिसंपत्तियों का समर्थन तथा मुद्रीकरण करेगा।
- प्रशासनिक मंत्रालय:** सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, कंपनी की स्थापना करेगा एवं इसके प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के बारे में प्रमुख तथ्य

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि एवं भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की जानी है।
- शेयर पूंजी:** राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी तथा 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के साथ की जा रही है।
- संगठनात्मक संरचना:** एनएलएमसी के निदेशक मंडल में कंपनी के पेशेवर संचालन तथा प्रबंधन को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।
 - NLMC के अध्यक्ष, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

- एनएलएमसी न्यूनतम पूर्णकालिक कर्मचारियों वाला एक प्रवृत्त संगठन होगा, जिसे अनुबंध के आधार पर सीधे बाजार से कार्य पर रखा जाएगा।
- एनएलएमसी के बोर्ड को निजी क्षेत्र से अनुभवी पेशेवरों को काम पर रखने, भुगतान करने तथा बनाए रखने के लिए नम्यता प्रदान की जाएगी।

अपेक्षित लाभ:

- गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के साथ, सरकार अप्रयुक्त एवं अल्प उपयोग की गई परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होगी।
- यह निजी क्षेत्र के निवेश, नई आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक तथा सामाजिक आधारिक अवसंरचना के लिए वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने हेतु इन अल्प उपयोग की गई परिसंपत्तियों के उत्पादक समुपयोग को भी सक्षम करेगा।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के प्रमुख कार्य

- एनएलएमसी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बंद होने वाले सीपीएसई की अधिशेष भूमि एवं भवन परिसंपत्तियों तथा रणनीतिक विनिवेश के अंतर्गत सरकारी स्वामित्व वाले सीपीएसई की अधिशेष गैर-प्रमुख भूमि परिसंपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं मुद्रीकरण करेगा।
 - इससे सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा सरकार के स्वामित्व वाले सीपीएसई की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया सरल होगी।
- एनएलएमसी अन्य सरकारी संस्थाओं (सीपीएसई सहित) को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का अभिनिर्धारण करने एवं अधिकतम मूल्य प्राप्ति उत्पन्न करने हेतु पेशेवर तथा कुशल तरीके से उनका मुद्रीकरण करने में सलाह एवं समर्थन प्रदान करेगा।
- एनएलएमसी भूमि मुद्रीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं के कोष के रूप में कार्य करेगा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता तथा तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।

नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया

संदर्भ

- हाल ही में, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉम्पेटिटिवनेस) के साथ साझेदारी में निर्यात तत्परता सूचकांक (एक्सपोर्ट प्रेपरेडनेस इंडेक्स/ईपीआई) 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है।

निर्यात तत्परता सूचकांक 2021: प्रमुख बिंदु

- निर्यात तत्परता सूचकांक उप-राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने हेतु एक डेटा-संचालित प्रयास है।
- ईपीआई का प्राथमिक लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों ('तटीय', 'स्थल रुद्ध'/लैंडलॉकड', 'हिमालयन', तथा 'केंद्र शासित प्रदेश/नगर राज्यों/सिटी-स्टेट्स') के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है।
- राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु सूचकांक सरकार एवं नीति निर्माताओं के लिए एक मूल्यवान उपकरण सिद्ध हो सकता है, जिससे वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

ईपीआई के उद्देश्य

- अनुकूल निर्यात-संवर्धन नीतियों को समावेशित करना,
- उप राष्ट्रीय (सब-नेशनल) निर्यात को प्रोत्साहित करने नियामक ढांचे को सरल बनाना,
- निर्यात के लिए आवश्यक आधारीक अवसंरचना तैयार करना, तथा
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए रणनीतिक सिफारिशों की पहचान करने में सहायता करना।

निर्यात तत्परता सूचकांक: प्रमुख निष्कर्ष

- **समग्र रैंकिंग:** गुजरात लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पर है।
- अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- **तटीय राज्य:** तटीय राज्यों की सूची में गुजरात सबसे ऊपर है।
- **भू-आबद्ध राज्यों से,** हरियाणा एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है।
 - व्यापार समर्थन एवं निर्यात वृद्धि तथा अभिविन्यास को छोड़कर, राज्य ने सभी स्तंभों एवं उप-स्तंभों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है।
- **हिमालयी राज्य:** हिमालयी राज्यों की सूची में उत्तराखंड सबसे ऊपर है।
 - उत्तराखंड ने वगत तीन वर्षों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है।
 - इसने एकल बिंदु समाशोधन (सिंगल-विंडो क्लियरेंस), निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना, एक व्यापार गाइड तथा निर्यात बाजार में और सुधार जैसी पहल की है।
- **केंद्र शासित प्रदेशों में:** केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर है।
 - उच्च एफडीआई अंतर्वाह, बेहतर परिवहन संपर्क, लांजिस्टिक्स तथा निवेश आकर्षित होने के कारण दिल्ली ने ईपीआई पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

भारत के निर्यात प्रोत्साहन के समक्ष चुनौतियां

EPI 2021 भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख चुनौतियों को प्रकट करती है।

- निर्यात आधारीक अवसंरचना में अंतर तथा अंतर-क्षेत्रीय अंतर;
- राज्यों में कमजोर व्यापार समर्थन तथा विकास अभिविन्यास; तथा
- जटिल एवं विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी आधारीक संरचना की कमी।

ईपीआई स्तंभ तथा उप-स्तंभ

ईपीआई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मुख्य स्तंभों पर रैंक करता है

1. **नीति:** एक व्यापक व्यापार नीति निर्यात तथा आयात के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान करती है।
2. **व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र/बिजनेस इकोसिस्टम:** एक कुशल बिजनेस इकोसिस्टम निवेश को आकर्षित करने तथा व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम आधारीक अवसंरचना निर्मित करने में सहायता कर सकता है।
3. **निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र:** इस स्तंभ का उद्देश्य कारोबारी माहौल का आकलन करना है, जो निर्यात के लिए विशिष्ट है।
4. **निर्यात प्रदर्शन:** यह एकमात्र निर्गम (आउटपुट)-आधारित स्तंभ है तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात पदचिहनों की पहचान की जांच करता है।

ईपीआई 11 उप-स्तंभ

- निर्यात संवर्धन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; वित्त तक पहुंच; निर्यात अवसंरचना; व्यापार सहायता; शोध एवं विकास अवसंरचना (आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर); निर्यात विविधीकरण; तथा विकास अभिविन्यास।

पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन अप्रैल-जून 2021

संदर्भ

- हाल ही में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल-जून 2021 के लिए त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया है।

पीएलएफएस नवीनतम निष्कर्ष: प्रमुख निष्कर्ष

बेरोजगारी दर

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में बेरोजगारी दर (प्रतिशत में) अखिल भारतीय

एनएसएस सर्वेक्षण अवधि	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल - जून 2020	20.7	21.1	20.8
जुलाई - सितंबर 2020	12.6	15.8	13.2
अक्टूबर-दिसंबर 2020	9.5	13.1	10.3
जनवरी-मार्च 2021	8.6	11.8	9.3
अप्रैल-जून 2021	12.2	14.3	12.6

श्रम बल भागीदारी दर

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में एलएफपीआर (प्रतिशत में) अखिल भारतीय

एनएसएस सर्वेक्षण अवधि	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल - जून 2020	71.7	19.6	45.9
जुलाई - सितंबर 2020	73.5	20.3	47.2
अक्टूबर - दिसंबर 2020	73.6	20.6	47.3
जनवरी - मार्च 2021	73.5	21.2	47.5
अप्रैल - जून 2021	73.1	20.1	46.8

श्रमिक जनसंख्या अनुपात

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में) अखिल भारतीय

एनएसएस सर्वेक्षण अवधि	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)

अप्रैल - जून 2020	56.9	15.5	36.4
जुलाई-सितंबर 2020	64.3	17.1	40.9
अक्टूबर-दिसंबर 2020	66.7	17.9	42.4
जनवरी-मार्च 2021	67.2	18.7	43.1
अप्रैल-जून 2021	64.2	17.2	40.9

पीएलएफएस के उद्देश्य

- केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सीडब्ल्यूएस) में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन माह के कम समय अंतराल में प्रमुख रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाने हेतु।
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक 'सामान्य अवस्थिति' (पीएस+एसएस) तथा सीडब्ल्यूएस दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाने हेतु।

मूल परिभाषा

- श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर):** एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् कार्यशील अथवा कार्य की मांग करने वाले अथवा कार्य हेतु उपलब्ध) में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (वर्कर पापुलेशन रेश्यो/WPR):** WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बेरोजगारी दर (यूआर):** यूआर को श्रम बल में व्यक्तियों के मध्य बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस):** सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व विगत 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि की अवस्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता है।

आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त ऋण हेतु दिशा-निर्देश, 2022 जारी किए

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं ताकि कम आय वाले परिवारों को पारदर्शी तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जा सके, जबकि ऋण प्रदाताओं द्वारा अपनाई गई किसी भी विषम व्यवहार से ऋणग्राहियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सूक्ष्म वित्त ऋण: प्रमुख बिंदु

- भारतीय रिजर्व बैंक (माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचा) निर्देश, 2022 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

माइक्रो फाइनेंस लोन क्या है?

- एक सूक्ष्म वित्त ऋण (माइक्रो फाइनेंस लोन) को एक संपार्श्विक-मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक ऐसे परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक घरेलू आय 3,00,000 रुपए तक होती है।

सूक्ष्म वित्त ऋण दिशा निर्देश

- आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त खंड को ऋण प्रदान करने वाली विनियमित संस्थाओं (रेगुलेटेड एंटीटीज/आरई) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऋण संपार्श्विक-मुक्त हैं एवं उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार से जुड़े नहीं हैं।
 - विनियमित संस्थाओं में सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर); सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थानों एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) सम्मिलित हैं।
- निर्देशों के अनुसार, रेगुलेटेड एंटीटीज के पास उधारकर्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर चुकौती आवधिकता की लचीलापन प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।
- आरबीआई ने उन मार्जिन कैप को भी हटा दिया है जो विशेष रूप से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों - माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) पर लागू होते थे, ताकि नियामक ढांचे में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

ऋण मूल्य निर्धारण

- मार्जिन कैप (100 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पोर्टफोलियो वाले बड़े एमएफआई के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं एवं अन्य के लिए 12 प्रतिशत) अब एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू नहीं होते हैं।
- प्रत्येक आरई सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति बनाएगा।
- सूक्ष्म वित्त ऋणों पर ब्याज दरें तथा अन्य प्रभार/शुल्क अति ब्याज (सूदखोरी) नहीं होनी चाहिए। ये आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षी जांच के अधीन होंगे।
- सूक्ष्म वित्त ऋणों पर कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं होगा। विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड (जुर्माना), यदि कोई हो, अतिदेय राशि पर लागू होगा न कि संपूर्ण ऋण राशि पर।

ऋण पुनर्दायगी पर सीमा

- भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिवार के ऋण पुनर्दायगी दायित्वों पर एक सीमा निर्धारित की है।
- मासिक घरेलू आय के 50 प्रतिशत की सीमा में बहिर्वाह में सभी मौजूदा ऋणों के साथ-साथ विचाराधीन ऋणों के लिए पुनर्भुगतान (मूलधन के साथ-साथ ब्याज घटक दोनों सहित) सम्मिलित होंगे।

- मौजूदा ऋण, जिसके लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में एक परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, को परिपक्व होने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- तथापि, ऐसे मामलों में, इन परिवारों को 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का अनुपालन किए जाने तक कोई नया ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा।



ऋण कार्ड

प्रत्येक विनियमित संस्था/इकाई ऋण ग्राही को एक ऋण कार्ड प्रदान करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- सूचना जो ऋण ग्राही की पर्याप्त रूप से पहचान करती है;
- मूल्य निर्धारण पर सरलीकृत तथ्य पत्रक (फैक्टशीट);
- ऋण से जुड़े अन्य सभी नियम तथा शर्तें; प्राप्त किश्तों एवं अंतिम भुगतान सहित सभी भुगतानों की आरई द्वारा स्वीकृति; तथा
- आरई के नोडल अधिकारी के नाम तथा संपर्क नंबर सहित शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण।

आउटसोर्स किए गए क्रियाकलाप

- आरबीआई ने कहा कि आरई द्वारा किसी भी क्रियाकलाप की आउटसोर्सिंग उसके दायित्वों को कम नहीं करती है एवं इन निर्देशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से आरई के पास होगा।
- ऋण समझौते में यह घोषणा की जाएगी कि इसके कर्मचारियों अथवा आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा अनुचित व्यवहार के लिए आरई जवाबदेह होगा एवं समय पर शिकायत निवारण प्रदान करेगा।

ऋणों की वसूली

- प्रत्येक आरई पुनर्भुगतान संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे उधारकर्ताओं का अभिनिर्धारण करने, ऐसे उधारकर्ताओं के साथ

जुड़ाव एवं उन्हें उपलब्ध साधनों के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करेगा।

- ऋणों की वसूली, उधारकर्ता एवं रेगुलेटेड एंटीटीज द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए निर्दिष्ट/केंद्रीय निर्दिष्ट स्थान पर की जाएगी।
- तथापि, यदि उधारकर्ता दो या अधिक लगातार अवसरों पर निर्दिष्ट/केंद्रीय निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो फील्ड स्टाफ को उधारकर्ता के निवास स्थान या कार्यस्थल पर वसूली करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
 - रेगुलेटेड एंटीटीज या उसके अधिकर्ता वसूली की दिशा में किसी भी कठोर तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे।

अर्हक परिसंपत्ति मानदंड

- एनबीएफसी-एमएफआई के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन की न्यूनतम अर्हता को भी संशोधित कर कुल परिसंपत्ति का 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
- एनबीएफसी-एमएफआई की 'अर्हक परिसंपत्ति' की परिभाषा को अब 'माइक्रो फाइनेंस लोन' की परिभाषा के साथ संरेखित किया जा रहा है।
- एनबीएफसी (अर्थात्, एनबीएफसी-एमएफआई के अतिरिक्त अन्य एनबीएफसी) के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा अब कुल परिसंपत्ति का 25 प्रतिशत है।
- पूर्व के दिशानिर्देशों के तहत, एक एनबीएफसी जो एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, वह अपनी कुल परिसंपत्ति के 10 प्रतिशत से अधिक के माइक्रो फाइनेंस लोन का विस्तार नहीं कर सकता है।

सागरमाला कार्यक्रम के सात वर्ष

प्रसंग

- हाल ही में, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के सफल सात वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

सागरमाला कार्यक्रम की सफलता

- इस आयोजन का मुख्य आकर्षण विगत 7 वर्षों के दौरान बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के अनुकरणीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करना था।
- गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण ने बंदरगाहों पर प्रतिवर्तन काल/टर्नअराउंड टाइम (कंटेनरों) को 2013-14 में 44.70 घंटे से 58 घंटे तक कम कर दिया है।
- मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 5.48 लाख करोड़ रुपये की 802 परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया

है, जिन्हें 2035 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 99,000 करोड़ रुपये की 194 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

- पीपीपी मॉडल के तहत 45,000 करोड़ रुपये की कुल 29 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है, जिससे सरकारी कोष पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।
- **कौशल विकास:** सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग (सीईएमएस) जिसने स्थापना के बाद से 50+ पाठ्यक्रमों में 5000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।
- **पोर्ट कनेक्टिविटी,** कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, इसके दायरे में 80 परियोजनाएं हैं।

सागरमाला परियोजना क्या है?

- सागरमाला कार्यक्रम 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौगम्य जलमार्गों तथा प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठाकर देश में बंदरगाह प्रेरित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।
- सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक्विजम (निर्यात आयात) तथा घरेलू व्यापार के लिए न्यूनतम आधारीक अवसंरचना निवेश के साथ सम्भारिकी (रसद) लागत को कम करना है।
- सागरमाला की अवधारणा को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च, 2015 को स्वीकृति प्रदान की थी।
- 14 अप्रैल, 2016 को भारतीय तट रेखा एवं समुद्री क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान/एनपीपी) जारी किया गया था।

सागरमाला कार्यक्रम के उद्देश्य

- इष्टतम प्रायिकता मिश्र (मोडल मिक्स) के माध्यम से घरेलू कार्गो के परिवहन की लागत को कम करना
- तट के निकट भविष्य की औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाकर थोक वस्तुओं की रसद लागत को कम करना।
- बंदरगाह समीपस्थ पृथक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
- एक्विजम कंटेनर संचलन के समय/लागत का इष्टतमीकरण करना।

सागरमाला कार्यक्रम के घटक

- बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नवीन बंदरगाह विकास: मौजूदा बंदरगाहों के अवरोधन की समाप्ति एवं क्षमता विस्तार तथा नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास
- बंदरगाह संयोजकता विस्तार (पोर्ट कनेक्टिविटी एन्हांसमेंट): घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय जल परिवहन एवं तटीय शिपिंग) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से बंदरगाहों की आंतरिक भूमि से कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कार्गो आवागमन की लागत तथा समय का इष्टतमीकरण करना।

- बंदरगाह सहलग्न (पोर्ट-लिंकड) औद्योगीकरण: एक्जिम तथा घरेलू कार्गो की रसद लागत एवं समय को कम करने हेतु बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगिक समूहों एवं तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना
- तटीय सामुदायिक विकास: कौशल विकास तथा आजीविका सृजन गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन इत्यादि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना।
- तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन: सतत एवं पर्यावरण के अनुकूल तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने हेतु प्रोत्साहन।

स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर तथा इनोवेशन पार्क

संदर्भ

- हाल ही में, ऊर्जा मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक आभासी स्मार्ट ग्रिड ज्ञान केंद्र (स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर/एसजीकेसी) तथा इनोवेशन पार्क का विमोचन किया है।

स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर: प्रमुख बिंदु

- वर्चुअल एसजीकेसी का पावर ग्रिड द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन तथा यूएसएआईडी की तकनीकी सहायता से संकल्पना एवं विकास किया गया है।
- एसजीकेसी का लक्ष्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने एवं विद्युत वितरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक बनना है।
- वर्चुअल एसजीकेसी, एसजीकेसी के वास्तविक व्यवस्थापन के डिजिटल फुटप्रिंट को सक्षम बनाता है, जिसकी आवश्यकता कोविड-19 महामारी के दौरान महसूस की गई थी।
- यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), यांत्रिक अधिगम (मशीन लर्निंग), ब्लॉकचैन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इत्यादि सदृश नवीन एवं उन्नत तकनीकों में विस्तृत 8 विषयगत क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रौद्योगिकी भागीदारों के 50 से अधिक समाधानों की मेजबानी करता है।

स्मार्ट ग्रिड तकनीक क्या है?

- एक स्मार्ट ग्रिड डिजिटल तकनीक पर आधारित एक ऊर्जा नेटवर्क है जिसका उपयोग उपभोक्ताओं को दो-तरफा डिजिटल संचार के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है।
- स्मार्ट ग्रिड दक्षता में सुधार, ऊर्जा की खपत तथा लागत को कम करने एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को अधिकतम करने में सहायता करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के भीतर अनुश्रवण, विश्लेषण, नियंत्रण एवं संचार की अनुमति प्रदान करता है।

- स्मार्ट ग्रिड के आरंभ के पीछे मुख्य उद्देश्य स्मार्ट नेट मीटर का उपयोग करके पारंपरिक विद्युत ग्रिड की कमजोरियों को दूर करना है।

स्मार्ट ग्रिड की विशेषताएं

- सद्य अनुक्रिया अनुश्रवण (रियल टाइम मॉनिटरिंग)
- स्वचालित विद्युत आपूर्ति कटौती समय प्रबंधन एवं तीव्र पुनर्स्थापना।
- गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र।
- मूल्य निर्धारण संकेतों के आधार पर उपभोक्ताओं को दिन के अलग-अलग समय के दौरान उपयोग परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- बेहतर ऊर्जा प्रबंधन।
- आंतरिक (इन-हाउस) प्रदर्शन।
- वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप।
- ऊर्जा उपयोग को ट्रैक एवं प्रबंधित करना।
- विद्युत के उपयोग को कम करने एवं बचाने के अवसर।

स्मार्ट ग्रिड के लाभ

- पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) घाटे में कमी।
- सर्वाधिक देय – आदेय (पीक लोड) प्रबंधन, बेहतर सेवा गुणवत्ता (क्वालिटी ऑफ सर्विस/क्यूओएस) एवं विश्वसनीयता।
- ऊर्जा क्रय की लागत में कमी।
- बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन।
- वर्धित ग्रिड दृश्यता एवं स्व-उपचार ग्रिड।
- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण तथा विद्युत तक पहुंच।
- टीओयू प्रशुल्क, डीआर प्रोग्राम, नेट मीटरिंग जैसे बड़े हुए विकल्प।
- संतुष्ट ग्राहक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ उपादेयताएं इत्यादि।

फार्मास्युटिकल उद्योगों का सुदृढीकरण: मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए

संदर्भ

- हाल ही में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने संपूर्ण देश में मौजूदा फार्मा समूहों तथा एमएसएमई के लिए आवश्यक समर्थन के संदर्भ में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए "औषधि उद्योग को मजबूत करने (स्ट्रेंग्थेनिंग ऑफ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री/एसपीआई)" योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

फार्मास्युटिकल उद्योगों का सुदृढीकरण: प्रमुख बिंदु

- यह योजना वित्त वर्ष 21-22 से वित्त वर्ष 25-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रारंभ की गई है।

- इस योजना का उद्देश्य फार्मा क्लस्टर्स की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं धारणीयता में सुधार लाना है।
- योजना का उद्देश्य "औषधि उद्योग को मजबूत करना (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री/एसपीआई) भारत को औषधि क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने के लिए वर्तमान बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।
- योजना के तहत सामान्य स्थापनाओं के निर्माण के लिए फार्मा समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि संकुलों (क्लस्टर्स) का धारणीय विकास भी सुनिश्चित होगा।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने के लिए एसएमई तथा एमएसएमई की उत्पादन स्थापनाओं को उन्नत करने हेतु उनके पूंजी ऋण पर ब्याज सहायतार्थ अनुदान (सबवेंशन) अथवा पूंजीगत सहायिकी प्रदान की जाएगी।

फार्मास्यूटिकल उद्योगों का सुदृढीकरण: घटक

इस योजना में 3 घटक / उप-योजनाएं हैं:

- सामान्य स्थापनाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग (असिस्टेंट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर कॉमन फैसिलिटिज/एपीआईसीएफ) को सहायता, वर्तमान औषधि उद्योग संकुलों (फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स) की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु, सामान्य स्थापनाओं का निर्माण करके उनके निरंतर विकास हेतु;
 - इसके अंतर्गत पांच वर्ष की योजना अवधि के लिए 178 करोड़ के परिव्यय के साथ प्राथमिकता के क्रम में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों, सम्भारिकी केंद्रों तथा प्रशिक्षण

- केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामान्य स्थापनाओं के निर्माण के लिए संकुलों का समर्थन प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने हेतु सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) की सुविधा के लिए फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम/पीटीयूएस)।
 - पीटीयूएस उप-योजना के अंतर्गत, एसएमई उद्योगों के लिए ब्याज सहायतार्थ अनुदान के अधिकतम 5% प्रति वर्ष (एससी / एसटी के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाली इकाइयों के मामले में 6%) या साख सहलग्न पूंजी सहायिकी (क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी) के माध्यम से 10% समर्थन का प्रस्ताव है।
 - पांच वर्ष की योजना अवधि के लिए उप योजना हेतु 300 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (पीएमपीडीएस) अध्ययन / सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डेटाबेस निर्मित करने एवं उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से फार्मास्यूटिकल तथा मेडिकल उपकरण क्षेत्रों की वृद्धि तथा विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु।
 - पीएमपीडीएस उप-योजना के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल एवं मेडटेक उद्योग के बारे में ज्ञान तथा जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पांच वर्ष की योजना अवधि के लिए उप योजना हेतु 21.5 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सामाजिक समस्याएँ

जेंडर संवाद

संदर्भ

- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह उत्सव विषय वस्तु 'नए भारत की नारी' के एक भाग के रूप में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है।

जेंडर संवाद: प्रमुख बिंदु

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) द्वारा आयोजित पहल में 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारियों एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों ने भाग लिया।
- इस संस्करण की विषय वस्तु 'महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य तथा पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना' (प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर वूमंस कलेक्टिव) थी।
- जेंडर संवाद, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आभासी पहल है, जिसका उद्देश्य जेंडर लेंस के साथ देश भर में मिशन के अंतःक्षेपों पर व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना है।
- इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को एसएचजी महिलाओं की विचारों को सुनने तथा एसआरएलएम को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीखने में सक्षम बनाया।
- डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य फसलों के विविधीकरण एवं एसएचजी सदस्यों के मध्य सामाजिक तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) सहित कुपोषण से लड़ने हेतु अनेक अंतःक्षेपों पर कार्य कर रहे हैं।
- एसएचजी महिलाएं व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दे सकती हैं, कम वजन के बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को सलाह दे सकती हैं, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकती हैं, स्वस्थ आहार, सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन, उचित आयु में विवाह, साथ ही गर्भधारण के मध्य अंतर कर सकती हैं।

एनआरएलएम के बारे में

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना के रूप में 2011 में प्रारंभ किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य लगभग 9-10 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों को चरणबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)

में संगठित करना तथा उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, अपनी आय तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

- नवंबर 2015 में, कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) कर दिया गया।
- एनआरएलएम को स्व-प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं संघबद्ध संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तथा 6 लाख गांवों में 7 करोड़ निर्धन ग्रामीण परिवारों को सम्मिलित करने एवं आजीविका समूह को 8-10 वर्ष की अवधि के लिए उनका समर्थन करने का अधिदेश प्राप्त है।
- इसके अतिरिक्त, गरीबों को उनके अधिकारों, सरकार समर्थित अनुदानों एवं सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम तथा सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
- एनआरएलएम निर्धनों की सहज क्षमताओं का उपयोग करने में विश्वास रखता है एवं देश की वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उन्हें क्षमताओं (सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त तथा सामूहिकता) के साथ पूरक है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) के अंतर्गत "आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना" (एजीवाईवाई) नामक एक नवीन उप-योजना आरंभ की है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत, डीएवाई - एनआरएलएम योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) का उपयोग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन हेतु एसएचजी सदस्यों की सहायता के लिए किया जाएगा।



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

समाचारों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

- हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में प्रमुख तथ्य

- पृष्ठभूमि:** महिला दिवस प्रथम बार 1911 में मनाया गया था जब एक सम्मेलन में 17 देशों की 100 महिलाएं सम्मिलित हुई थीं, जिसमें यूनियनों, समाजवादी दलों, कामकाजी महिला क्लबों तथा महिला विधायकों ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकृति प्रदान की थी।
- एक नारीवादी एवं श्रमिक नेता जेटकिन ने एक सम्मेलन में प्रस्ताव दिया कि 28 फरवरी को प्रत्येक देश में महिला दिवस मनाया जाए।
- हालाँकि, 1913 में, तिथि में परिवर्तन कर इसे 8 मार्च कर दिया गया एवं यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में:** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को समर्पित एक दिन है, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर ली गई ऐतिहासिक यात्रा का एक प्रतीकात्मक अनुस्मारक है एवं यह कि उस मोर्चे पर बहुत कुछ प्राप्त किया जा चुका है, एक लंबी यात्रा अभी भी शेष है एवं अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के तिथि:** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष यह मंगलवार को पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022

- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की विषय वस्तु:** यूएन वूमेन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2022 (IWD 2022) की थीम 'एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता' (जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमरो) है।
 - इसके अतिरिक्त, IWD 2022 अभियान की विषय वस्तु '#BreakTheBias' (ब्रेक द बायस) है। यह एक "लैंगिक रूप से सामान विश्व" को प्रोत्साहित करने का अभिप्राय रखता है, जो "पूर्वाग्रह, रूढ़ियों एवं भेदभाव से मुक्त" है।
 - "एक ऐसा विश्व जो विविध, न्यायसंगत एवं समावेशी है", तथा जहां "अंतर को महत्व दिया जाता है एवं मनाया जाता है"।
- महत्व:** इस वर्ष का महिला दिवस "दुनिया भर में महिलाओं एवं बालिकाओं के योगदान को पहचानने का प्रयास करता है, जो सभी के लिए एक अधिक धारणीय भविष्य निर्मित करने हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन एवं प्रतिक्रिया पर प्रभार का नेतृत्व कर रही हैं"।

कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, विद्यालय जाने वाली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने हेतु एक ऐतिहासिक अभियान 'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान' प्रारंभ किया गया था।
- कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम** का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की घनिष्ठ सहभागिता के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) तथा शिक्षा मंत्रालय (MoE) के मध्य एक अभिसरण दृष्टिकोण है।

कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान

- आयोजन मंत्रालय:** कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा यूनिसेफ की साझेदारी में प्रारंभ किया गया है।
- अभिभावक योजना:** कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में 400,000 से अधिक विद्यालयी शिक्षा से वंचित किशोर बालिकाओं को लक्षित करके MoWCD की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) पहल की छत्रछाया में प्रारंभ किया जाएगा।
- वित्त पोषण:** सभी राज्यों के 400 से अधिक जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जमीनी स्तर पर पहुंच एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वित्त पोषित किया जाएगा।
 - यह समुदायों एवं परिवारों को विद्यालयों में किशोरियों का नामांकन कराने हेतु संवेदनशील बनाने के लिए है।
 - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) को विद्यालय न जाने वाली किशोरियों की काउंसलिंग तथा रेफर करने के लिए और प्रोत्साहित किया जाएगा।

कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के मुख्य उद्देश्य

- कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्देश्य भारत में विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा एवं/या कौशल प्रणाली में वापस लाना है।
- कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का उद्देश्य विद्यालय में 11-14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के नामांकन तथा प्रतिधारण को बढ़ाना भी है।
- कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के लिए एक व्यापक प्रणाली पर कार्य करने हेतु वर्तमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसे किशोर बालिकाओं (एडोलिसेंट गर्ल्स/एसएजी), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर आधारित होने का अभिप्राय रखता है।

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में गिरावट

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) समाचारों में

- भारत के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत के मातृ मृत्यु अनुपात (मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो/MMR) में 10 अंकों की गिरावट आई है।

मातृ मृत्यु अनुपात की परिभाषा

- मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को एक निश्चित समय अवधि के दौरान समान समय अवधि के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों के सापेक्ष मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- एमएमआर जीवित जन्मों की संख्या के सापेक्ष मातृ मृत्यु के जोखिम को प्रदर्शित करता है एवं अनिवार्य रूप से एकल गर्भावस्था अथवा एकल जीवित जन्म में मृत्यु के जोखिम को प्रग्रहित करता है।

भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)

- भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 2016-18 में 113 से गिरकर 2017-18 में 103 (8.8% गिरावट) हो गया है।
- भारत में एमएमआर में 2014-2016 में 130, 2015-17 में 122, 2016-18 में 113 तथा 2017-19 में 103 में प्रगामी कमी देखी गई थी।
- **महत्व:** इस निरंतर गिरावट के साथ, भारत 2020 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (नेशनल हेल्थ पॉलिसी/एनएचपी) के 100/लाख जीवित जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब था।
 - भारत 2030 तक 70/लाख जीवित जन्मों के सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है।

एमएमआर पर राज्यवार प्रदर्शन

- **एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या में वृद्धि:** एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या अब पांच से बढ़कर सात हो गई है। ये राज्य हैं-
 - केरल (30),
 - महाराष्ट्र (38),
 - तेलंगाना (56),
 - तमिलनाडु (58),
 - आंध्र प्रदेश (58),
 - झारखंड (61), एवं
 - गुजरात (70)
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (नेशनल हेल्थ पॉलिसी/एनएचपी) लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या में वृद्धि:** अब नौ राज्य हैं जिन्होंने एनएचपी द्वारा निर्धारित एमएमआर लक्ष्य को प्राप्त कर

लिया है, जिसमें उपरोक्त सात एवं कर्नाटक (83) तथा हरियाणा (96) सम्मिलित हैं।

- **एमएमआर में अधिकतम गिरावट:** उत्तर प्रदेश द्वारा उत्साहजनक उपलब्धि दर्ज की गई है, जिसमें अधिकतम 30 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, इसके बाद राजस्थान (23 अंक), बिहार (19 अंक), पंजाब (15 अंक) तथा ओडिशा (14 अंक) का स्थान है।
- **एमएमआर में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ ने एमएमआर में वृद्धि प्रदर्शित की है।
 - इन राज्यों को एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने एवं एमएमआर में गिरावट को त्वरित करने के प्रयासों को और गहन करने की आवश्यकता होगी।
- **राज्यों में प्रतिशत-वार एमएमआर गिरावट:**
 - **MMR में 15% से अधिक की गिरावट:** केरल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में MMR में 15% से अधिक की गिरावट देखी गई है।
 - **MMR में 10-15% के मध्य की गिरावट:** झारखंड, राजस्थान, बिहार, पंजाब, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में 10-15% के मध्य की गिरावट देखी गई है।
 - **MMR में 5-10% के मध्य की गिरावट:** मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा एवं कर्नाटक में 5-10% के मध्य की गिरावट देखी गई।

भारत के महापंजीयक के बारे में मुख्य बिंदु

- **भारत के महापंजीयक के बारे में:** 1949 में, सरकार ने भारत के महापंजीयक तथा पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन गृह मंत्रालय में एक संगठन की स्थापना की।
 - रजिस्ट्रार का पद आमतौर पर एक सिविल सेवक के पास होता है जो संयुक्त सचिव के स्तर का पद धारण करता है।
- **अधिदेश:** भारत के महापंजीयक को जनसंख्या के आकार, उसकी वृद्धि इत्यादि पर आंकड़ों का एक व्यवस्थित संग्रह विकसित करने हेतु अधिदेशित है।
- **प्रमुख उत्तरदायित्व:** भारत के महापंजीयक भारत की जनगणना एवं भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन एवं विश्लेषण करते हैं।

लैंगिक भूमिकाओं पर प्यू स्टडी

लैंगिक भूमिकाओं पर Pew स्टडी- पृष्ठभूमि

- समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, हाल ही में "भारतीय परिवारों एवं समाज में लैंगिक भूमिकाओं को कैसे देखते हैं" शीर्षक से लैंगिक भूमिकाओं पर एक प्यू अध्ययन जारी किया गया था।

- प्यू अध्ययन के निष्कर्ष नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक किए गए 29,999 भारतीय वयस्कों के सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारणों से परिवार पुत्रियों के स्थान पर पुत्रों को अधिक महत्व देते हैं।

लैंगिक भूमिकाओं पर Pew अध्ययन- मुख्य निष्कर्ष

- **महिलाओं के लिए पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं का पक्ष लें:** अध्ययन में पाया गया कि, जबकि भारतीय महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, वे ज्यादातर पारिवारिक जीवन में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं का पक्ष लेते हैं।
 - जबकि 55% भारतीयों का मानना था कि पुरुष एवं महिलाएं समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता हैं, "दस में से नौ भारतीय इस धारणा से सहमत हैं कि एक पत्नी को सदैव अपने पति का आज्ञा पालन करना चाहिए"।
 - भारतीय पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं की इस भावना से सहमत होने की संभावना थोड़ी ही कम थी (61% बनाम 67%)।
- **शिशु देखभाल पर:** यद्यपि अधिकांश भारतीयों ने लैंगिक भूमिकाओं पर समतावादी विचार व्यक्त किए, जिसमें 62% ने कहा कि शिशु देखभाल के लिए पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को जिम्मेदार होना चाहिए।
 - यद्यपि, पारंपरिक मानदंडों का अभी भी प्रभुत्व था, 34% ने दृढ़ मत प्रकट किया कि शिशु देखभाल "मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संभाला जाना चाहिए"।
- **कमाई की भूमिकाओं पर:** 54% उत्तरदाताओं का कहना है कि पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
 - दूसरी ओर, लगभग 43% का मानना था कि आय अर्जित करना मुख्य रूप से पुरुषों का दायित्व है।
 - 80% भारतीय इस विचार से सहमत थे कि जब नौकरियां कम हों, तो पुरुषों को महिलाओं की तुलना में नौकरी पर अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
- **पुत्र वरीयता:** जबकि भारतीय, पुत्रों तथा पुत्रियों दोनों को महत्व देते हैं, लगभग 94% ने कहा कि परिवार के लिए कम से कम एक पुत्र होना अत्यंत आवश्यक है, तदनुरूपी जिसमें पुत्रियों के लिए यह आंकड़ा 90% है।
- **विरासत अधिकारों पर:** लगभग 64% भारतीयों ने यह भी कहा कि पुत्रों तथा पुत्रियों को माता-पिता से विरासत में समान अधिकार मिलने चाहिए।
- **माता-पिता की देखभाल पर:** जबकि चार में से दस वयस्कों ने कहा कि वृद्ध माता-पिता की देखभाल करने का प्राथमिक

उत्तरदायित्व पुत्रों का होना चाहिए, मात्र 2% ने पुत्रियों के बारे में समान बात कही।

- **लिंग-चयनात्मक गर्भपात पर:** 40% भारतीयों ने "कम से कम कुछ परिस्थितियों में लिंग-चयनात्मक गर्भपात को स्वीकार्य माना"।
- यद्यपि, 42% ने इस प्रथा को "पूर्ण रूप से अस्वीकार्य" पाया।

लैंगिक भूमिकाओं पर Pew अध्ययन-

- **लैंगिक समानता पर:** 70% के वैश्विक औसत ने कहा कि महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण था।
 - इसी तरह भारत में 72% भारतीय मानते हैं कि लैंगिक समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- उत्तरी अमेरिका (92% औसत), पश्चिमी यूरोप (90%), एवं लैटिन अमेरिका (82%) के लोगों की तुलना में भारतीयों में लैंगिक समानता पर उच्च आदर्श रखने की संभावना कम थी।
- उप-सहारा अफ्रीका (48% औसत) एवं मध्य-पूर्व-उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र (44%) की तुलना में उनके ऐसा करने की अधिक संभावना थी।
- दक्षिण एशिया में, भारतीयों में पाकिस्तानियों (72% से 64%) की तुलना में लैंगिक समानता का पक्ष लेने की अधिक संभावना थी।
- कॉलेज की डिग्री वाले भारतीयों में लैंगिक भूमिकाओं पर पारंपरिक विचार रखने की संभावना कम थी, यद्यपि यह सभी लिंग-संबंधी मुद्दों तक विस्तारित नहीं था।

प्रवासियों एवं देश-प्रत्यावर्तितों के राहत तथा पुनर्वास हेतु प्रख्य योजना

संदर्भ

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने अम्ब्रेला योजना "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत तथा पुनर्वास" के अंतर्गत सात मौजूदा उप योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- योजना को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।
- योजना का कुल परिव्यय 1,452 करोड़ रुपये होगा।
- यह योजना उन प्रवासियों एवं प्रत्यावर्तितों को, जो विस्थापन के कारण पीड़ित हैं, एक उचित आय अर्जित करने तथा मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में उनके समावेश को सुविधाजनक बनाने हेतु सक्षम बनाती है।
- अनुमोदन से यह सुनिश्चित होगा कि अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत सहायता गृह मंत्रालय के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचती रहेगी।

प्रवासियों एवं देश-प्रत्यावर्तितों के राहत तथा पुनर्वास हेतु प्रच्छन्न योजना: 7 योजनाएं

- जम्मू-कश्मीर कथा छंब के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के लिए राहत एवं पुनर्वास,
- श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को राहत सहायता,
- त्रिपुरा में राहत शिविरों में बंद ब्रू को राहत सहायता,
- 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को वर्धित राहत,
- उग्रवाद, विद्रोहियों, सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद हिंसा और सीमा पार से गोलीबारी तथा भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोटों के पीड़ितों सहित आतंकवादी हिंसा के

प्रभावित नागरिक पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं,

- केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी/सीटीआरसी) को सहायता अनुदान,
- सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को कूचबिहार जिले में स्थित भारत में 51 पूर्व बांग्लादेशी अंतस्थ क्षेत्रों (एन्क्लेव) में आधार्क अवसंरचना के विकास के लिए एवं बांग्लादेश में पूर्ववर्ती भारतीय अंतस्थ क्षेत्रों से 922 स्वदेश वापस लौटने वालों के पुनर्वास के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान कर रही है



पर्यावरण और पारिस्थितिकी

अमेज़ॉन वर्षावन अस्थिर बिंदु तक पहुंच रहे हैं

अमेज़ॉन वर्षावन: प्रसंग

- एक नए अध्ययन के अनुसार, अमेज़ॉन वर्षावन का 75% से अधिक भाग 2000 के दशक से एक अस्थिर बिंदु (टिपिंग पॉइंट) की ओर बढ़ रहा है।

टिपिंग पॉइंट के पास अमेज़ॉन वर्षावन: मुख्य बिंदु

- उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि वन सूखे या आग जैसी चरम घटनाओं से स्थिति में सुधार की अपनी क्षमता खो रहा है, जिससे शुष्क सवाना जैसा पारिस्थितिकी तंत्र बनने का संकट है।
- संक्रमण का वनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह इसकी समृद्ध जैव विविधता, कार्बन-भंडारण क्षमता एवं वैश्विक जलवायु परिवर्तन को बदल सकता है।
- अध्ययन से ज्ञात होता है कि कम वर्षा वाले एवं मानव भूमि उपयोग के करीब वाले क्षेत्रों में टिपिंग पॉइंट के संकेतक तेजी से ऊपर जाते हैं।

अमेज़ॉन वर्षावनों का महत्व

- अमेज़ॉन के वर्षावन में विश्व की लगभग 30 प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 16,000 वृक्षों की प्रजातियाँ, 1,300 पक्षियों तथा स्तनधारियों की 430 से अधिक प्रजातियां सम्मिलित हैं।
- अमेज़ॉन के वृक्ष जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं, इसे वायुमंडल में मुक्त करते हैं तथा संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में वर्षा को प्रभावित करते हैं।
- वर्षावन भी एक कार्बन सिंक है एवं इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं।



अमेज़ॉन वर्षावन: वर्तमान स्थिति

- वनोन्मूलन: रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी 2022 में कुल वनोन्मूलन 430 वर्ग किलोमीटर था जो विगत वर्ष के इसी महीने की तुलना में पांच गुना अधिक है।
- वृक्षों की इस हानि का महाद्वीप में वर्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- बढ़ता तापमान: मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान वर्षावन को कार्बन सिंक से कार्बन के एक स्रोत में रूपांतरण हेतु प्रेरित कर रहा है।
- शोधकर्ताओं का विचार था कि यदि वन आंशिक रूप से शुष्क पर्यावासों में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर सकते हैं।
- मानव भूमि उपयोग गतिविधियां: 2010 के बाद से वृक्षों को सीधे हटाने, सड़कों के निर्माण तथा आग लगने जैसी घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है, जो स्थिति को और भी बिगाड़ रही है।

अमेज़ॉन वर्षावन वनोन्मूलन के प्रभाव

- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दशकों की मानवीय गतिविधियां एवं परिवर्तित होती जलवायु ने वनों को एक "अस्थिर बिंदु" (टिपिंग प्वाइंट) के पास ला दिया है।
- विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि जल चक्र शीघ्र ही अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाएगा, वर्षा में गिरावट दशकों पहले आरंभ हुए लंबे शुष्क मौसम की प्रवृत्ति में बंद हो जाएगा।
- सिकुड़ते वनों का कम से कम आधा हिस्सा सवाना का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- 17% से अधिक वन पहले ही समाप्त हो चुके हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाने के बावजूद, टिपिंग प्वाइंट वनोन्मूलन (वनों की कटाई) के 20% से 25% तक तक पहुंच जाएगा।
- यदि वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो मध्य, पूर्वी एवं दक्षिणी अमेज़ॉन का अधिकांश भाग निश्चित रूप से बंजर गुल्म भूमि बन जाएगा।
- यदि चीजें वैसी ही चलती रहीं, जैसी अभी हैं, तो हो सकता है कि अमेज़ॉन कुछ पीढ़ियों के भीतर बिल्कुल भी मौजूद न हो, जिसके पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए गंभीर परिणाम होंगे। यदि अमेज़ॉन नष्ट हो जाता है, तो वैश्विक तापन को नियंत्रित करना असंभव होगा।

अमेज़ॉन वर्षावन वनोन्मूलन: आगे की राह

- वनोन्मूलन की गति को कम करने तथा वैश्विक हरित गृह गैसों को सीमित करने से वनों के संकटग्रस्त हिस्सों की रक्षा होगी तथा अमेज़ॉन वर्षावन के लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा।

कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियां

संदर्भ

- केरल कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए कार्बन-तटस्थ कृषि विधियों को प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य बनने के लिए तैयार है।

कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धतियां केरल: प्रमुख बिंदु

- राज्य चयनित स्थलों पर में कार्बन-तटस्थ कृषि पद्धतियों को प्रारंभ करेगा, जिसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग क्रियान्वित की जाएगी एवं अलुवा स्थित राज्य बीज फार्म (स्टेट सीड फार्म) को कार्बन न्यूट्रल फार्म में रूपांतरित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
- दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे।

कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियां: क्यों महत्वपूर्ण है

- पर्यावरण संतुलन एवं बेहतर स्वास्थ्य तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भरण-पोषण के लिए कार्बन- तटस्थ कृषि समय की आवश्यकता बनती जा रही है।
- केरल वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेल रहा है, जैसा कि हाल के दिनों में अप्रत्याशित भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रमाणित हुआ था।
- ऐसे में राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह नवीन एवं नवोन्मेषी कृषि पद्धतियों को अपनाए।
- कार्बन न्यूट्रल कृषि कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी तथा कार्बन को मृदा में संग्रहित करने में सहायता करेगी।

कार्बन तटस्थ कृषि केरल

- राज्य सरकार ने राज्य के भीतर सुरक्षित आहार का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 2022 में जैविक कृषि मिशन की स्थापना का निर्णय लिया है।
- मिशन के हिस्से के रूप में, किसानों को कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं।

- इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक अभियांत्रिकी, खाद बनाने, मृदा में कार्बनिक कार्बन के स्तर में वृद्धि करने तथा मृदा में कार्बन पृथक्करण पर अधिक बल दिया जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत में कार्बन तटस्थ कृषि पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

कार्बन न्यूट्रल कृषि क्या है?

- कार्बन फार्मिंग कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन संग्रहित करने में सहायता करती है एवं हरित कृषि गैसों की मात्रा को कम करती है जो इसे वातावरण में मुक्त करते हैं।
- उदाहरण के लिए, भारतीय किसान जलमार्गों के किनारे वृक्षों के आवरण सहित वनस्पतियों को संरक्षित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी चरागाह की भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं।
- इसी तरह, किसान वनस्पति में संग्रहित हरितगृह गैसों की मात्रा को कम करने के लिए खाद या बायोचार का उपयोग करने जैसी उर्वरक न्यूनीकरण रणनीतियों को भी लागू कर सकते हैं।

कार्बन कृषि की आवश्यकता

- कृषि तथा जलवायु परिवर्तन निकट रूप से संबंधित हैं।
- कृषि को कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) एवं मीथेन (CH₄) के मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है, दो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों, यद्यपि, इसमें पौधों, वृक्षों एवं मृदा में कार्बन को पृथक करने तथा संग्रहित करने की एक विशाल क्षमता है।
- एक अधिक कार्बन तटस्थ कृषि संभव है, यदि कृषि प्रणालियों में कार्बन संतुलन को अनुकूलित करने के लिए उचित कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाया जाता है।
- इनमें पशुधन द्वारा मिथेन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पद्धतियां सम्मिलित हो सकती हैं, ऐसी पद्धतियां जिनके परिणामस्वरूप कृषि आदानों (जैसे ईंधन, कीटनाशक, उर्वरक) का कम उपयोग होता है या ऐसी पद्धतियां जो मृदा में कार्बन को संग्रहित रखने में सहायता करती हैं।

जलवायु परिवर्तन 2022: आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट

संदर्भ

- आईपीसीसी ने हाल ही में छठी आकलन रिपोर्ट (एआर 6 डब्ल्यूजीआईआई) के दूसरे भाग की रिपोर्ट की है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों एवं संवेदनशीलताओं पर ध्यान केंद्रित करती है तथा अनुकूलन के विकल्पों की खोज करती है।

आईपीसीसी: छठी मूल्यांकन रिपोर्ट

- रिपोर्ट का प्रथम भाग अगस्त 2021 में जारी किया गया था। इसमें जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार के बारे में चर्चा की गई थी।
- आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट का तीसरा एवं अंतिम भाग अप्रैल 2022 में जारी करेगी।
- IPCC की प्रथम आकलन रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी।
- रिपोर्टें तब 1995, 2001, 2007 और 2015 में जारी की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का आधार निर्मित करती हैं।

एआर 6 डब्ल्यूजीआईआई: प्रमुख निष्कर्ष

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- आईपीसीसी ने प्रथम बार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय एवं खंडीय प्रभावों तथा स्वास्थ्य प्रभावों को शामिल किया है।
- उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि **मुंबई समुद्र के स्तर में वृद्धि से प्रभावित होगा**, जबकि **कोलकाता में तूफान का खतरा** है। यह एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है कि इन खतरों के संबंध में क्या करने की आवश्यकता है एवं विगत रिपोर्टों में ऐसा नहीं किया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित चरम जलवायुविक घटनाएं अल्पकालिक से दीर्घकालिक अवधि तक **खराब स्वास्थ्य और समय पूर्व होने वाली मौतों** की संख्या में अत्यधिक वृद्धि करेंगी।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डेंगू तथा मलेरिया जैसी **वेक्टर जनित बीमारियां** बढ़ेंगी।
- इसके अतिरिक्त, चिंता एवं तनाव सहित **मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां**, सभी मूल्यांकन किए गए क्षेत्रों में, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों, बुजुर्गों तथा अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए वैश्विक तापन के अंतर्गत बढ़ने की संभावना है।

खाद्य प्रणाली पर प्रभाव

- रिपोर्ट में इस तथ्य के प्रति सचेत किया गया है कि एशिया में **कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के लिए जलवायु संबंधी जोखिम** में परिवर्तित होती जलवायु के साथ **और वृद्धि होगी**।
- जहां तक भारत का संबंध है, **चावल के उत्पादन में 10 से 30 प्रतिशत की कमी** देखी जा सकती है, जबकि मक्के के उत्पादन में 25 से 70 प्रतिशत की कमी देखी जा सकती है, यह मानते हुए कि तापमान के परिसर में 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाती है।

वेट-बल्व तापमान

- रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहती है, तो भारत के अधिकांश हिस्सों में **आर्द्र बल्व का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस की असहनीय सीमा तक पहुंच जाएगा** या उससे अधिक हो जाएगा, देश के अधिकांश हिस्से में 31 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के आर्द्र बल्व तापमान तक पहुंच जाएगा।
- वेट-बल्व तापमान एक माप है जो ऊष्मा एवं आर्द्रता को जोड़ता है।
- 31 डिग्री सेल्सियस का एक आर्द्र बल्व तापमान मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस मान का तापमान छाया में आराम करने वाले हृष्ट पृष्ठ शरीर एवं स्वस्थ वयस्कों के लिए भी लगभग छह घंटे से अधिक समय तक जीवित रहने योग्य नहीं है।
- वर्तमान में, भारत में वेट-बल्व का तापमान शायद ही कभी 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, अधिकांश देशों में 25-30 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम वेट-बल्व तापमान अनुभव किया जाता है।

जल के अभाव पर प्रभाव

- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जलवायुविक एवं गैर-जलवायुविक दोनों कारकों जैसे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने एशिया के सभी उप-क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा मांग दोनों में **जल के अभाव की स्थिति** उत्पन्न कर दी है।
- भारत में अमु दरिया, सिंधु, गंगा एवं अंतरराज्यीय साबरमती-नदी बेसिन के अंतरराष्ट्रीय सीमा-पारीय नदी द्रोणी जलवायु परिवर्तन के कारण **जल के अभाव की गंभीर चुनौतियों** का सामना कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक तापन के उच्च स्तर के कारण सदी के अंत तक, वैश्विक तापन रहित विश्व की तुलना में, **वैश्विक जीडीपी में 10-23 प्रतिशत की गिरावट** आ सकती है।
- अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के कारण और भी व्यापक आर्थिक गिरावट देख सकती हैं।
- रिपोर्ट में उद्धृत एक अध्ययन के अनुसार, यदि उत्सर्जन का स्तर उच्च है, तो सदी के अंत तक जीडीपी की हानि चीन में 42 प्रतिशत एवं भारत में 92 प्रतिशत तक हो सकती है।

प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

समाचारों में प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- हाल ही में, केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग (माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज/एमएसएमई) राज्य मंत्री ने आज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- एमएसएमई मंत्रालय ने युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पूरे देश में आकांक्षी जिलों में भी दो विशेष पहल - 'संभव' एवं 'स्वावलंबन' प्रारंभ किया।

प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन- प्रमुख बिंदु

- प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:** प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्लास्टिक में चुनौतियों तथा अवसरों पर विचार-विमर्श करने हेतु सरकार एवं उद्योग जगत के- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित वक्ताओं को एक साथ लाएगा।
- स्थान एवं समय:** प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 मार्च, 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
- आयोजक मंत्रालय:** प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ (ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन/एआईपीएमए) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
- भागीदारी:** प्लास्टिक पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से 350 से अधिक एमएसएमई तथा आभासी रूप से पूरे देश से 1000 से अधिक एमएसएमई भाग लेंगे।
 - इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि आभासी रूप से इस मेगा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
- महत्व:**
 - शेखर सम्मेलन एमएसएमई के प्रभाव तथा संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों एवं विशेषज्ञों को एक साथ लाने हेतु एक प्रभावी मंच है।
 - धारणीय, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्लास्टिक को लाभप्रद रूप से पुनर्प्राप्त करने एवं पुनर्चक्रण करने की क्षमता में निहित है।
 - इस क्षेत्र को औपचारिक रूप प्रदान करने एवं पुनर्चक्रण की गुणवत्ता तथा क्षमता दोनों में व्यापक सुधार की अपार संभावनाएं हैं।

- यह स्वच्छ भारत अभियान के विजन में विश्वास के साथ प्लास्टिक उद्योग एवं पुनर्चक्रण क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

ग्रेट बैरियर रीफ में व्यापक पैमाने पर विरंजन

संदर्भ

- हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क प्राधिकरण ने घोषणा की है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक अन्य सामूहिक विरंजन घटना से तबाह हो रहा है।
- विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति 2020 के बारे में पढ़ें

ग्रेट बैरियर रीफ: प्रमुख बिंदु

- छह वर्षों में यह चौथी बार है कि प्रवाल भित्तियों को हो रही इतनी गंभीर एवं व्यापक क्षति का पता चला है।
- महत्वपूर्ण रूप से, 2016 तक मात्र दो सामूहिक विरंजन घटनाओं को अभिलिखित किया गया था।
- वैज्ञानिक विशेष रूप से चिंतित हैं क्योंकि उसी वर्ष ला नीना मौसम की घटना के रूप में एक विरंजन घटना हुई है। आमतौर पर, ऑस्ट्रेलिया में, ला नीना ठंडा तापमान लाता है।
- आगामी अल नीनो से होने वाली क्षति को लेकर वैज्ञानिक अब सहमे हुए हैं।

ग्रेट बैरियर रीफ: मास ब्लिचिंग क्या है?

- प्रवाल विरंजन बलाघात के तहत किसी प्रवाल की एक सामान्य प्रतिक्रिया है। प्रक्षालित प्रवाल के छोटे खंड आवश्यक रूप से चिंता का एक कारण नहीं हैं।
- यद्यपि, व्यापक स्तर पर विरंजन की घटनाएं दसियों अथवा यहां तक कि सैकड़ों (एवं कभी-कभी हजारों) किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दुष्प्रभावित कर सकती हैं एवं इसमें सम्मिलित सभी हितधारकों के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण होती हैं।



- व्यापक पैमाने पर विरंजन का कारण: बड़े पैमाने पर विरंजन की घटनाएं मुख्य रूप से समुद्र के तापमान के कारण प्रारंभ होती हैं जो लंबे समय तक (सप्ताह) के लिए सामान्य गर्मी के अधिकतम तापमान से अधिक होती हैं।
- प्राथमिक प्रेरक: जल का उच्च तापमान एवं सूर्य की तीव्र रोशनी।
- न्यूनतम धारा वाली शांत तथा स्पष्ट स्थितियां भी बलाघात को बढ़ा सकती हैं एवं विरंजन की गति को तीव्र कर सकती हैं।
- पवन एवं धाराओं की कमी के परिणामस्वरूप जल की परतों का आपस में कम संमिश्रण, स्वच्छ समुद्र तथा सौर विकिरण की गहरी पैठ हो सकती है।

व्यापक पैमाने पर विरंजन: पर्यावरण वैज्ञानिक चिंतित क्यों हैं?

- विगत कुछ दशकों में व्यापक पैमाने पर विरंजन की घटनाओं की आवृत्ति तथा गंभीरता में वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर कब्बाल का क्षरण हो रहा है।
- इन घटनाओं के और भी अधिक घटित होने की संभावना है क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के तहत समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि जारी है।
- यह प्रथम अवसर है जब प्राकृतिक ला नीना मौसम प्रतिरूप की शीतलन स्थितियों के तहत प्रवाल विरंजित हुई है, जो जलवायु परिवर्तन की दीर्घकालिक वैश्विक तापन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

ग्रेट बैरियर रीफ

- ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट पर उल्लेखनीय विविधता एवं सुंदरता का स्थल है।
- इसमें 400 प्रकार के प्रवाल, मछलियों की 1500 प्रजातियों तथा 4,000 प्रकार के घोंघा (मोलस्क) के साथ प्रवाल भित्तियों का विश्व का सर्वाधिक वृहद संग्रह है।
- यह डुगोंग ('समुद्री गाय') एवं विशाल हरे कछुए जैसी प्रजातियों के पर्यावास स्थल के रूप में भी व्यापक वैज्ञानिक महत्त्व धारण करता है, जो विलुप्त होने के खतरे में हैं।

प्रवाल भित्तियों का महत्व

आर्थिक महत्व

- प्रवाल भित्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य प्रति वर्ष 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें प्रवाल भित्ति पर्यटन में 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।

पारिस्थितिक महत्व

- प्रवाल भित्तियाँ कम से कम 25% समुद्री प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती हैं एवं सैकड़ों लाखों व्यक्तियों की सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, कल्याण, भोजन एवं आर्थिक सुरक्षा का आधार हैं।
- नरम प्रवाल झुकते हैं एवं कठोर प्रवाल के श्रृंगीय (टेढ़े-मेढ़े) पर्वतों के मध्य झूलते हैं तथा मछली, घोंघे एवं अन्य समुद्री जीवों के लिए अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराते हैं।
- प्रवाल भित्तियाँ विश्व के किसी भी पारितंत्र की उच्चतम जैव विविधता को आश्रय प्रदान करती हैं, जो उन्हें ग्रह पर जैविक रूप से सर्वाधिक जटिल एवं मूल्यवान बनाती हैं।

सरिस्का व्याघ्र अभ्यारण्य में भीषण आग

सरिस्का टाइगर रिजर्व: प्रसंग

- हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई एवं पानी की फुहारों से लैस वायु सेना के हेलीकॉप्टर इस पर काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं।

अब तक की कहानी: मुख्य बिंदु

- इस आग लगने की सर्वप्रथम सूचना 27 मार्च को मिली थी। अगले दिन, अधिकारियों ने, हालांकि सीमित सफलता के साथ इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न किया।
- इसके अतिरिक्त, तेज हवाओं ने इस स्थिति को और बदतर बना दिया है क्योंकि आग पहाड़ियों तक पहुंच गई है। इसके बाद अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु बुलाया।
- 29 मार्च को वायु सेना के हेलिकॉप्टरों ने प्रभावित क्षेत्रों पर पानी का छिड़काव किया तथा पहाड़ियों में लगी आग को आंशिक रूप से बुझा दिया गया।
- सरिस्का के 27 बाघों में से कम से कम नौ बाघ आग से प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाने जाते हैं।

सरिस्का में आग लगने के कारण

- यद्यपि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, किंतु हाल के दिनों में देश के उत्तरी हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग

- अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ तथा संकरी घाटियाँ सरिस्का के परिदृश्य में प्रमुखता रखती हैं, जिनके वन शुष्क एवं पर्णपाती हैं।
- उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में आग लगने की संभावना अधिक होती है क्योंकि इनमें उच्च ईंधन होता है।
- इस बार आग पहाड़ी के शीर्ष से फैली है।
- आग बाघों की दिशा की ओर बढ़ रही थी किंतु हेलीकॉप्टर आग पर नियंत्रण पाने में सफल रहे।

- बाघों के संदर्भ में एक लाभ यह है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की आग में, बड़े जानवर भाग सकते हैं तथा आग की लपटों से बच सकते हैं एवं मुख्य हताहत सरीसृप जैसे छोटे जानवर होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में कोई गांव नहीं है, इसलिए मानव क्षति नगण्य है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में

- सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है एवं अरावली पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं, नीलगाय, सांभर, चीतल इत्यादि की आबादी है। इस उद्यान में भारतीय मयूर (मोर), कलगीदार सर्प बाज़, सैंड ग्राउज़, सुनहरे पीठ वाला कठफोडवा, विशाल शृंगी भारतीय उल्लू, ट्री पीज़, गिद्धों की एक बड़ी आबादी भी है।
- 1955 में, सरिस्का को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था एवं फिर बाद में 1978 में एक व्याघ्र अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा बन गया।

पारद पर मिनामाता अभिसमय

संदर्भ

- मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के चतुर्थ सम्मेलन (सीओपी 4) वर्तमान में बाली, इंडोनेशिया में प्रगति पर है।

मिनामाता कन्वेंशन क्या है?

- पारा पर मिनामाता सम्मेलन सबसे हालिया वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को पारा तथा इसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित करना है।
- मिनामाता कन्वेंशन वर्ष: पारद पर मिनामाता कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसे 2013 में अंगीकृत किया गया था।
- मिनामाता क्या है? मिनामाता का नाम जापान में खाड़ी के नाम पर रखा गया है, जहां 20 वीं शताब्दी के मध्य में, पारा-संदूषित औद्योगिक अपशिष्ट जल ने हजारों लोगों को विषाक्त कर दिया, जिससे गंभीर स्वास्थ्य क्षति हुई जिसे "मिनामाता रोग" के रूप में जाना जाने लगा।
- मिनामाता कन्वेंशन, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 50वें साधन के जमा होने की तिथि के 90वें दिन पर 16 अगस्त 2017 को प्रवर्तन में आया।

- क्या मिनामाता सम्मेलन विधिक रूप से बाध्यकारी है? इस अत्यधिक विशाल पदार्थ को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने हेतु मिनामाता अभिसमय विश्व की विधिक रूप से बाध्यकारी प्रथम संधि है।

मिनामाता कॉप

- अगस्त 2017 में मिनामाता कन्वेंशन के प्रवर्तन में आने के पश्चात से, सीओपी ने सितंबर 2017 में अपनी पहली बैठक, नवंबर 2018 में इसकी दूसरी बैठक एवं 25 से 29 नवंबर 2019 तक जिनेवा में अपनी तीसरी बैठक की।

मिनामाता अभिसमय (स्थान)	वर्ष
जिनेवा	2017
जिनेवा	2018
जिनेवा	2019
बाली	2022

मिनामाता कन्वेंशन: प्रमुख विशेषताएं

- पारा की नई खदानों पर प्रतिबंध,
- वर्तमान खदानों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना,
- अनेक उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में पारे के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना एवं चरणबद्ध रूप से कम करना,
- वायु में उत्सर्जन तथा भूमि एवं जल में पारा के उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय, तथा
- कारीगर एवं छोटे पैमाने पर सोने के खनन के अनौपचारिक क्षेत्र का विनियमन।
- यह कन्वेंशन पारा के अंतरिम भंडारण एवं इसके अपशिष्ट, पारे से दूषित स्थलों के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के निपटान पर भी ध्यान देता है।

मिनामाता अभिसमय एवं भारत

- भारत ने 2018 में मिनामाता अभिसमय की अभिपुष्टि की।
- अनुमोदन में पारा आधारित उत्पादों के निरंतर उपयोग एवं 2025 तक पारा यौगिकों को सम्मिलित करने वाली प्रक्रियाओं की लोचशीलता के साथ पारा पर मिनामाता कन्वेंशन पर भारत का अनुसमर्थन शामिल है।
- मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को मानव जनित उत्सर्जन एवं पारा तथा पारा यौगिकों के स्राव से सुरक्षित करने के उद्देश्य से

सतत विकास के संदर्भ में पारा पर मिनामाता अभिसमय लागू किया जाएगा।

- कन्वेंशन पारे के हानिकारक प्रभावों से सर्वाधिक संवेदनशील व्यक्तियों की रक्षा करता है तथा विकासशील देशों के विकासात्मक अवस्थिति की भी रक्षा करता है। इसलिए, निर्धन एवं संवेदनशील समूहों के हितों की रक्षा की जाएगी।
- पारा (मरकरी) पर मिनामाता कन्वेंशन उद्यमों से उत्पादों में पारा मुक्त विकल्पों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं में गैर-पारा प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने का आग्रह करेगा। यह अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करेगा एवं नवाचार को बढ़ावा देगा।

पारा प्रदूषण

- पारा एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भारी धातु है जो हवा, मिट्टी एवं पानी में पाई जाती है। यद्यपि, पारा प्रदूषण मानवी गतिविधियों, जैसे खनन एवं जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण होता है।
- हवा में उत्सर्जित पारा अंततः जल में अथवा भूमि पर स्थिर हो जाता है जहां यह जल में प्रवाहित हो सकता है।
- एक बार निक्षेपित होने के पश्चात, कुछ सूक्ष्मजीव इसे मिथाइलमर्करी में परिवर्तित कर सकते हैं, एक अत्यधिक विषाक्त रूप जो मछली, शंख मीन तथा मछली खाने वाले जानवरों में वर्धित होता है।
- पारा के प्रति अधिकांश मानव जोखिम मिथाइलमर्करी से दूषित मछली एवं शंख मीन खाने से होता है।
- पारा के संपर्क में आने से हमारे स्वास्थ्य के प्रति संकट उत्पन्न होता है।
- यहां तक कि विकासशील भ्रूण एवं छोटे शिशु भी पारा प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
- मनुष्यों के अतिरिक्त, पारा प्रदूषण वन्यजीवों एवं पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है।

सिम्बा: एशियाई सिंह की पहचान हेतु सॉफ्टवेयर

संदर्भ

- हाल ही में, गुजरात वन विभाग ने एशियाई शेरों को उनके उचित प्रबंधन तथा संरक्षण हेतु अभिनिर्धारण के लिए सिम्बा सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

सिम्बा क्या है?

- सिम्बा अथवा सॉफ्टवेयर विद इंटेलेजेंट मार्किंग बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस एक फोटो-पहचान

सॉफ्टवेयर है, जिसे विशेष रूप से पैटर्न या चिह्नों को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वन विभाग शेरों के शरीर के अंगों पर निशान की पहचान कर उन्हें अलग-अलग नाम देगा।
- इस डेटाबेस का उपयोग करके पशु चिकित्सा अभिलेख भी अनुरक्षित रखा जाएगा।

सिम्बा किस प्रकार कार्य करता है?

- एशियाई शेरों को उनके थूथन के दोनों ओर अपने अनोखे गलमुच्छ बिंदुओं (व्हिस्कर स्पॉट) के लिए जाना जाता है।
- कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, ये सटीक पैटर्न शेर के लिए अद्वितीय हैं एवं समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं होता है।
- SIMBA एक गहन यांत्रिक अधिगम तकनीक (डीप मशीन लर्निंग टेक्निक) के साथ कार्य करता है जो युग्मानुसार तुलनाओं के लिए एक बिंदु-पैटर्न से मेल खाता है जो व्यक्तिगत पहचान को स्वतःकृत करता है, जो शेरों के व्हिस्कर स्पॉट पैटर्न में परिवर्तनशीलता, चेहरे पर निशान की उपस्थिति, कानों पर निशान तथा तस्वीर के अन्य अधिआंकड़े (मेटाडेटा) के आधार पर होता है।
- सॉफ्टवेयर फोटोग्राफ से विशिष्टता भी निष्कर्षित करता है एवं यांत्रिक अधिगम के अंतः स्थापन स्थान (एम्बेडिंग स्पेस) के भीतर समरूप पैटर्न या निशान को संकुलित कर सकता है।

SIMBA के लाभ

- SIMBA उपयोगकर्ता को यह पहचानने एवं खोजने की अनुमति प्रदान करता है कि क्या वह सिंह पहले से ही डेटाबेस में मौजूद है अथवा एक नई प्रविष्टि है।
- डेटाबेस से सिंह को, अतिरिक्त सूचनाओं जैसे लिंग (नर / मादा), नाम, माइक्रोचिप नंबर, जीवन-स्थिति (मृत / जीवित), स्तनपान कराने वाली (मादा के मामले में) का उपयोग करके भी फ़िल्टर किया जा सकता है।
- SIMBA में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्राफिकल इंटरफ़ेस है जो उपलब्ध डेटाबेस को सरलता से समझने में सहायता करता है।
- सिम्बा एशियाई सिंह परिदृश्य में प्रजातियों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में प्रयासों में सहायता करेगा।

एशियाई सिंह

- एशियाई सिंह गुजरात के गिर वन में स्थानिक (पाए जाते) हैं।
- यह उन 21 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है, जिन्हें एमओईसीसी द्वारा पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम आरंभ करने हेतु अभिनिर्धारित किया गया है।

- एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से आकार में थोड़े छोटे होते हैं। वयस्क नर का वजन 160 से 190 किलोग्राम होता है, जबकि मादाओं का वजन 110 से 120 किलोग्राम होता है।



- पश्चिमी भारत के गिर वन में लगभग 600 एशियाई शेर बचे हैं, जो उनका अंतिम शेष प्राकृतिक पर्यावास है।
- यह नगण्य जनसंख्या जंगल के एक छोटे से हिस्से में निवास करती है जहां एक रोग, महामारी अथवा जंगल की आग उन्हें सदैव के लिए समाप्त कर सकती है।
- इस नगण्य जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु प्रजातियों को द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि यह अभी भी कई खतरों के प्रति संवेदनशील है।

सुंदरबन टाइगर रिजर्व: टाइगर्स रीचिंग कैरिंग कैपेसिटी

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया/डब्ल्यूआईआई) के एक अध्ययन ने सुझाव दिया है कि सुंदरबन व्याघ्र अभयारण्य में बाघों का घनत्व मँग्रोव वनों की वहन क्षमता तक पहुँच गया होगा।

बाघों की वहन क्षमता तक पहुंचना: प्रमुख बिंदु

- भोजन एवं स्थान की उपलब्धता प्राथमिक कारक है जो यह निर्धारित करता है कि एक वन में कितने बाघ हो सकते हैं।
- इसलिए, सुंदरबन में बाघों का कम घनत्व प्रतिकूल मँग्रोव पर्यावास का एक अंतर्निहित गुण है जो बाघों के शिकार के अल्प घनत्व का समर्थन करता है।

बाघों की वहन क्षमता

- तराई एवं शिवालिक पहाड़ियों (उदाहरण के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व) के क्षेत्र में, 100 वर्ग किमी में 10-16 बाघ जीवित रह सकते हैं।

- बांदीपुर टाइगर रिजर्व जैसे उत्तर-मध्य पश्चिमी घाट के रिजर्व में घनत्व घटकर 7-11 बाघ प्रति 100 वर्ग किमी हो जाता है।
- यह घनत्व मध्य भारत के कान्हा टाइगर रिजर्व जैसे शुष्क पर्णपाती वनों में प्रति 100 वर्ग किमी में 6-10 बाघों तक कम हो जाता है।

सुंदरबन की वहन क्षमता

- 2015 में भारत-बांग्लादेश के एक संयुक्त अध्ययन ने सुंदरबन के आठ ब्लॉकों का सर्वेक्षण करने के बाद बाघों का घनत्व 85 प्रति 100 वर्ग किमी आंका।
- जारी WII अध्ययन सुंदरबन में 3-5 बाघों के घनत्व का संकेत देते हैं।
- सुंदरबन में प्रति 100 वर्ग किमी में "लगभग 4 बाघों" को वहन करने की क्षमता है।

बाघों की वहन क्षमता तक पहुंचना: परिणाम

- अध्ययन से संकेत प्राप्त होता है कि बड़े हुए घनत्व से बार-बार फैलाव होगा एवं मानव-वन्य जीवों के मध्य संघर्ष में वृद्धि होगी।
- कथित संघर्ष बाघ के क्षेत्र को सीमित कर सकता है तथा पुनः बाघ समय-समय पर सीमाओं को पार करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे तत्काल विजेताओं के साथ आगे और संघर्ष होगा।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022

संदर्भ

- हाल ही में, यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र-जल की ओर से संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया है जिसका शीर्षक है 'भूजल: अदृश्य दृश्यमान बनाना' (ग्राउंड वाटर: मेकिंग द इनविजिबल विजिबल)।
- विश्व जल दिवस के संयोजन के साथ प्रारंभ की गई, यह रिपोर्ट निर्णय निर्माताओं को धारणीय जल नीतियों को निर्मित करने तथा लागू करने हेतु ज्ञान एवं उपकरण प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट: प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट संपूर्ण विश्व में भूजल के विकास, प्रबंधन तथा शासन से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों का वर्णन करती है।
- रिपोर्ट में राज्यों को पर्याप्त तथा प्रभावी भूजल प्रबंधन एवं शासन नीतियों को विकसित करने हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध करने की सिफारिश की गई है ताकि संपूर्ण विश्व में वर्तमान और भविष्य के जल संकटों को दूर किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022: प्रमुख निष्कर्ष

- विश्व स्तर पर, आगामी 30 वर्षों में जल के उपयोग में प्रतिवर्ष लगभग 1% की वृद्धि होने का अनुमान है।

- इसके अतिरिक्त, भूजल पर हमारी समग्र निर्भरता में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सतही जल की उपलब्धता तेजी से सीमित हो रही है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), अधिकांश यूरोपीय देशों तथा चीन में भूजल अपनयन दर कमोबेश स्थिर हो गई है।
- स्वच्छ जल के वैश्विक अपनयन में एशिया का सर्वाधिक वृहद अंश है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया का स्थान है।
- क्षेत्रवार भूजल उपयोग: भूजल की कुल मात्रा का 69% कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए, 22% घरेलू उपयोग के लिए एवं 9% औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

भूजल का महत्व

- **अल्प प्रदूषित:** भूजल की भारी मात्रा के कारण, जल के अभाव के समय में जलभृत (एक्वीफर्स) एक बफर के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे लोग सर्वाधिक शुष्क जलवायु में भी जीवित रह सकते हैं। सतह पर प्रदूषण की घटनाओं के प्रति एक्वीफर्स तुलनात्मक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित हैं।
- **सामाजिक लाभ:** भूजल समाज को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों के लिए असीम अवसर प्रदान करता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में संभावित योगदान भी शामिल है।
- **शहरी निर्धनता में कमी:** भूजल उपादेयताओं को अत्यंत न्यून लागत पर स्रोत विकसित करने तथा कम कनेक्शन शुल्क की अनुमति प्रदान कर शहरी निर्धनता में कमी लाने में योगदान देता है।
- **एसडीजी प्राप्त करना:** भूजल निर्धनता के प्रति लड़ाई, खाद्य एवं जल सुरक्षा, समुचित नौकरियों के सृजन, सामाजिक-आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन के लिए समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं की लोचशीलता के लिए केंद्रीय है। इसलिए, भूजल अनेक एसडीजी के विकास में योगदान देता है।

भूजल चुनौतियां

- यद्यपि भूजल सतही जल की तुलना में प्रदूषण के प्रति कम संवेदनशील है, एक बार दूषित होने के बाद इसे ठीक करना अत्यंत कठिन एवं महंगा हो सकता है।
 - तटीय क्षेत्रों में, भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन जलभृतों को व्यापक पैमाने पर खारे पानी के अंतः प्रवेश के प्रति अनावृत करता है।
- विश्व की भूमि की सतह के नीचे का आधे से अधिक भूजल खारा है एवं इसलिए अधिकांश प्रकार के जल के उपयोग के लिए अनुपयुक्त है।

- भूजल को प्रायः अपूर्ण रूप से समझा जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप अल्प मूल्यांकित, कुप्रबंधित एवं यहां तक अप-प्रयुक्त है।

भूजल उपयोग: आवश्यक कदम

- **डेटा का संग्रह:** डेटा एवं सूचना के संकलन में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करके भूजल डेटा की कमी के मुद्दे में सुधार किया जा सकता है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय (एवं स्थानीय) भूजल एजेंसियों के उत्तरदायित्व के अधीन होता है।
- **पर्यावरणीय नियमों को सुदृढ़ बनाना:** चूंकि भूजल प्रदूषण व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय है, अतः इसे टाला जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सरकारें संसाधन संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूजल तक पहुंच समान रूप से एवं सतत उपयोग हेतु वितरित की जाती है।
- **मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करना:** भूजल से संबंधित संस्थागत क्षमता के निर्माण, समर्थन एवं अनुरक्षण हेतु सरकारों की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।

प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संकल्प अंगीकृत किया गया

प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना: संदर्भ

- हाल ही में, 175 देशों ने 2024 तक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर सरकारी समिति बनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाया है।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 तथा भारत प्लास्टिक समझौते के बारे में पढ़ें

प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया गया: मुख्य बिंदु

- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को सशक्त करने हेतु पांचवें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली/यूएनईए 5.2) का पुनः आरंभ सत्र 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक नैरोबी में आयोजित किया गया था।
- बैठक में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तीन मसौदा प्रस्तावों पर विचार किया गया।
- महत्वपूर्ण रूप से, विचाराधीन प्रस्तावों में से एक भारत का प्रस्ताव था। भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव में देशों द्वारा तत्काल सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है।

- 2024 तक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता करने का संकल्प पेरिस समझौते के बाद से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बहुपक्षीय समझौता था।
- संकल्प एक अंतर सरकारी वार्ता समिति (इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी/आईएनसी) की स्थापना करता है, जो 2024 के अंत तक वैश्विक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौते के प्रारूप को पूर्ण करने की महत्वाकांक्षा के साथ 2022 में अपना कार्य प्रारंभ करेगी।
- यूएनईपी@50: यह एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा, जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समर्पित होगा।
- UNEP@50 विषय वस्तु: सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के पर्यावरणीय आयाम के कार्यान्वयन के लिए यूएनईपी को सशक्त बनाना।

यूएनईपी यूपीएससी: त्रिपक्षीय भूमण्डलीय संकट

- यूएनईपी त्रिपक्षीय भूमण्डलीय संकट की बात करता है-जलवायु परिवर्तन का संकट; जैव विविधता की हानि का संकट; एवं प्रदूषण तथा अपशिष्ट का संकट। साथ में, वे मानव शांति एवं समृद्धि के लिए एक व्यापक संकट उत्पन्न करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन का संकट: वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता दो मिलियन वर्षों की सांद्रता से अधिक है तथा एक अरब बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अत्यधिक जोखिम में हैं।
- जैव विविधता की हानि का संकट: हम प्राकृतिक विश्व को निरंतर नष्ट कर रहे हैं। हिम मुक्त भूमि की सतह का सत्तर प्रतिशत मानवीय गतिविधियों द्वारा अशांतरित कर दिया गया है तथा दस लाख प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं।
- प्रदूषण एवं अपशिष्ट का संकट: 11 मिलियन टन प्लास्टिक प्रत्येक वर्ष हमारे महासागरों में प्रवाहित हो जाता है एवं हम में से 90 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे शहरों में निवास करते हैं जहाँ वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को पूरा नहीं करती है।
- त्रिपक्षीय भूमण्डलीय संकट दशकों के अनवरत एवं अ-सतत उपभोग के कारण उत्पन्न हुआ है।

यूएनईपी की सिफारिशें

- हमें एक अविभाज्य चुनौती के रूप में पृथ्वी की पर्यावरणीय आपात स्थितियों तथा मानव कल्याण से निपटना चाहिए।
- हमें अपनी आर्थिक एवं वित्तीय प्रणालियों को धारणीयता की ओर स्थानांतरित करने हेतु रूपांतरित करना होगा।

- हमें अपने भोजन, पानी तथा ऊर्जा प्रणालियों को एक न्यायसंगत, लचीला तथा पर्यावरण के अनुकूल रीति से से बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु रूपांतरित करना चाहिए।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021

भारत में वायु प्रदूषण: संदर्भ

- हाल ही में, आइक्यू एयर (IQAir) ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 दिल्ली जारी की है, एवं दिल्ली को विश्व के 107 राजधानी शहरों में से सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में श्रेणीकृत (रैंक) किया है।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट: प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली शहर लगातार चौथे वर्ष इस सूची में शीर्ष पर है। वर्ष 2020 में दिल्ली ने 92 राजधानी शहरों, 2019 में ऐसे 85 शहरों तथा 2018 में 62 ऐसे शहरों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
- राजधानी शहरों की सूची में, ढाका वार्षिक औसत PM2.5 संकेन्द्रण के मामले में दिल्ली का अनुसरण करता है।
- 2021 में एक भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानक को पूर्ण करने में सफल नहीं हुए।
 - WHO के सितंबर 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, 0-5 g/m³ के बीच PM2.5 सांद्रता स्तर एक अच्छी वायु गुणवत्ता के रूप में माना जाता है।
- यद्यपि, इन सभी शहरों में पीएम 2.5 का स्तर स्वीकृत सीमा से न्यूनतम 10 गुना अधिक है।
- इसके अतिरिक्त, कोविड से संबंधित संख्या में गिरावट के बाद कुछ क्षेत्रों में स्मॉग में पुनः उद्दाल आ गया।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट भारत

- भारत 2021 में मध्य तथा दक्षिण एशिया के 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 11 का आवास था।
- दिल्ली में 2021 में PM2.5 सांद्रता में 14.6% की वृद्धि देखी गई, जो 2020 में 84 ug/m³ से बढ़कर 96.4 ug/m³ हो गई।
- भारत में कोई भी शहर डब्ल्यूएचओ की वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 5 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के मानकों को प्राप्त नहीं करता है।
- 2021 में, भारत के 48% शहर 50 ug/m³ से अधिक अथवा डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश के 10 गुना से अधिक थे।
- भारत में, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहन उत्सर्जन, बिजली उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट, खाना पकाने के लिए बायोमास दहन, निर्माण क्षेत्र और फसल जलने जैसी प्रासंगिक घटनाएं शामिल हैं।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट क्या है?

- IQAir एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो संपूर्ण विश्व के 117 देशों, क्षेत्रों एवं प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करती है।
- यह रिपोर्ट 117 देशों के 6,475 शहरों से पीएम 2.5 वायु गुणवत्ता के आंकड़ों पर आधारित है।
- रिपोर्ट सरकार द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों के साथ-साथ निजी स्वामित्व वाले निगरानी स्टेशनों एवं संस्थानों द्वारा संचालित निगरानी स्टेशनों से डेटा प्राप्त करती है।

विश्व में वायु प्रदूषण: चिंता का कारण क्यों?

- रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण को अब विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा माना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में 70 लाख मौतों का कारण बनता है।
- साथ ही, वायु प्रदूषण दमा (अस्थमा) से लेकर कैंसर, फेफड़ों के रोगों एवं हृदय रोग तक अनेक रोगों का कारण बनता है और उन्हें बढ़ाता है।
- इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण की अनुमानित दैनिक आर्थिक लागत 8 अरब डॉलर (अमेरिकी डॉलर/यूएसडी) या सकल विश्व उत्पाद का 3 से 4 प्रतिशत आंकी गई है।
- इन प्रदूषकों के संपर्क में आने से मरीजों में अस्थमा या एलर्जी जैसी श्वास संबंधी वर्तमान रोगों को और बदतर कर रही हैं।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट: सिफारिशें

- रिपोर्ट ने वायु प्रदूषण के प्रभावों का शमन करने के लिए सरकार एवं लोगों से एक संयुक्त रणनीति की सिफारिश की।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:
 - निजी एवं औद्योगिक उपयोग के लिए स्वच्छ वायु उत्सर्जन वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हेतु कानून पारित करें।

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करें।
- आंतरिक दहन इंजनों के उपयोग को सीमित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें, जैसे ट्रेड-इन कार्यक्रम।
- बैटरी एवं मानव-संचालित परिवहन विधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करें।
- स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ सार्वजनिक परिवहन एवं ऊर्जा का विस्तार करें।
- पैदल यात्री तथा साइकिल यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- वाहनों एवं उद्योग के लिए उत्सर्जन सीमा को सुदृढ़ करना एवं लागू करना।
- 2021 विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर नए वायु गुणवत्ता मानकों को अपनाएं।
- वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों में सुधार करना: जंगल की आग को सीमित करने तथा कृषि उत्पाद एवं बायोमास जलाने पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु वन प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके।
- वायु गुणवत्ता निगरानी ढांचे का विस्तार करना: सार्वजनिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करके।
- वायु प्रदूषण के जोखिम को सीमित करना: वायु की गुणवत्ता अस्वास्थ्यकर होने पर बाहर की गतिविधियों को कम कर एवं जहां संभव हो, फेस मास्क पहनने के अतिरिक्त एयर फिल्टर तथा वायु शोधन प्रणाली का उपयोग करें।
- अल्प वायु प्रदूषण फुटप्रिंट: परिवहन के स्वच्छ, हरित साधनों को चयनित कर; व्यक्तिगत ऊर्जा खपत को कम करना; तथा पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) एवं पुनर्प्रयोग (अपसाइक्लिंग) द्वारा अपशिष्ट को कम करना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन

एफसीईवी इंडिया: प्रसंग

- हाल ही में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विश्व की सर्वाधिक उन्नत तकनीक - विकसित हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत वाहन (फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल/FCEV) टोयोटा मिराई लॉन्च की है, जो भारत में अपनी तरह की प्रथम परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है।

हाइड्रोजन वाहन: प्रमुख बिंदु

- टोयोटा किलोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड एवं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) विश्व के सर्वाधिक उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) टोयोटा मिराई का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना का संचालन कर रहे हैं जो भारतीय सड़कों तथा भारतीय जलवायु परिस्थितियों में हाइड्रोजन पर चलता है।
- टोयोटा मिराई को 2014 में लॉन्च किया गया था, यह विश्व के सर्वप्रथम हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक था।
- यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन एवं एफसीईवी प्रौद्योगिकी की विशिष्ट उपयोगिता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके देश में एक हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है।

एफसीईवी क्या है?

- ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) हाइड्रोजन द्वारा संचालित होते हैं।
- वे केवल जल वाष्प एवं गर्म हवा का उत्सर्जन करते हैं।
- वे पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अधिक कुशल हैं एवं कोई निकास नलिका (टेल पाइप) उत्सर्जन नहीं करते हैं।
- एफसीईवी इलेक्ट्रिक वाहनों के समरूप एक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जहां हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित ऊर्जा को ईंधन सेल द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है।

FCEV इंडिया का महत्व

- यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देगी एवं इस तरह 2047 तक भारत को 'ऊर्जा आत्मनिर्भर' बनाएगी।
- हाइड्रोजन द्वारा संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) सर्वाधिक उत्कृष्ट शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें जल के अतिरिक्त कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं है।

हरित हाइड्रोजन क्या है?

- नवीकरणीय ऊर्जा एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बायोमास से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न किया जा सकता है। हरित हाइड्रोजन की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी का समावेश एवं अंगीकरण भारत के लिए एक स्वच्छ तथा किफायती ऊर्जा भविष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हाइड्रोजन क्यों?

- एक किलो हाइड्रोजन के दहन से एक किलो गैसोलीन की तुलना में तीन गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है एवं मात्र जल उत्पन्न होता है।
- हाइड्रोजन ईंधन सेल, जो एक विद्युत रासायनिक सेल है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है, इस सेल में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में मात्र जल होता है।
- जब तक हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, ईंधन सेल अनवरत विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।

हाइड्रोजन का उत्पादन

- कार्बन गहन प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवाश्म ईंधन से 96 प्रतिशत हाइड्रोजन का उत्पादन होता है।
- निष्कर्षण विधियों के आधार पर, उत्पादित हाइड्रोजन को 'ग्रे', 'ब्लू' अथवा 'ग्रीन' हाइड्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- जीवाश्म ईंधन से, 'ग्रे' हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है।
- जब कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), इसके उत्पादन के दौरान, कार्बन प्रग्रहण एवं भंडारण (कैप्चर एंड स्टोरेज /CCS) प्रक्रियाओं के माध्यम से बंद हो जाता है, तो 'ग्रे' हाइड्रोजन 'ब्लू' हाइड्रोजन बन जाता है।
- ग्रे तथा ब्लू हाइड्रोजन दोनों समान प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, 'ब्लू' हाइड्रोजन के लिए एकमात्र अंतर यह है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को वियुक्त किया जाता है।
- सरकार 'हरित' हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य बना रही है, जो कि अधिकांशतः नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित होता है।
- नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के विद्युत् अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) के माध्यम से 'ग्रीन' हाइड्रोजन मुक्त किया जाता है।
- इस विधि से उत्पादित हाइड्रोजन कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है, यह महंगा है एवं व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

हाइड्रोजन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- केंद्र सरकार ने हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 2000 मेगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने पर विचार किया है।
- हरितगृह गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन की नीलामी आयोजित की जाएगी क्योंकि उद्योगों को विद्युत के भंडारण एवं संभावित रूप से वाहनों को संचालित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- उर्वरक एवं पेट्रोलियम शोधन शालाओं (रिफाइनरियों) जैसे व्यवसायों को हाइड्रोजन की अपनी आवश्यकताओं का 10% हरित हाइड्रोजन के घरेलू स्रोतों से खरीदना अनिवार्य होगा।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का शुभारंभ।
 - ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एवं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में यहां से जानिए।
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) ने कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए सीमेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - इसी तरह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रतिदिन एक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगा।

आई-स्प्रीट'21 एवं इनफिनिटी फोरम 2021 | ग्लोबल फिनटेक

आई-स्प्रीट'21 एवं इनफिनिटी फोरम 2021 समाचारों में

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी/IFSCA) ने I-Sprint'21 के तहत हैकथॉन "स्प्रीट03: इंश्योरटेक" के विजेताओं की घोषणा की, जो इनफिनिटी फोरम 2021 का एक हिस्सा है।

आई-स्प्रीट'21 एवं इनफिनिटी फोरम

- **I-Sprint'21 के बारे में:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने इनफिनिटी फोरम 2021 के हिस्से के रूप में I-Sprint'21, वैश्विक फिनटेक हैकथॉन का विमोचन किया।
 - **उद्देश्य:** स्प्रीट'21 के माध्यम से, वैश्विक फिनटेक हैकथॉन, आईएफएससीए का लक्ष्य गिफ्ट (GIFT) आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक हब का समर्थन करना है।
- **इनफिनिटी फोरम 2021 के बारे में:** यह IFSCA का प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, जो नीति, व्यवसाय जगत एवं प्रौद्योगिकी में विश्व के अग्रणी विचारों को एकजुट करता है।
 - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य फिनटेक में सबसे बड़े विचारों का पता लगाना एवं उन्हें आगे बढ़ाना तथा उन विचारों को वैश्विक समाधानों एवं अवसरों में विकसित करना है।


"स्प्रीट03: इंश्योरटेक" ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन

- **स्प्रीट03 इंश्योरटेक के बारे में:** आई-स्प्रीट'21 के बैनर तले "स्प्रीट03: इंश्योरटेक" को बीमा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रण के साथ विमोचित किया गया था।
- **सम्मिलित संगठन:** इसे आईएफएससीए एवं गिफ्ट सिटी द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजित किया गया था।
 - हैकथॉन के भागीदार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ, आईक्रिएट, इंडिया इंश्योर-टेक एसोसिएशन एवं इन्वेस्ट-इंडिया थे।
- **पात्रता:** यह हैकथॉन संपूर्ण विश्व के समस्त पात्र फिनटेक के लिए खुला था एवं वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा समर्थित अपनी तरह का एक हैकथॉन था।
- **लाभ:**
 - "स्प्रीट03: इंश्योरटेक" ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन के विजेताओं को अनुप्रयोज्य आईएफएससीए रेगुलेटरी/इनोवेशन सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी।
 - वे नियामक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करेंगे।
 - संबंधित सैंडबॉक्स से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद, उन्हें गिफ्ट (GIFT) आईएफएससी में व्यवसाय स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा।

"स्प्रीट03: इंश्योरटेक" ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन के विजेता

निकाय (एंटीटी) का नाम	प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके लिए आवेदन किया गया:
i UMBO आईडीटेक प्राइवेट लिमिटेड (रिस्ककोत्री इंश्योरटेक)	अंतर्वेशन बढ़ाने, बेहतर जोखिम अंकन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
ii लिववेल एशिया (सिंगापुर)	वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवाचार
iii GOQii टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए डिजिटल नवाचार

iv	ऑनसुरिटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	अंतर्वेशन बढ़ाने, बेहतर जोखिम अंकन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
v	ज़िग्रसेक एबी (स्वीडन)	अंतर्वेशन बढ़ाने, बेहतर जोखिम अंकन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
vi	साइनज़ी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	अंतर्वेशन बढ़ाने, बेहतर जोखिम अंकन, जीवन/स्वास्थ्य उत्पादों के दावों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास



क्रेडिट: नासा

सूर्य के ऊपर घटित होने वाले प्लाज्मा के जेट

संदर्भ

- हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी/डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में खगोलविदों के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा के जेट के पीछे के विज्ञान को उजागर किया है जो सूर्य के क्रोमोस्फीयर में लगभग प्रत्येक स्थान पर घटित होता है।

सूर्य के ऊपर घटित होने वाले प्लाज्मा के जेट: मूल बातें पहले

- प्लाज्मा का जेट क्या है: यह विद्युत आवेशित कणों से युक्त पदार्थ की चौथी अवस्था है।
- सूर्य का वर्ण मंडल (क्रोमोस्फीयर) क्या है: यह सूर्य की दृश्य सतह के ठीक ऊपर की वायुमंडलीय परत है।
- प्रकाश मंडल (फोटोस्फीयर) क्या है: फोटोस्फीयर सूर्य की सर्वाधिक गहनतम परत है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं।

TEST SERIES
BILINGUAL

UPSC CSE
PRELIMS 2022

Comprehensive Test Series

70+ TOTAL TESTS

प्लाज्मा के जेट के बारे में

- प्लाज्मा जेट, या स्पिक्यूल्स, पतली घास जैसी प्लाज्मा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जो लगातार सतह से ऊपर उठते हैं तथा फिर गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे लाए जाते हैं।
- इन स्पिक्यूल्स में जितनी ऊर्जा एवं गति हो सकती है वह सौर तथा प्लाज्मा खगोल भौतिकी में मौलिक रुचि का विषय है।
- जिन प्रक्रियाओं से सौर पवन को प्लाज्मा की आपूर्ति की जाती है तथा सौर वातावरण को एक मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, अभी भी एक पहेली बनी हुई है।

सूर्य के ऊपर होने घटित वाले प्लाज्मा के जेट: प्रयोग

- स्पिक्यूल डायनेमिक्स के अंतर्निहित भौतिकी का अन्वेषण करने के प्रयास में, टीम ने एक ऑडियो स्पीकर की ओर रुख किया।
- एक बास स्पीकर फिल्मों में सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज की तरह कम आवृत्तियों पर उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया देता है।
- जब ऐसे स्पीकर के ऊपर एक तरल पदार्थ को रखा जाता है एवं संगीत को चालू किया जाता है, तो तरल की मुक्त सतह एक विशेष आवृत्ति से परे अस्थिर हो जाती है एवं कंपन करना प्रारंभ कर देती है।
- प्रकृति में देखे गए "फैराडे उद्दीपन" का एक सुंदर उदाहरण है, जब संभोग प्रदर्शन के दौरान आंशिक रूप से जलमग्न नर मगरमच्छ की पीठ पर जल की बूंदें गिरती हैं।
- यद्यपि, पेंट या शैम्पू जैसा तरल पदार्थ स्पीकर पर उत्तेजित होने पर अखंडित जेट में परिणत होगा क्योंकि इसकी लंबी बहुलक श्रृंखला इसे दिशात्मकता प्रदान करती है।
- लेख के लेखकों ने अनुभव किया कि इन पेंट जेट में अंतर्निहित भौतिकी सौर प्लाज्मा जेट के अनुरूप होना चाहिए।

सूर्य के ऊपर घटित होने वाले प्लाज्मा के जेट: मुख्य निष्कर्ष

- वैज्ञानिकों ने पाया कि एक स्पीकर पर उत्तेजित होने पर पेंट जेट में अंतर्निहित भौतिकी सौर प्लाज्मा जेट के समान होती है।
- वैज्ञानिकों ने विस्तार से बताया कि दृश्यमान सौर सतह (फोटोस्फीयर) के ठीक नीचे का प्लाज्मा, बिल्कुल तल पर गर्म किए गए बर्तन में उबलते जल की भांति सदैव संवहन की स्थिति में होता है।
- यह अंततः गर्म-सघन अंतस्थ क्षेत्र (कोर) में मुक्त परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित होता है।
- संवहन सौर क्रोमोस्फीयर, दृश्यमान सौर चक्र के ठीक ऊपर उथली अर्ध-पारदर्शी परत में प्लाज्मा के लिए लगभग आवधिक किंतु सशक्त प्रक्षेप (किक) प्रदान करता है।
- क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर में प्लाज्मा की तुलना में 500 गुना हल्का है।
- अतः, नीचे से ये सशक्त प्रक्षेप, मगरमच्छ के आर्तनाद के विपरीत नहीं, पतले स्तंभों या स्पिक्यूल्स के रूप में पराध्वनिक (अल्ट्रासोनिक) गति से क्रोमोस्फेरिक प्लाज्मा को बाहर की ओर शूट करते हैं।

सूर्य के ऊपर घटित होने वाले प्लाज्मा के जेट: महत्व

- स्पिक्यूल्स सभी आकारों एवं गति में पाए जाते हैं। सौर समुदाय में मौजूदा सर्वसम्मति यह रही है कि छोटे स्पिक्यूल्स के पीछे की भौतिकी लम्बे और तेज़ स्पिक्यूल्स से अलग है।
- अध्ययन इस व्यापक मान्यता को चुनौती देता है कि सौर संवहन स्वयं में सभी प्रकार के जेट- छोटे एवं साथ ही लंबे जेट निर्मित कर सकता है।

डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की सूची

समाचारों में डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की सूची

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का कार्य संपादित करता है।
- विगत तीन वर्षों (1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का प्रयोगशाला-वार विवरण नीचे दिया गया है:

विगत तीन वर्षों में डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की सूची

क्रम संख्या	प्रयोगशाला/केंद्र	प्रौद्योगिकी विकसित
1	एडीई	<ul style="list-style-type: none"> • मानवरहित आकाशीय वाहन • कूज मिसाइल • उड़ान अनुरूपक (फ्लाइट सिमुलेटर) • उड़ान परीक्षण पटल • लड़ाकू विमानों के लिए मिशन कंप्यूटर
2	एडीआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> • पैराशूट, ब्रेक पैराशूट और विभिन्न वायु, नौसेना एवं अंतरिक्ष के लिए वजनी ड्रॉप सिस्टम
3	एएसएल	<ul style="list-style-type: none"> • भार वहन क्षमता के साथ गुप्त संरचनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास। • समग्र वेशिका (शिम) आधारित फ्लेक्स सील का डिजाइन। • विकसित उच्च तापमान विरोधी संशारक अल्प घर्षण ग्राफीन आधार लेपन (बेस कोटिंग)। • उच्च तापमान (@ 18000C) के लिए विकसित तापीय सुरक्षा प्रणाली (थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम)। • 4D C-SiC हॉट गैस वाल्व नोजल 120 सेकंड की अवधि के लिए प्रमाणित। • मिराज -2000 एवं एएलएच के लिए विकसित स्वदेशी ब्रेक डिस्क। • जलपोत आधारित एस/केए ड्यूल् बैंड टेलीमेट्री ग्राउंड रिसेविंग स्टेशन डीआरडीओ जलपोतों पर विकसित एवं स्थापित किए गए।

4	एआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> उन्नत स्फोटक शीर्ष (वारहेड) प्रौद्योगिकी केई रॉड प्रौद्योगिकी बहु बिंदु उपक्रमण(इनीशिएशन) प्रौद्योगिकी गहन अन्तः वेधन स्फोटक शीर्ष (डीप पेनेट्रेशन वारहेड) निम्न एल/डी आकार का आवेशित स्फोटक शीर्ष वारहेड्स के उपक्रमण के लिए लौह विद्युत स्पंदन ऊर्जा प्रौद्योगिकी (फेरोइलेक्ट्रिक पल्स पावर टेक्नोलॉजी) 	8	सीएबीएस	<ul style="list-style-type: none"> वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियां
5	सीएआईआर	<ul style="list-style-type: none"> सामुद्रिक स्थितिपरक जागरूकता, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मल्टी एजेंट रोबोटिक्स, सुरक्षित हैंडसेट/मोबाइल, सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वान्टम संचार में कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एवं रोबोटिक्स से संबंधित प्रौद्योगिकियां। 	9	सीएफईईएस	<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण एवं विस्फोटक सुरक्षा प्रौद्योगिकी
6	सीएचईएसएस	<ul style="list-style-type: none"> बहुआयामी प्रौद्योगिकी जिसमें सम्मिलित हैं 1. हाई-पावर फाइबर लेजर के संयोजन के लिए ऑप्टिकल चैनल 2. उच्च परिशुद्धता ऑप्टो यांत्रिक प्रौद्योगिकी लेजर आधारित लक्ष्य निष्प्रभावीकरण (न्यूट्रलाइजेशन) तकनीक स्थानिक बीम संयोजन प्रौद्योगिकी संवेदनशील ताप भंडारण आधारित तापीय प्रबंधन 	10	सीवीआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> आगामी पीढी के मुख्य युद्धक टैंक (एकाधिक) हेतु प्रौद्योगिकियां। एएफवी (एकाधिक) के लिए इंजन प्रौद्योगिकी। एएफवी (एकाधिक) के लिए स्वचालित पारेषण प्रौद्योगिकियां। एएफवी के लिए सस्पेंशन तथा रनिंग गियर प्रौद्योगिकियां। एएफवी के लिए मरम्मत एवं पुनर्प्राप्ति प्रौद्योगिकियां। एएफवी के लिए टेली-संचालित एवं स्वायत्त प्रौद्योगिकियां। यूएवी के लिए स्वदेशी लैंडिंग गियर प्रौद्योगिकियां। विमान गुणवत्ता बियरिंग्स के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। ब्रशलेस डीसी जेनरेटर के लिए प्रौद्योगिकियां।
7	सीएसडीआईसी	<ul style="list-style-type: none"> सुखोई 30 विमानों के लिए मिशन कंप्यूटर 	11	डील	<ul style="list-style-type: none"> बैंडविड्थ दक्ष (निम्न बीटी मांझूलेशन/डिमांझूलेशन हास रहित टेक्स्ट कम्प्रेसन उच्च कूट दर एलडीपीसी (निम्न घनत्व समतुल्यता जांच)
			12	डीएलआरएल	<ul style="list-style-type: none"> जीपीएस एवं ग्लोनास उपग्रह नौवहन अभिग्राही (सैटेलाइट नेविगेशनल रिसीवर) L Band में जैमिंग तथा स्पूफिंग

		<ul style="list-style-type: none"> एचएफ एवं वी / यूएचएफ बैंड में संचार संकेतों का संसूचन, अवस्थिति निर्धारण तथा अनुश्रवण एवं संचार संकेतों का अवरोधन डिजिटल रिसीवर, डिजिटल एक्साइटर एवं विस्तृत बैंड उच्च ऊर्जा प्रवर्धक (हाई-पावर एम्पलीफायर) 			
13	डीआरडीएल	<ul style="list-style-type: none"> द्वि स्पंद रॉकेट प्रणोदन प्रणाली ठोस ईंधन वाहिनी निहित रॉकेट रैमजेट प्रौद्योगिकी तरल नोदक आधारित रैमजेट प्रणाली लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर आधारित एंड गेम सिस्टम मिसाइलों के विभिन्न वर्ग के लिए नियंत्रण मार्गदर्शन अनुदेश मूव कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑन मूव ट्रैकिंग सिस्टम, ऑन मूव कमांड नियंत्रण प्रणाली का विकास 	15	डीएमआरएल	<ul style="list-style-type: none"> 28-30 एमजीओई के ऊर्जा उत्पाद एवं 12-20 kOe के iHc के साथ बड़े आकार (1-2 किलो ईट) में Sm2Co17 मैग्नेट 14-18 एमजीओई के चुंबकत्वावशेष तथा ऊर्जा उत्पाद के शून्य (10-25 पीपीएम) तापमान गुणांक के साथ विकसित तापमान ने Sm2Co17 प्रतिकारित मैग्नेट । Sm2Co17 मैग्नेट 550oC पर 6-10 MGOe के ऊर्जा उत्पाद एवं 550oC पर 5-8 kOe के iHc (अत्यधिक वातावरण में BLDC) के साथ काम करने में सक्षम हैं। ~150oC के संचालन तापमान परिसर में 40-45 MGOe के ऊर्जा उत्पाद एवं 10 - 15 kOe के IHC के साथ Nd-Fe-B मैग्नेट। एस एंड जी बैंड आवृत्तियों के लिए सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) क्षययुक्त सामग्री (अवशोषक, बटन, टर्मिनेशन तथा सेवर इत्यादि) विकसित किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कॉपर सिंगल/दोनों पक्षों के साथ उच्च चालकता वाले एएलएन कार्यद्रव (सब्सट्रेट) सामग्री विकसित की गई। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैथोड के लिए लौह विद्युत (फेरोइलेक्ट्रिक) सामग्री विकसित की गई। अतिध्वनिक (हाइपरसोनिक) कूज वाहनों में अनुभव के अनुसार अत्यधिक तापीय, यांत्रिक एवं ऑक्सीकरण वातावरण वाले अनुप्रयोगों के लिए विकसित सामग्री, लेपन तथा संबंधित प्रक्रियाएं।
14	डीआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> एनबीसी हैवरसैक एमके II रासायनिक एजेंट मॉनिटर (सीएएम) स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्टर एवं अलार्म (ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टर एंड अलार्म/एसीएडीए) तीन रंग रासायनिक डिटेक्टर पेपर एमके II व्यक्तिगत परिशोधन किट एमके II एनबीसी कनस्तर एमके II प्राथमिक चिकित्सा किट प्रकार ए (एमके II) प्राथमिक चिकित्सा किट प्रकार बी (एमके II) 			

	<ul style="list-style-type: none"> • C-SiC कम्पोजिट, ZrB₂-SiC कम्पोजिट, उच्च शुद्धता Nb एवं Nb मिश्र धातु Cb752, धात्विक तापीय सुरक्षा प्रणाली जिसमें धात्विक कूपिकामय संपुट तथा सिरेमिक अंतरायन (इंसुलेशन) सम्मिलित हैं, Ni बेस सुपरलॉय फोम, और Ni बेस अधि मिश्रातु तथा इट्रिया स्थायीकृत (स्टेबलाइज्ड) ज़िरकोनिया (YSZ) पर आधारित कार्यात्मक रूप से ग्रेडेड सामग्री विकसित किये गये थे। • एनबी मिश्र धातु के लिए ऑक्सीकरण प्रतिरोधी सिलिकाइड कोटिंग्स, Ni बेस अधिमिश्रातु के लिए थर्मल बैरियर कोटिंग्स, सी-सीआईसी के लिए ऑक्सीकरण प्रतिरोधी ZrB₂-SiC कोटिंग्स एवं Ni बेस अधि मिश्रातुओं के लिए उच्च उत्सर्जन कोटिंग्स का विकास किया। • क्षति सह्यता अवधारणा (डैमेज टॉलरेंस कॉन्सेप्ट) के आधार पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंजन का संशोधित टोटल टेक्निकल लाइफ (TTL) • वर्तमान 7000 से 8000 घंटे तक 26 मिमी डी., 600 मिमी एल आकार की टंगस्टन भारी मिश्र धातु छेदक छड़ें यांत्रिक गुणों के साथ निम्नानुसार विकसित की गईं: • अंतिम तन्यता क्षमता: 1600 एमपीए (मिनट) • विफलता के लिए% प्लास्टिक दीर्घीकरण: 8-10% (मिनट) चार्पी संघट्ट ऊर्जा पर: 100 जे/सेमी² (औसत) अप्रकाशित निदर्श 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="812 134 909 451">16</td> <td data-bbox="909 134 1153 451">डीईबीईएल</td> <td data-bbox="1153 134 1537 451"> <ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र (मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट) • व्यक्तिगत अंडरवाटर ब्रीदिंग (IUWBA) • शारीरिक दक्षता परीक्षण मॉनिटर • वायु रोगाणुनाशन इकाई </td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 451 909 798">17</td> <td data-bbox="909 451 1153 798">डीआईपीएस</td> <td data-bbox="1153 451 1537 798"> <ul style="list-style-type: none"> • अंतरिक्ष ताप उपकरण (बुकाहारी) • ऑक्सीजन युक्त सौर आश्रय • श्रम दक्षता की दृष्टि से (एर्गोनॉमिक रूप से) डिज़ाइन किया गया बैकपैक (90 लीटर) • कॉम्प्रोबार तथा क्वेरसेटिन बार </td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 798 909 1029">18</td> <td data-bbox="909 798 1153 1029">डीएफआरएल</td> <td data-bbox="1153 798 1537 1029"> <ul style="list-style-type: none"> • सेना एवं नौसेना के लिए भू-भाग तथा हथियार प्लेटफार्म विशिष्ट एमआरई • फ्रोजन/ठंडा मटन/चिकन टेस्ट किट </td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1029 909 1480">19</td> <td data-bbox="909 1029 1153 1480">डीआईपीआर</td> <td data-bbox="1153 1029 1537 1480"> <ul style="list-style-type: none"> • रात्रि दृष्टि मानवीय प्रदर्शन विशेषता (नाइट विजन ह्यूमन परफॉर्मेंस एट्रीव्यूट्स/एनवीएचपीए) • तनाव प्रबंधन पर नियमावली एवं कॉम्बैट सक्रिय ऐप • भीड़ प्रबंधन के लिए भीड़ व्यवहार विश्लेषण सॉफ्टवेयर (सीबीएस) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1480 909 1606">20</td> <td data-bbox="909 1480 1153 1606">डीआरएल</td> <td data-bbox="1153 1480 1537 1606"> <ul style="list-style-type: none"> • सर्प प्रतिरोधी </td> </tr> </table>	16	डीईबीईएल	<ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र (मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट) • व्यक्तिगत अंडरवाटर ब्रीदिंग (IUWBA) • शारीरिक दक्षता परीक्षण मॉनिटर • वायु रोगाणुनाशन इकाई 	17	डीआईपीएस	<ul style="list-style-type: none"> • अंतरिक्ष ताप उपकरण (बुकाहारी) • ऑक्सीजन युक्त सौर आश्रय • श्रम दक्षता की दृष्टि से (एर्गोनॉमिक रूप से) डिज़ाइन किया गया बैकपैक (90 लीटर) • कॉम्प्रोबार तथा क्वेरसेटिन बार 	18	डीएफआरएल	<ul style="list-style-type: none"> • सेना एवं नौसेना के लिए भू-भाग तथा हथियार प्लेटफार्म विशिष्ट एमआरई • फ्रोजन/ठंडा मटन/चिकन टेस्ट किट 	19	डीआईपीआर	<ul style="list-style-type: none"> • रात्रि दृष्टि मानवीय प्रदर्शन विशेषता (नाइट विजन ह्यूमन परफॉर्मेंस एट्रीव्यूट्स/एनवीएचपीए) • तनाव प्रबंधन पर नियमावली एवं कॉम्बैट सक्रिय ऐप • भीड़ प्रबंधन के लिए भीड़ व्यवहार विश्लेषण सॉफ्टवेयर (सीबीएस) 	20	डीआरएल	<ul style="list-style-type: none"> • सर्प प्रतिरोधी
16	डीईबीईएल	<ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र (मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट) • व्यक्तिगत अंडरवाटर ब्रीदिंग (IUWBA) • शारीरिक दक्षता परीक्षण मॉनिटर • वायु रोगाणुनाशन इकाई 															
17	डीआईपीएस	<ul style="list-style-type: none"> • अंतरिक्ष ताप उपकरण (बुकाहारी) • ऑक्सीजन युक्त सौर आश्रय • श्रम दक्षता की दृष्टि से (एर्गोनॉमिक रूप से) डिज़ाइन किया गया बैकपैक (90 लीटर) • कॉम्प्रोबार तथा क्वेरसेटिन बार 															
18	डीएफआरएल	<ul style="list-style-type: none"> • सेना एवं नौसेना के लिए भू-भाग तथा हथियार प्लेटफार्म विशिष्ट एमआरई • फ्रोजन/ठंडा मटन/चिकन टेस्ट किट 															
19	डीआईपीआर	<ul style="list-style-type: none"> • रात्रि दृष्टि मानवीय प्रदर्शन विशेषता (नाइट विजन ह्यूमन परफॉर्मेंस एट्रीव्यूट्स/एनवीएचपीए) • तनाव प्रबंधन पर नियमावली एवं कॉम्बैट सक्रिय ऐप • भीड़ प्रबंधन के लिए भीड़ व्यवहार विश्लेषण सॉफ्टवेयर (सीबीएस) 															
20	डीआरएल	<ul style="list-style-type: none"> • सर्प प्रतिरोधी 															

21	डीजीआरई	<ul style="list-style-type: none"> • किसी विशेष स्थल के लिए भूस्खलन पूर्वानुमान मॉडल का विकास। • भू भाग समोच्च रेखा मानचित्रण (टेरेन कंटूर मैपिंग) • कमजोर क्षेत्र संवेदनशीलता मानचित्रण • एक उपयुक्त डीएसएस विकसित करके यातायात योग्यता मूल्यांकन • परिचालन हिमस्खलन पूर्वानुमान मॉडल का विकास • हिमस्खलन नियंत्रण संरचनाओं का डिजाइन • विभिन्न हिम जलवायु क्षेत्रों के लिए हिम आवरण(स्रो कवर) मॉडल का विकास 		<p>थर्मली कंडक्टिंग लाइट वेट नैनो-कम्पोजिट आधारित संरचनाएं</p> <ul style="list-style-type: none"> • कोविड-19 रोधी व्यक्तिगत रक्षात्मक उपकरण (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) (PPE) कवरऑल का विकास • स्वच्छीकरण द्रव (सैनिटाइजिंग फ्लुइड) "डेफसेन-2020"
22	डीएमएसआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> • जीएसक्यूआर 1438 . के अनुसार बजेट प्रूफ जैकेट • बूट एंटीमाइन इन्फैंट्री (BAMI) • एंटी-पर्सनल माइन ब्लास्ट प्रोटेक्टिव सूट (APMBPS) • डीएमएस हॉट्स ऑयल - I • डीएमएस हाइडेन आयल PEGCOL-113 • ECW रक्षात्मक चश्मे (प्रोटेक्टिव गॉगल्स) • एनबीसी दस्ताने • एनबीसी ओवरबूट • दस्ताने ईसीडब्ल्यू • मल्टी स्पेक्ट्रल छलावरण नेट के लिए आरोहण एवं समर्थन उपकरण • नैनो-सक्षम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निस्पंदन कार्ट्रिज एवं प्री फिल्टर • अवमंदक अनुप्रयोगों (बीएलडीसी मोटर) के लिए 	23	डीएलजे <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय वायु सेना के लिए माइक्रोवेव चैफ कार्ट्रिज 118/I का स्वदेशीकरण • भारतीय नौसेना के लिए विकिरण संदूषण निगरानी प्रणाली • सामरिक हथियार प्रणालियों के लिए थर्मल लक्ष्य • सामरिक स्थानों के लिए विकिरण निगरानी सेंसर का नेटवर्क • सीबीआरएन जल शोधन प्रणाली • भारतीय नौसेना के लिए माइक्रोवेव चैफ पेलोड का स्वदेशीकरण • कृत्रिम अभियांत्रिकी सामग्री (आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग मैटेरियल/एईएम) तथा रडार अवशोषी संरचनाएं (आरएएस) • विकिरण जांच मापन एवं नियंत्रण प्रणाली (रेडिएशन डिटेक्शन मेजरमेंट एंड कंट्रोल

		<p>यूनिट/RADMAC-A) उच्च तुंगता जल शोधन प्रणाली (हाई एटीव्यूड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम/HAWPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • फ्लेक्सी जीवन रक्षक पानी की बोतल • सिग्मा 3.0 सॉफ्टवेयर 			<p>ट्रेस/माइक्रो डिटेक्शन के लिए ओपीएक्स रेविलेटर।</p>
24	ज़ीटीआरई	<ul style="list-style-type: none"> • एयरो इंजन, क्रूज मिसाइलों एवं संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए गैस टर्बाइनों का विकास 	26	आईआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> • रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित विस्फोटक पहचान तकनीक • त्वरित पहचान के लिए विस्फोटक एजेंटों के डिजिटल पुस्तकालय • गैर-आक्रामक प्रत्युपायों के लिए लेजर आधारित चमकदार तकनीक • कम शक्ति वाली लेजर आधारित अदृश्य प्रतिरोध तकनीक • अलार्म के साथ वीडियो आधारित रिमोट नियंत्रित दिन/रात की सक्षमता • लेजर आधारित उन्नत निगरानी उपकरण ऑप्टिकल लक्ष्यों का पता लगाने तथा अवस्थिति जैसे एनवीडी, सीसीडी, एलआरएफ, स्त्रिपर साइट, दूरबीन, इत्यादि का पता लगाने में सक्षम है। • कैट्स आई इफेक्ट पर आधारित रेट्रो रिफ्लेक्टर आधारित ऑप्टिकल असंबली • होलोग्राफी पर आधारित लक्ष्य अभिधान तकनीक
25	एचईएमआरएल	<ul style="list-style-type: none"> • रॉकेट एवं मिसाइलों के नीतभार (पेलोड) एवं रेंज को बढ़ाने के लिए उच्च निष्पादन ठोस रॉकेट प्रणोदक (विशिष्ट आवेग ~ 250s)। • बेहतर कवच अन्तः वेधन क्षमताओं के लिए उच्च प्रदर्शन गन प्रोपेलेंट। • घातकता एवं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वारहेड के लिए थर्मोबेरिक संरचना • आईएम अनुपालक युद्ध सामग्री के लिए निम्न संवेदनशील विस्फोटक रचनाएं। • टैंक सुरक्षा प्रौद्योगिकियां: एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड और नेक्स्ट जेनरेशन ईआरए (एनजीईआरए) • विमान सुरक्षा प्रौद्योगिकियां: आईआर फ्लार्स (एमटीवी आधारित) एवं चैफ कार्ट्रिज • विस्फोटक जांच प्रौद्योगिकी/एक्सप्लोसिव डिटेक्शन टेक्नोलॉजी: 			

		<ul style="list-style-type: none"> • टैंकों के लिए दिन/रात क्षमता एवं लेजर आधारित लक्ष्य अभिधान के साथ लक्ष्य अभिधान प्रौद्योगिकी • विजुअल ट्रैकिंग आधारित लेजर टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी • छोटी राइफलों, शोल्डर फायर्ड मिसाइलों के लिए लक्ष्य अभिधान प्रणाली • मिसाइल के दागे जाने से पूर्व निर्देशित हथियार प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए टेस्ट जिग। • लक्ष्यों का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल निगरानी प्रौद्योगिकियां • मिसाइल के टर्मिनल चरण के लिए लक्ष्य आस्थिति तकनीक। 			
27	इनमास	<ul style="list-style-type: none"> • बाइक एम्बुलेंस 			
28	आईएसएसए	<ul style="list-style-type: none"> • सिस्टम एनालिसिस सॉफ्टवेयर टूल • मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर HEAUV • एयर डायरेक्शन ट्रेनिंग सिमुलेशन सिस्टम 			
			29	एलआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> • सॉलिड स्टेट टी/आर मॉड्यूल के साथ 4 डी चरणबद्ध एरे घूर्णी रडार • डिजिटल संकेतन निर्माण (बीमफॉर्मिंग) तकनीक • उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर प्रत्युपाय (काउंटर मेजर) फीचर्स (ईसीसीएम) • आधुनिक पीढी के सुसंगत ठोस अवस्था (सॉलिड-स्टेट) रडार को 24 x 7 ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है • खराब मौसम की स्थिति में संचालन के लिए दोहरी आवृत्ति के साथ पहला ग्राउंड आधारित रडार • भारी समुद्री हलचल की उपस्थिति में छोटे आरसीएस लक्ष्यों (नावों तथा डिगियों) के लिए डिटेक्शन एल्गोरिदम • अल्ट्रा-वाइड बैंड एंटीना तकनीक • सोपानी आवृत्ति सतत तरंग रूप प्रौद्योगिकी • निम्न शक्ति संकेत एवं आंकड़ा संसाधन (डेटा प्रोसेसिंग) तकनीक • दबी हुई वस्तुओं की पहचान के लिए संकुल ध्वनि तथा डाटा प्रोसेसिंग तकनीक • अल्ट्रा-वाइड बैंड एंटीना तकनीक • सोपानी आवृत्ति सतत तरंग रूप प्रौद्योगिकी • दीवार के पीछे की वस्तु की पहचान के लिए माइक्रो डॉपलर आधारित संसाधन

30	एनएसटीएल	<ul style="list-style-type: none"> • उन्नत हल्के टॉरपीडो • जहाज का शुभारंभ • एयर लॉन्च • - उन्नत हैवीवेट टॉरपीडो (फाइबर ऑप्टिक संचार के साथ) • MIGM (मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन) • उपसतह प्लेटफार्म - WFCS • वायु मंच - AFCS • सबमरीन-सबमरीन फायर्ड डिफेंस-एसएफडी (मोहिनी) • टॉरबस्टर (मोहनस्र) • स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन • उच्च शक्ति ली-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी • स्मार्ट: सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो का विमोचन उन्नत हल्के टॉरपीडो • जलपोत से प्रक्षेपण • एयर लॉन्च - उन्नत हैवीवेट टॉरपीडो (फाइबर ऑप्टिक संचार के साथ) • MIGM (मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन) • उपसतह प्लेटफार्म - WFCS • एयर प्लेटफॉर्म - AFCS • सबमरीन-सबमरीन फायर्ड डिफेंस-एसएफडी (मोहिनी) • टॉरबस्टर (मोहनस्र) • अन्तर्जलीय स्वचालित वाहन • उच्च क्षमता लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी • स्मार्ट: सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो विमुक्ति 	31	एनपीओएल	<ul style="list-style-type: none"> • DIFAR ध्वनि बॉय (सोनो बॉय) • पोर्टेबल गोताखोर पहचान प्रणाली • निकट क्षेत्र ध्वनिक अंशांकन प्रणाली • उत्सर्जनीय गंभीर तापलेखी (बाथीथर्मोग्राफ) • फाइबर ऑप्टिक अंतर्वेधन (घुसपैठ) का पता लगाने वाली प्रणाली • अन्तर्जलीय ध्वनिक नोइस • अन्तर्जलीय ध्वनिक लक्ष्य • पनडुब्बियों के लिए फ्लैक ऐरे, कंफर्मल ऐरे एवं टोड ऐरे सोनार • उच्च आवृत्ति इमेजिंग सोनार
			32	एनएमआरएल	<ul style="list-style-type: none"> • एनएमआर-इन्डियम मुक्त एल्युमिनियम उत्सर्ग एनोड (एनएमआर-आईएफएएसए) • जल पोत प्रोपेलर के लिए एनएमआर-एल्यूमीनियम एनोड (एनएमआर-एएसपी) • एनएमआर - तीव्र गति से चलने वाले नौकाओं के लिए जिंक उत्सर्ग एनोड एवं जेट प्रणोदन प्रणाली (एनएमआर - जेडएसए) • एनएमआर-आईपीआर 1074 बम एनएमआर-आईपीआर 1075 रबर रोल • छिद्रित कार्बन पेपर (एनएमआर-पीसीपी) • एनएमआर-मैस्टिक (संरचनात्मक कंपनों का अवमंदन) • एनएमआर- निमज्जित स्थिति (एनएमआर-एएयूडब्ल्यूपी) के तहत उपयोग हेतु एंटी

		<p>संक्षारक तथा प्रतिदूषण (एंटीफाउलिंग) अंतर्जलीय (अंडरवाटर) पेंट</p> <ul style="list-style-type: none"> • एनएमआर- एसिड ईंधन कोशिकाओं के लिए जंग प्रतिरोधी ईंधन सेल उत्प्रेरक (एनएमआर-सीआरकैट-एफसी) • स्व-शोधन लेपन (एनएमआर-एससीसी) • पनडुब्बी बैटरी पिट डिब्बों तथा इसके अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी (एनएमआर-आरएलएसबीपी) के लिए रबर लाइनिंग सिस्टम • हाइड्रोफोबिक पोटींग सामग्री (एनएमआर-एचपीएम) • समुद्री तेल रिसाव (NMR-Besafe) के त्वरित जैव उपचारण (बायोरेमेडिएशन) के लिए Besafe 'प्रौद्योगिकी • एनएमआर-रडार एब्जॉर्बिंग पेंट (एनएमआर-आरएपी) • नौसेना पनडुब्बियों के लिए ईंधन सेल आधारित वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रौद्योगिकी (एनएमआर-एफसीआईपी) 	33	आरसीआई	<ul style="list-style-type: none"> • इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) अन्वेषक • केयू-बैंड आरएफ अन्वेषक • शिप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS-SA) • भूमि आईएनएस (एलएनएवी) • मिनिएचर हाई डायनेमिक्स ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) • ऑन बोर्ड कंप्यूटर (ओबीसी) • एकीकृत एवियोनिक्स मॉड्यूल • इलेक्ट्रो मैकेनिकल एकट्यूएटर्स • इलेक्ट्रो न्यूमेटिक एकट्यूएटर्स • इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एकट्यूएटर्स • ऑन बोर्ड बैटरी (पीएसएस) • लॉन्च इंटरफेस इकाइयां • मिसाइल इंटरफेस इकाइयां • अन्वेषक प्रसंस्करण मॉड्यूल • डेटा लिंक सिस्टम (टीएक्स एवं आरएक्स) • टेलीमेट्री, ट्रांसपोंडर तथा टेली कमांड सिस्टम • एमईएमएस दबाव सेंसर • उच्च परिशुद्धता क्वार्ट्ज एक्सेलेरोमीटर • रिंग लेजर गायरोस (आरएलजी) • फाइबर ऑप्टिक गायरोस (FOG) • रेडियो सामीप्यता फ्यूज (आरपीएफ) • रेडियो अल्टीमीटर • सिरैमिक / समग्र रेडोम्स अन्वेषक / जीपीएस / अल्टीमीटर / टेलीमेट्री इत्यादि के लिए एंटेना।
--	--	--	-----------	---------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण परीक्षण सुविधाएं (एनवायरमेंट टेस्ट फैसिलिटी/ENTEST) लूप सिमुलेशन में हार्डवेयर (हार्डवेयर इन लूप सिमुलेशन/HILS) ईएमआई/ईएमसी परीक्षण स्थापना मुक्त परिसर (ओपन रेंज) आरसीएस मापन सुविधा एंटीना परीक्षण सुविधा अन्वेषक परीक्षण सुविधाएं सिस्टम इंटीग्रेशन (यांत्रिक एवं विद्युत) 			<ul style="list-style-type: none"> पर्वतीय पैदल पुल (माउंटेन फुट ब्रिज) सुरंग क्षेत्र चिहनांकन उपकरण (माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट) Mk-II T-72 fr-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली QRSAM मोबाइल लॉन्चर वाहन एवं अल्प परास प्रक्षेपणास्त्र एमआरएसएएम चलंत प्रक्षेपण प्रणाली (मोबाइल लॉन्चर सिस्टम)
			35	एसएजी	<ul style="list-style-type: none"> संचार सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा उत्पादों में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकियां
			36	एसएसपीएल, दिल्ली	<ul style="list-style-type: none"> GaAS/GaN MMIC, इंफ्रारेड डिटेक्टर, सेमीकंडक्टर लेजर डायोड, MEMS उपकरण, ध्वनिक उत्सर्जन (एकॉस्टिक एमिशन) सेंसर, SiC क्रिस्टल ग्रोथ इत्यादि से संबंधित तकनीकें।
			37	टीबीआरएल	<ul style="list-style-type: none"> अतिसूक्ष्म (अल्ट्रा-फाइन) β-HMX एवं सूक्ष्म आरडीएक्स <6 मिमी (सतह माध्य) 81 मिमी मोटार बम के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज वायु प्रदत्त (एयर डिलीवर्ड) बम के लिए पोस्ट इंपैक्ट डिसे फ्यूज बहुविध (मल्टी-मोड) हैंड ग्रेनेड बांध विस्फोटक उपकरण (बंड ब्लास्टिंग डिवाइस/बीबीडी) एमके-II
34	आर एंड डीई (ई)	<ul style="list-style-type: none"> समग्र सोनार डोम लार्ज स्पैन इन्फ्लेटेबल हैंगर मोबाइल शेल्टर-एनबीसी अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस हैंडलिंग रोबोट निगरानी सुदूर संचालित वाहन (एसआरओवी) सीमित स्थान सुदूर संचालित वाहन (सीएसआरओवी) 46 मीटर MLC-70 मॉड्यूलर ब्रिज बार माइनलेयर 			

38	वीआरडीई	<ul style="list-style-type: none"> पारंपरिक टेक-ऑफ एवं लेंडिंग यूएवी के लिए 65 अश्वशक्ति का घूर्णी इंजन स्वचालित मानव रहित ग्राउंड व्हीकल के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास: डीईटीए-यूजीवी एमबीटी अर्जुन एमके-द्वितीय के लिए 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर
39	डीवाईएसएल-क्यूटी	<ul style="list-style-type: none"> क्वांटम टेक्नोलॉजी
40	डीवाईएसएल-एआई	<ul style="list-style-type: none"> आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग

"परम गंगा" सुपर कंप्यूटर | राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम)

समाचारों में "परम गंगा" सुपर कंप्यूटर

- हाल ही में, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) ने आईआईटी रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर "परम गंगा" को परिनियोजित किया है।

"परम गंगा" सुपर कंप्यूटर

- डिजाइन तथा विकास:** "परम गंगा" प्रणाली को एनएसएम के निर्माण दृष्टिकोण के चरण 2 के तहत सी-डैक द्वारा डिजाइन एवं स्थापित किया गया है।
 - इस प्रणाली को निर्मित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले पर्याप्त घटकों को सी-डैक द्वारा विकसित एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ भारत के भीतर निर्मित एवं समन्वयोजित (असेंबल) किया गया है।
 - यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल की दिशा में एक कदम है।
- क्षमता:** "परम गंगा" सुपर कंप्यूटर को 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ निर्मित किया गया है।
- महत्व:** "परम गंगा" सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की एवं पड़ोसी शैक्षणिक संस्थानों के उपयोगकर्ता समुदाय को अभिकलनात्मक (कम्प्यूटेशनल) शक्ति प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के बहु-विषयक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में तेजी लाएगा।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु

- अधिदेश:** राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) ने 64 पेटाफ्लॉप्स से अधिक की संचयी गणना शक्ति के साथ 24 स्थापनाओं के निर्माण एवं परिनियोजन की योजना बनाई है।
- मूल मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी/एमईआईटीवाई) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी/डीएसटी) द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) का संचालन किया जा रहा है।
- कार्यान्वयन:** नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस/आईआईएससी), बेंगलूर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
 - सी-डैक को एनएसएम के निर्मित दृष्टिकोण के तहत सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम के डिजाइन, विकास, परिनियोजन एवं स्थापना का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
 - बिल्ड अप्रोच के तहत सी-डैक चरणबद्ध तरीके से स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।
- प्रदर्शन:** अब तक C-DAC ने IISc, IIT, IISER पुणे, JNCASR, NABI-मोहाली तथा C-DAC में NSM चरण -1 एवं चरण -2 के तहत 20 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी कंप्यूटिंग शक्ति के साथ 11 सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों को तैनात किया है।
 - राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन प्रणालियों पर अब तक देश भर में लगभग 3600 शोधकर्ताओं द्वारा कुल 36,00,000 अभिकलनात्मक कार्यों (कम्प्यूटेशनल जॉब्स) को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
- प्रमुख विकास:** एनएसएम के तहत विकसित किए जा रहे कुछ बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।
 - जीनोमिक्स तथा ड्रग डिस्कवरी के लिए NSM प्लेटफॉर्म।
 - शहरी प्रतिरूपण (अर्बन मॉडलिंग): शहरी पर्यावरण के मुद्दों (मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, वायु गुणवत्ता) को हल करने के लिए विज्ञान आधारित निर्णय समर्थन संरचना।
 - भारत की नदी घाटियों के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी तथा पूर्वानुमान प्रणाली।
 - तेल एवं गैस अन्वेषण में सहायता के लिए भूकंपीय इमेजिंग हेतु एचपीसी सॉफ्टवेयर समुच्चय।
 - एमपीपीएलएबी: टेलीकॉम नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन।

वेनेरा डी मिशन: रूस ने अमेरिकी भागीदारी को निलंबित किया

संदर्भ

- हाल ही में रोस्कोस्मोस (रूसी अंतरिक्ष एजेंसी) ने जानकारी दी है कि रूस ने अमेरिका को अपने वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन वेनेरा-डी में आगे की भागीदारी से निलंबित कर दिया है।

वेनेरा डी मिशन: प्रमुख बिंदु

- रूस के विरुद्ध नए प्रतिबंध लागू होने के मध्य यह निर्णय आया है।
- निर्णय के साथ, रूस ने लंबे समय से विलंबित वेनेरा डी मिशन में नासा की भागीदारी को समाप्त कर दिया है, जिसमें 2029 में शुक्र ग्रह (वीनस) के लिए एक ऑर्बिटर एवं लैंडर लॉन्च करना सम्मिलित था।

वेनेरा डी मिशन क्या है?

- वेनेरा-डी, रूस द्वारा आरंभ किया गया प्रथम वीनस प्रोब होगा।
- रूस ने नवंबर 2029 में शुक्र ग्रह पर वेनेरा-डी प्रोब भेजने की योजना बनाई है।
- प्रारंभ में, कक्षीय, लैंडिंग, प्रदर्शन एवं वायुमंडलीय मॉड्यूल वाले अंतरिक्ष यान की योजना रूस-अमेरिका संयुक्त उद्यम के रूप में निर्मित की गई थी।
- 2020 में, यद्यपि, रोस्कोस्मोस ने कहा कि वेनेरा-डी मिशन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय परियोजना होने जा रहा था एवं इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आकर्षित करने की अपेक्षा नहीं थी।
- वेनेरा डी के अतिरिक्त, रूस भी जून 2031 में एक तथा जून 2034 में दूसरा वीनस अन्वेषण मिशन भेजने का लक्ष्य बना रहा है।

वेनेरा डी मिशन के उद्देश्य

- इस तरह के मिशन के पीछे का उद्देश्य ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना एवं मिट्टी के नमूने एकत्र करना है।
- वेनेरा मिशन के दौरान शुक्र के वातावरण की संरचना एवं भौतिक गुणों को सतह से 60 किमी तक की ऊंचाई पर मापा जाएगा।
- अदीप्त क्षेत्र अवतरण (डार्क-साइड लैंडिंग) में 40-45 किमी ऊंचाई से आरंभ होने वाले अवरोहण के दौरान अवरक्त किरण प्रतिबिंबन (इंफ्रारेड/आईआर इमेजिंग) शामिल होगी।
- ग्रह की सतह पर विज्ञान उपकरणों के हिस्से के संभावित दीर्घकालिक संचालन की जांच करने की भी योजना है।

नासा का वीनस मिशन

- नासा के अनुसार, अमेरिका 2028 एवं 2030 के मध्य कभी प्रक्षेपित किए जाने की संभावना के साथ शुक्र के लिए दो मिशनों की योजना बना रहा है।
- डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग (DAVINCI+) में एक अन्वेषण सम्मिलित है जो शुक्र के आच्छादित वातावरण में उतरेगी।
- वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी (वेरिटास) नामक एक दूसरा मिशन ग्रह की कक्षा में एक सिंथेटिक एपर्चर रडार के साथ परिक्रमा करेगा जो पृथ्वी पर खगोलविदों से ग्रह की सतह को ढकने वाले बादलों को भेदने में सक्षम है।

शुक्रयान: भारत का वीनस मिशन

- भारत 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक नया ऑर्बिटर शुक्रयान प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है।
- शुक्रयान ऑर्बिटर भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन/इसरो) द्वारा शुक्र ग्रह के लिए प्रथम मिशन होगा तथा 4 वर्ष तक ग्रह का अध्ययन करेगा।
- कई विशिष्ट उपकरणों को लेकर, शुक्रयान भारत के जीएसएलवी एमके II रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित होने के लिए तैयार है, किंतु यह अधिक उपकरण या ईंधन ले जाने के लिए अधिक शक्तिशाली जीएसएलवी एमके III रॉकेट पर जा सकता है।
- यदि अंतरिक्ष यान 2024 की समय सीमा से चूक जाता है, तो प्रक्षेपण के लिए अगली विंडो 2026 के मध्य में होगी जब शुक्र एवं पृथ्वी अपनी दिशा परिवर्तित करेंगे। अन्य ग्रहों का दौरा करते समय अंतरिक्ष यान की ईंधन दक्षता के लिए यह महत्वपूर्ण है।

शुक्रयान के उद्देश्य

- शुक्रयान-1 शुक्र ग्रह की सतह तथा वायुमंडल का अन्वेषण करेगा।
- यह इस बात का अन्वेषण भी करेगा कि सूर्य से आवेशित कण शुक्र के वातावरण के साथ किस प्रकार अंतः क्रिया करते हैं।

वेब3 क्या है: भारत को वैश्विक वेब3 विकास केंद्र बनाना

प्रसंग

- विशेष स्टाफिंग फर्म, एक्सफेनो द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2022 तक भारत में क्रिप्टो से संबंधित 13,000 नौकरियां थीं, जो कुल सक्रिय नौकरी के उद्घाटन का 4.5 प्रतिशत है।

- रिपोर्ट ने चर्चा की है कि भारत में उद्यमी, डेवलपर्स और स्टार्टअप इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी वेब3 में वैश्विक ऐप और प्लेटफॉर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वेब3 क्या है?

- वेब3 (Web3) इंटरनेट का अगला संस्करण है, जहां सेवाएं ब्लॉकचेन पर चलेंगी।
- विशेषज्ञों का मानना है कि वेब3 हमारे इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके को बदल देगा।
- कुछ तकनीकी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि Web3 दुनिया को कुछ तकनीकी दिग्गजों के एकाधिकार नियंत्रण से मुक्त कर सकता है।
- चूंकि Web3 ब्लॉकचेन तकनीक पर चलेगा, यह एक विकेंद्रीकृत ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां वेब प्लेटफॉर्म का स्वामित्व उपयोगकर्ताओं के पास होगा, न कि किसी केंद्रीकृत इकाई के पास।

वेब के 3 संस्करण

वेब 1

- इंटरनेट के प्रारंभिक चरण को वेब 1 या वेब 1.0 कहा जाता है।
- Web1 टिम बर्नर्स-ली के दिमाग की उपज है। 'रीड-ओनली वेब' का युग लगभग 1989 से 2005 तक चला।
- यह एक ऐसा समय था जब इंटरनेट वास्तव में विकेंद्रीकृत था और कोई व्यक्ति अलग-अलग स्थिर वेबपेजों पर नेविगेट कर सकता था, अब के विपरीत जब हम Google खोज में एक शब्द टाइप करते हैं और विषय से संबंधित हजारों पृष्ठ ढूंढते हैं।
- इंटरनेट के पहले चरण में, वेबसाइट बनाने का एकमात्र तरीका कोड लिखना था।

वेब2

- वेब 2, या वेब 2.0, वह है जो हम अभी जी रहे हैं।
- Web1 की तुलना में, Web2 उपयोगकर्ता-जनित सामग्री और इंटरऑपरेबिलिटी के साथ अधिक इंटरैक्टिव है।
- इंटरनेट केंद्रीकृत है, मुख्य रूप से Google, Facebook, Amazon जैसे खिलाड़ियों का वर्चस्व है, और सरकारों द्वारा सीमित तरीके से नियंत्रित किया जाता है।
- यहां, किसी को वेबपेज बनाने के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। केवल एक डोमेन खरीदकर, एक पेज बनाकर वेबसाइट बनाई जा सकती है और वेबसाइट लाइव है।
- तकनीक की दुनिया में, वेब 1 को आमतौर पर स्टैटिक वेब और वेब 2 को सोशल वेब कहा जाता है।

वेब3

वेचर कैपिटल फर्म a16z के क्रिस डिकसन के अनुसार, Web3 दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को जोड़ती है; Web2 की सहभागिता के साथ Web1 के विकेंद्रीकृत लोकाचार।

भारत में Web3 नौकरियां

- एक्सफेनो की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी मांग के साथ, करीब 10 साल के अनुभव वाले लोगों के लिए वेतन 78 लाख रुपये प्रति वर्ष तक जा रहा है।
- अभी हाल तक चर्चा का विषय बना हुआ है, पिछले कुछ महीनों में कई परियोजनाएं सामने आई हैं, और देश में अधिक निवेश प्रवाहित हो रहा है।
- रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Web3 अगले 11 वर्षों में भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करने में मदद कर सकता है।
- कौशल में ओवरलैप के साथ, जिसमें ब्लॉकचेन, सुरक्षा इंजीनियर और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ शामिल हैं, देश में वेब 3 से संबंधित नौकरियों की भारी मांग है।
- विशेषज्ञों का मानना था कि भारत वेब 3.0 से लाभ लेने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है क्योंकि भारत में स्टार्टअप, डेवलपर्स और दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपभोक्ता बाजारों में से एक है।

Web3 आलोचना

- वेब3 का विचार आलोचना के बिना नहीं है।
- टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क का कहना है कि वेब 3 वास्तविक नहीं है और वास्तविकता से अधिक मार्केटिंग का मूलमंत्र लगता है।
- यहां तक कि पूर्व ट्विटर सीईओ, जैक डोर्सी ने सवाल किया है कि क्या वेब 3 उतनी ही मुक्त और खुली होगी जितनी उम्मीदें। उन्होंने कहा कि लोग वेब 3 के मालिक नहीं होंगे। वीसी और उनके एल.पी. करते हैं। यह उनके प्रोत्साहन से कभी नहीं बच पाएगा। यह अंततः एक अलग लेबल के साथ एक केंद्रीकृत इकाई है।



नासा - आर्टेमिस मिशन

प्रसंग

- हाल ही में, आर्टेमिस 1 रॉकेट नासा के कैंनेडी स्पेस सेंटर के एक लॉन्च पैड पर पहुंचा, जिससे यह 50 वर्षों के बाद पहली बार लॉन्चपैड पर पहुंचने वाला चंद्रमा रॉकेट बन गया।

आर्टेमिस 1 क्या है?

- आर्टेमिस 2025 तक लोगों को चंद्रमा पर वापस भेजने का एक मिशन है, जिसमें पहली महिला और रंग की पहली व्यक्ति भी शामिल है।

आर्टेमिस मिशन के बारे में

- मिशन का बहुत महत्व है क्योंकि आखिरी बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था दिसंबर 1972 में।
- आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा ने अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया है, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS कहा जाता है।
- आर्टेमिस मिशन मानवता की चांद पर वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

आर्टेमिस मिशन नासा

- नासा के विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम (एसएलएस) रॉकेट की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए बिना कू आर्टेमिस 1 मई या जून 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
- नया मेगारॉकेट चंद्रमा के चारों ओर लगभग चार सप्ताह की यात्रा पर ओरियन कैप्सूल भेजेगा।
- यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन का अनुसरण करेगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर और वापस भेज देगा।
- आर्टेमिस 3 स्पेसएक्स के स्टारशिप वाहन की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा पर उतारेगा। यह ऐतिहासिक मिशन 2025 या 2026 के लिए लक्षित है।
- नासा ने अभी तक चालक दल का नाम नहीं दिया है, लेकिन कहते हैं कि एक महिला और रंग का व्यक्ति आर्टेमिस III का हिस्सा होगा।

नासा का मून मिशन

- 1960 और 1970 के दशक के अपोलो कार्यक्रम ने नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और अन्य अमेरिकियों को चंद्रमा की सतह पर पहुँचाया।
- अब, आर्टेमिस कार्यक्रम - अपोलो की जुड़वां बहन, ग्रीक मिथक में चंद्रमा की देवी के नाम पर - जल्द ही अंतरिक्ष यात्रियों को 50 साल बाद चंद्रमा पर वापस ला सकता है।

adda247

आंतरिक सुरक्षा

चेर्नोबिल आपदा: रूसी आक्रमण, कारण तथा परिणाम

चेर्नोबिल आपदा

हाल ही में, रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। विशेषज्ञों की राय है कि रूस वर्तमान में बंद पड़े ऊर्जा संयंत्र को उसकी अवस्थिति के कारण प्राप्त करना चाहता है। इस लेख में, हम चेर्नोबिल आपदा यूपीएससी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

चेर्नोबिल कहाँ अवस्थित है?

- चेर्नोबिल बेलारूस के साथ यूक्रेन की सीमा से लगभग 10 मील एवं यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 65 मील की दूरी पर स्थित है।
- चेर्नोबिल बेलारूस से कीव के सबसे छोटे मार्ग पर स्थित है।
- चेर्नोबिल का कोई सैन्य महत्व नहीं है, किंतु यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली चार "अक्षों" में से एक पर स्थित है।

रूस ने चेर्नोबिल पर कब्जा क्यों किया?

- सर्वाधिक स्पष्ट कारण चेर्नोबिल की अवस्थिति है।
- चेर्नोबिल पर कब्जा रूसी राष्ट्रपति की ओर से पश्चिम एवं नाटो के लिए उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप न करने का संकेत भी हो सकता है।
- कुछ विशेषज्ञों की यह भी राय है कि रूसी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परमाणु रक्षापाय मौजूद हैं एवं वे किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन को क्षतिग्रस्त रिएक्टर नंबर चार को उड़ाने का अवसर प्रदान करना नहीं चाहता है, जिसने 1986 में रूसी सेना के तीव्र गति से अग्रसर होने को रोकने के लिए आस-पास के क्षेत्रों को दूषित करने हेतु रक्षात्मक निरोध के कार्य के रूप में उड़ा दिया था।

चेर्नोबिल आपदा क्या है?

- 1986 में, चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन में आग लगने की घटना एवं विस्फोट हुआ, जिससे यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन के इतिहास में सर्वाधिक बुरी आपदा बन गई।
- विशेषज्ञों ने कहा कि चेर्नोबिल संयंत्र के चौथे रिएक्टर में लापरवाह सुरक्षा परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया।

- परिणामस्वरूप उत्पन्न निवास पर विस्फोट एवं आग ने यूरोप के अनेक हिस्सों में रेडियो सक्रिय सामग्री के जमाव के साथ, पर्यावरण में कम से कम 5% रेडियोधर्मी रिएक्टर अंतर्भाग को स्रावित कर दिया।
- अंतर्भाग विस्फोट के बाद, एक रेडियो सक्रिय बादल संपूर्ण यूरोप में अपवाहित हो गया। विश्व परमाणु संघ के अनुसार, आपदा के बाद के दशकों में संयंत्र के आसपास के क्षेत्र की रेडियोसक्रियता में कमी आई है।
- 1991 की आग के बाद चेर्नोबिल यूनिट 2 को बंद कर दिया गया था एवं यूनिट 1 1996 तक ऑन-लाइन रही।
- चेर्नोबिल यूनिट 3 ने 2000 तक कार्य करना जारी रखा, जब परमाणु ऊर्जा स्टेशन को आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त कर दिया गया था।

चेर्नोबिल आपदा

- चेर्नोबिल दुर्घटना एक गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण सोवियत-युगीन रिएक्टर डिजाइन का उत्पाद थी, जो अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मियों के संचालन के साथ संबंधित थी।
- अधिकांश अंतर्निहित परिस्थितियां विशेष रूप से चेर्नोबिल रिएक्टर एवं सोवियत सरकार की प्रतिक्रिया के लिए असाधारण थीं।

दोषपूर्ण डिजाइन

- चेर्नोबिल में निर्मित किया गया रिएक्टर एक आरबीएमके रिएक्टर था, जिसे यूएसएसआर के बाहर किसी भी देश द्वारा कभी नहीं बनाया गया था क्योंकि इसमें ऐसी विशेषताएं थीं जिन्हें सोवियत संघ के बाहर प्रत्येक स्थान पर अस्वीकृत कर दिया गया था।
- आरबीएमके रिएक्टर स्वाभाविक रूप से अस्थिर है, विशेष रूप से स्टार्टअप और शटडाउन के दौरान।
- जिस तरह से रिएक्टर ने ग्रेफाइट का उपयोग किया, जहां अमेरिकी रिएक्टर जल का उपयोग करते हैं, जब सोवियत संचालकों ने उर्जा को कम करने का प्रयत्न किया, तो आरबीएमके रिएक्टर में उर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने की प्रवृत्ति थी।
- जैसे-जैसे अतितापन (ओवरहीटिंग) अधिक गंभीर होती गई, शक्ति और भी अधिक बढ़ती गई।

अप्रशिक्षित कर्मी

- खराब तरीके से डिजाइन किए गए प्रयोग में, श्रमिकों ने रिएक्टर की शक्ति-विनियमन प्रणाली एवं इसकी आपातकालीन सुरक्षा

प्रणालियों को बंद कर दिया तथा रिएक्टर को 7 प्रतिशत शक्ति पर चलते रहने की अनुमति प्रदान करते हुए अधिकांश नियंत्रण छड़ों को इसके अंतर्भाग से वापस निकाल लिया।

- इन त्रुटियों को दूसरे अन्य गलतियों ने और बढ़ा दिया एवं 26 अप्रैल को 1:23 बजे अंतर्भाग में श्रृंखला अभिक्रिया (चेन रिएक्शन) नियंत्रण से बाहर हो गया।
- इसके पश्चात अनेक विस्फोट हुए, इस प्रकार एक बड़े आग का गोला को प्रेरित किया एवं रिएक्टर के भारी इस्पात तथा कंक्रीट के ढक्कन को उड़ा दिया गया।
- यह तथा ग्रेफाइट रिएक्टर अंतर्भाग में फलस्वरूप घटित होने वाली आग ने बड़ी मात्रा में रेडियो सक्रिय सामग्रियों को वायुमंडल में मुक्त कर दिया, जहां इसे वायु धाराओं द्वारा बड़ी दूरी तक ले जाया गया।
- अंतर्भाग का आंशिक मेल्टडाउन भी हुआ।

चेर्नोबिल आपदा के परिणाम

- कुछ सूत्रों का कहना है कि जहां संयंत्र में आरंभिक विस्फोटों में दो लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हुई प्रतिक्रियाओं के कारण लगभग 50 लोग मारे गए थे।
- रेडियोन्यूक्लाइड (रासायनिक तत्वों के रेडियो सक्रिय रूप) के 50 से 185 मिलियन क्यूरी - जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में कई गुना अधिक रेडियो सक्रिय तत्व वायुमंडल में निस्सारित हो गए।
- रेडियो सक्रिय तत्व पवन के माध्यम से बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन में प्रसारित हो गया एवं शीघ्र ही सुदूर पश्चिम में स्थित फ्रांस तथा इटली जैसे देशों तक पहुंच गया।
- लाखों एकड़ वन एवं कृषि भूमि दूषित हो गए थे तथा यद्यपि कई हजारों लोगों को वहां से निकाला गया था, सैकड़ों हजारों लोग दूषित क्षेत्रों में बने रहे।
- इसके अतिरिक्त, बाद के वर्षों में, अनेक पशुधन विकृत पैदा हुए थे एवं मनुष्यों के मध्य दीर्घ अवधि में कई हजार विकिरण-प्रेरित रोगों तथा कैंसर से होने वाली मौतें प्रत्याशित थी।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी)

समाचारों में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी)

- हाल ही में, मालदीव में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल/सीएससी) के पांचवें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की बैठक का आयोजन किया गया था।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के बारे में प्रमुख तथ्य

- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के बारे में: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका एवं

मालदीव के त्रिपक्षीय सामुद्रिक सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था।

- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के पांचवें एनएसए की बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरीशस का स्वागत किया गया।
- कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सदस्य देश: वर्तमान में, इसमें चार देश - भारत, श्रीलंका, मालदीव एवं मॉरीशस सम्मिलित हैं।
 - पर्यवेक्षक देश: बांग्लादेश एवं सेशेल्स ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पर्यवेक्षक देशों के रूप में भाग लिया।
- अधिदेश: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का उद्देश्य सामुद्रिक सुरक्षा एवं संरक्षा, मानव दुर्व्यपार, आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है।
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का सचिवालय: कोलंबो, श्रीलंका में एक स्थायी सीएससी सचिवालय स्थापित किया गया है।
 - सीएससी सचिवालय एनएसए स्तर पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के साथ-साथ सीएससी की सभी गतिविधियों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है।

पांचवा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी)

- चौथे सदस्य का समावेश: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के चौथे सदस्य के रूप में मॉरीशस को शामिल किया गया था।
- अन्य देशों के लिए आमंत्रण: बांग्लादेश एवं सेशेल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में सीएससी की पांचवीं एनएसए बैठक में भाग लिया तथा उन्हें समूह में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया है।
- भारतीय प्रस्ताव: भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने निम्नलिखित हेतु मांग की-
 - कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का संस्थानीकरण
 - चार सदस्यीय देशों के तटरक्षक बलों के प्रमुख साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने हेतु मिलते रहें, एवं
 - मादक द्रव्यों की तस्करी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समूहों का गठन।
- सहयोग हेतु पांच व्यापक क्षेत्रों का अभिनिर्धारण: पांचवें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) ने क्षेत्रीय सुरक्षा एवं संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग के पांच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। ये हैं-
 - सामुद्रिक सुरक्षा एवं संरक्षा
 - आतंकवाद तथा अतिवादिता का मुकाबला करना
 - तस्करी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना
 - साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण आधुनिक अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी की सुरक्षा

- मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) का महत्व
- क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना: दिल्ली द्वारा संचालित "मिनीलेटरल" को क्षेत्रीय सहयोग एवं साझा सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करने हेतु हिंद महासागर तक भारत की पहुंच के रूप में देखा जा रहा है।
- चीनी प्रभाव का मुकाबला: सीएससी को उम्मीद है-
 - सामरिक महत्व के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिबंधित करना, एवं
 - नवीन तथा प्रस्तावित समामेलन सहित, सदस्य देशों में चीन के कदमों की छाप को कम करना।
- संघर्ष से बचना: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) संघर्ष से बचने एवं हमारी सीमाओं के अंदर तथा बाहर सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एक सहयोग मंच प्रदान करेगा।
- संकट प्रबंधन: सीएससी देशों की भौगोलिक निकटता उन्हें संकट की स्थितियों में एक दूसरे के प्रति सर्वप्रथम प्रतिक्रिया करने की अनुमति प्रदान करती है।
 - उदाहरण के लिए, एमटी न्यू डायमंड एवं एक्स-प्रेस पर्ल जलपोतों ने श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में आग पकड़ ली थी जिसे भारतीय तटरक्षक बल ने बुझाने में सहायता की।

अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI'

अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' खबरों में क्यों?

- हाल ही में, अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' (2022) जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 21 से 25 फरवरी 2022 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' क्या है?

- अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' का छठा संस्करण हाल ही में भारत में आयोजित किया गया था।
- भागीदारी: ओमान की रॉयल एयर फ़ोर्स (RAFO) ने ईस्टर्न ब्रिज-VI अभ्यास में भारतीय वायु सेना (IAF) के साथ भाग लिया।

'ईस्टर्न ब्रिज-VI' का उद्देश्य क्या है?

- 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' का उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में परिचालन जोखिम प्रदान करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान करना है।
- 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' अन्य क्षेत्रों में भारत-ओमान सहयोग को भी बढ़ावा देगा, विशेष रूप से भू-सामरिक क्षेत्र में।

'ईस्टर्न ब्रिज-VI' का महत्व

- 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' अभ्यास ने अनुभव और परिचालन ज्ञान के पारस्परिक आदान-प्रदान के माध्यम से IAF और RAFO तत्वों के बीच उपयोगी बातचीत का अवसर प्रदान किया।

- अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज-VI' ने दोनों देशों के कर्मियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के रास्ते भी प्रदान किए।

लामित्ये 2022 अभ्यास

समाचारों में लामित्ये 2022

- भारत का 9वां संस्करण - सेशेल्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास लामित्ये-2022 का समापन 48 घंटे के सत्यापन अभ्यास के साथ 31 मार्च 2022 को हुआ।
- लामित्ये-2022 अभ्यास 22 मार्च 2022 को सेशेल्स रक्षा अकादमी, सेशेल्स में आरंभ हुआ।
- लामित्ये 2022 अभ्यास में, भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 2/3 गोरखा राइफल्स समूह (पिरकंती बटालियन) द्वारा किया जाएगा।

लामित्ये 2022 अभ्यास के बारे में मुख्य तथ्य

- **अधिदेश:** लामित्ये-2022 अभ्यास, भारत-प्रशांत क्षेत्र में सह-अस्तित्व की दिशा में, क्षमता विकसित करने हेतु अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने पर केंद्रित है।
 - अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त ऑपरेशन संचालित करने हेतु,
 - पेशेवर तथा सांस्कृतिक शिक्षा के लिए एक मंच प्रदान करना जिसने बदले में उनके सहयोग को व्यापक बनाया
- लामित्ये 2022 की विषय वस्तु अर्ध-शहरी वातावरण में परिदृश्यों के आधार पर ऑपरेशन की योजना तथा निष्पादन हेतु प्रासंगिक थे।

लामित्ये 2022 अभ्यास के बारे में मुख्य बिंदु

- **लामित्ये अभ्यास के बारे में:** लामित्ये अभ्यास भारत एवं सेशेल्स के मध्य एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है।
 - **आरंभ:** 2001 से सेशेल्स में लामित्ये अभ्यास संचालित किया जा रहा है।
 - **अर्थ:** लामित्ये एक सेशेल्स शब्द है जिसका क्रियोल में अर्थ मित्रता होता है,
- **उद्देश्य:** लामित्ये अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के मध्य कौशल, अनुभव तथा अच्छी परिपाटी का आदान-प्रदान करने के अतिरिक्त द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को निर्मित करना एवं प्रोत्साहित करना है।

लामित्ये अभ्यास का महत्व

- वर्तमान वैश्विक स्थिति एवं हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में दोनों राष्ट्रों के समक्ष उपस्थित होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में लामित्ये अभ्यास निर्णायक एवं महत्वपूर्ण है।
- लामित्ये अभ्यास आपसी विश्वास, अंतर-संचालन को सुदृढ़ करेगा एवं सशस्त्र बलों के मध्य सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने में सक्षम होगा।
- लामित्ये अभ्यास भारतीय सेना तथा सेशेल्स रक्षा बलों (सेशेल्स डिफेंस फोर्स/SDF) के मध्य रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा।

लामित्ये अभ्यास दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में और प्रदर्शित होगा।

अभ्यास स्लिनैक्स

समाचारों में अभ्यास स्लिनैक्स

- भारत - श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनैक्स (SLINEX Exercise) के नौवें संस्करण का आयोजन 07 मार्च से 10 मार्च 2022 तक विशाखापत्तनम में निर्धारित है।
- स्लिनैक्स अभ्यास का आठवां संस्करण अक्टूबर 2020 में त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था।

स्लिनैक्स अभ्यास क्या है?

- **अभ्यास स्लिनैक्स के बारे में:** अभ्यास स्लिनैक्स श्रीलंकाई नौसेना एवं भारतीय नौसेना के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास की स्लिनैक्स श्रृंखला 2005 में आरंभ की गई थी।
- **उद्देश्य:** स्लिनैक्स अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के मध्य बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना, पारस्परिक समझ में सुधार करना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है।
- **महत्व:** स्लिनैक्स भारत एवं श्रीलंका के मध्य गहन समुद्री जुड़ाव का उदाहरण है एवं विगत कुछ वर्षों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए इसका दायरा बढ़ा है।
- स्लिनैक्स भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति एवं 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा तथा विकास (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन/सागर)' के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

स्लिनैक्स 2022 अभ्यास के दो चरण

- **चरण 1:** अभ्यास स्लिनैक्स 2022 के बंदरगाह (हार्बर) चरण में व्यावसायिक, सांस्कृतिक, खेल एवं सामाजिक आदान-प्रदान सम्मिलित होंगे।
- **चरण 2:** सामुद्रिक चरण के दौरान अभ्यास स्लिनैक्स 2022 में सतह एवं वायु-रोधी हथियार फायरिंग अभ्यास, नाविक कला विकास, क्रॉस डेक फ्लाइंग सहित विमानन संचालन, उन्नत सामरिक युद्धाभ्यास एवं समुद्र में विशेष बल संचालन सम्मिलित होंगे।
- ये दोनों नौसेनाओं के मध्य पूर्व से मौजूद उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता को और बढ़ाएंगे।
- **भागीदारी:** अभ्यास स्लिनैक्स में, श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व एसएलएनएस सयूराला, एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत एवं भारतीय नौसेना आईएनएस किर्च, एक निर्देशित मिसाइल कार्वेट द्वारा किया जाएगा।
 - भारतीय नौसेना के अन्य प्रतिभागियों में सम्मिलित हैं-
- आईएनएस ज्योति, एक फ्लीट सपोर्ट टैंकर,
- एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच),
- सीकिंग तथा चेतक हेलीकॉप्टर एवं

- डोर्नियर सामुद्रिक गश्ती विमान (मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट)।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

समाचारों में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक भवन को राष्ट्र को समर्पित किया तो था अहमदाबाद में अपना प्रथम दीक्षांत भाषण दिया।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में प्रमुख तथ्य

- **पृष्ठभूमि:** सरकार ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की।
 - रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में गुजरात सरकार द्वारा की गई थी।
- **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के बारे में:** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) की स्थापना पुलिस, आपराधिक न्याय तथा सुधार प्रशासन के विभिन्न स्कंधों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु की गई थी।
 - राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने 1 अक्टूबर, 2020 को अपना संचालन प्रारंभ किया।
- **महत्व:** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उद्योग से ज्ञान एवं संसाधनों का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र के साथ सामंजस्य विकसित करेगा।
 - राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पुलिस एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगा।
- **तालमेल स्थापित करना:** गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय तथा फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित हैं। इन संबंधित क्षेत्रों में समग्र शिक्षा का निर्माण करने हेतु नियमित रूप से संयुक्त संगोष्ठियों के माध्यम से इन संस्थानों के मध्य तालमेल की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत पाठ्यक्रम

- **शैक्षणिक पाठ्यक्रम:** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पुलिसिंग एवं आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा से डॉक्टरेट स्तर तक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है जैसे-
 - पुलिस विज्ञान एवं प्रबंधन,
 - आपरा धक कानून तथा न्याय,
 - साइबर मनोविज्ञान,
 - सूचना प्रौद्योगिकी,
 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा साइबर सुरक्षा,
 - अपराध जांच,
 - सामरिक भाषाएं,
 - आंतरिक रक्षा एवं रणनीतियाँ,
 - शारीरिक शिक्षा तथा खेल,
 - तटीय एवं सामुद्रिक सुरक्षा।

- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में इन कार्यक्रमों में 18 राज्यों के 822 छात्र नामांकित हैं।

इतिहास, कला और संस्कृति

'साहित्योत्सव' महोत्सव | साहित्य महोत्सव 2022

'साहित्योत्सव' महोत्सव समाचारों में

- संस्कृति मंत्रालय की साहित्य अकादमी द्वारा 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में 'साहित्योत्सव' महोत्सव आयोजित करने की योजना है।

'साहित्योत्सव' महोत्सव क्या है?

- 'साहित्योत्सव' भारत का साहित्य अकादमी के साहित्यों का उत्सव है। 'साहित्योत्सव' महोत्सव भारत का सर्वाधिक समावेशी साहित्य महोत्सव है।
- फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2022 भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का एक हिस्सा होगा।
- 'साहित्योत्सव' की विषय वस्तु: इसमें स्वतंत्रता या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक अथवा दूसरा विषय वस्तु होगा।

'साहित्योत्सव' महोत्सव में प्रमुख कार्यक्रम

- 10 मार्च 2022 को संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा अकादमी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ 'साहित्योत्सव' महोत्सव का आरंभ होगा।
- 'साहित्योत्सव' प्रदर्शनी अकादमी की उपलब्धियों एवं विगत वर्षों में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रदर्शित करेगी।
- अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 युवा लेखक 10 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले "द राइज़ ऑफ़ यंग इंडिया" कार्यक्रम में भाग लेंगे।
- 'साहित्योत्सव' महोत्सव में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकों एवं आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष स्थान होगा।
- प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 पुरस्कार विजेताओं को 11 मार्च 2022 को प्रदान किए जाएंगे।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

- साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में: साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है।
- पुरस्कार: 24 साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।

- इसी तरह, 24 पुरस्कार भारत की भाषाओं से तथा भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद के लिए भी प्रदान किए जाते हैं।
- भाषा श्रेणी: साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी एवं राजस्थानी दो अन्य भाषाओं में दिए जाते हैं।
- महत्व: साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वाधिक बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

भारत भाग्य विधाता - लाल किला महोत्सव

भारत भाग्य विधाता महोत्सव

- हाल ही में, दस दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव - भारत भाग्य विधाता, शुरू हुआ और 3 अप्रैल, 2022 तक दिल्ली में प्रतिष्ठित 17 वीं शताब्दी के स्मारक, लाल किले में जारी रहेगा।

भारत भाग्य विधाता क्या है?

- लाल किला मेगा फेस्टिवल-भारत भाग्य विधाता - का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
- लाल किला त्यौहार देश की विरासत और भारत के हर हिस्से की संस्कृति को मनाने के लिए है।
- शामिल संगठन: लाल किले के "स्मारक मित्र", डालमिया भारत लिमिटेड के साथ संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मेगा इवेंट की अवधारणा की है।
- मुख्य नियोजित गतिविधियाँ: भारत भाग्य विधाता उत्सव में कई तरह के अनुभव होंगे जिनमें शामिल हैं-
 - "मातृभू म" - प्रोजेक्शन मैपिंग शो,
 - YATRA - एक 360° इमर्सिव अनुभव,
 - एक सांस्कृतिक परेड,
 - खाओ गली,
 - रंग मंच पर लाइव प्रदर्शन,
 - भारत के नृत्य,
 - अनोखे वस्त्र,
 - खेल मंच और खेल गांव और
 - योग और द गो

भारत भाग्य विधाता महोत्सव का महत्व

- भारत भाग्य विधाता सभी को भारत की विविधता की सराहना करने में मदद करेगा। कार्यक्रम स्थल पर 70 से अधिक मास्टर कारीगरों ने अपनी शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया है।
- लाल किला महोत्सव - भारत भाग्य विधाता आगंतुकों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक दावत का वादा करता है और इसका उद्देश्य विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- यह महोत्सव देश भर से विभिन्न प्रकार की प्रामाणिक कला, शिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करके सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से देश भर के कारीगरों की आजीविका में सुधार करने में मदद कर रहा है।

भारत भाग्य विधाता महोत्सव

लाल किला महोत्सव में प्रदर्शित की जा रही कुछ समृद्ध कला, शिल्प और वस्त्रों में शामिल हैं-

- **गुजरात:** अजरख, पाटन पटोला, मशरू, बंधनी और भुजोड़ी हथकरघा;
- **पश्चिम बंगाल:** तेलंगाना की इकत साड़ी; तंगैल और जामदानी बुनाई;
- **आंध्र प्रदेश:** मंगलागिरी और उप्पदा पट्टू डिजाइन के साथ-साथ इसके एटिकोप्पाका और कोंडापल्ली खिलौने;
- **कश्मीर:** सोजनी कढ़ाई और पेपर माचे
- **नागालैंड और असम से बुनाई:** चिज़ामी और सानेकी;
- **ओडिशा:** कोटपाड़, बंधा, माहेश्वरी, चंदेरी के साथ-साथ इसके ढोकरा और आदिवासी आभूषण और पट्टाचित्र कला जैसे कपड़े;
- **मध्य प्रदेश:** बाग प्रिंट, चंदेरी और भील पिथौरा और गोंड जनजातीय कला पेंटिंग;
- **झारखंड:** टसर सिल्क;
- **महाराष्ट्र:** पैठानी, करवाथ कटी प्रिंट, इकोकारी आइटम और इसकी कुख्यात वारली लोक कला;
- **राजस्थान:** पिचवाई और फड पेंटिंग्स और डब्लू, लहरिया, दस्तकार रणथंभौर और शिबोरी प्रिंट्स के साथ-साथ पटवा ज्वेलरी, लेदर क्राफ्ट और श्यामोटा ब्लैक पॉटरी;
- **बिहार:** मधुबनी कला; कढ़ाई में सुजानी शामिल हैं।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) 2022

समाचारों में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (RSM)

- हाल ही में, तेलंगाना के राज्यपाल ने 29 मार्च 2022 को तेलंगाना के वारंगल में दो दिवसीय मेगा सांस्कृतिक उत्सव - राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (RSM) का उद्घाटन किया।
- भारत का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 26 मार्च, 2022 को आंध्र प्रदेश के राजामहेन्द्रवरम में शुरू हुआ।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) 2022 में किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम

- महोत्सव की शुभ शुरुआत स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन और कोरियोग्राफ की गई लोक प्रस्तुतियों से होगी।
- यह हैदराबाद ब्रदर्स (कर्नाटक वोकल्स) द्वारा शास्त्रीय संगीत प्रदर्शन और पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री दर्शन मोगुलैया, सुश्री मंगली, पार्श्व गायिका और अन्य द्वारा संगीतमय प्रदर्शन का भी गवाह बनेगा।
- लोक कलाकार पूरे दिन मंच पर या जनता के बीच प्रदर्शन करते हैं।
- लोक मंडलियों के अलावा प्रतिष्ठित पद्म और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित शास्त्रीय कलाकार हर साल महोत्सव में सभी शैलियों को शामिल करते हैं।
- जिस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उस राज्य के क्षेत्रीय स्वाद को दर्शाने वाले कलाकारों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (RSM)

- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (RSM) की संकल्पना संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में की गई थी।
 - पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नवंबर, 2015 में आईजीएनसीए, नई दिल्ली के मैदान में आयोजित किया गया था।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (RSM) का उद्देश्य हमारे अविश्वसनीय देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और विविधता की भावना का जश्न मनाना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के अन्य प्रमुख उद्देश्य-
 - भारतीय विरासत को संरक्षित, प्रचारित और लोकप्रिय बनाना और नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से फिर से जोड़ना,
 - विविधता में एकता की हमारी सॉफ्ट पावर देश और दुनिया को दिखाने के लिए।

संपादकीय विश्लेषण

विदेश में छात्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था

संदर्भ

- जारी कोविड -19 महामारी तथा रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण के बारे में सोचने के लिए सचेत किया है।
- यूक्रेन में दो भारतीय छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु (एक की गोलाबारी में मृत्यु हो गई, दूसरे को स्ट्रोक लगा) भी हमें यह सुनिश्चित करने हेतु आगाह करता है कि विदेशों में भारतीय छात्र सुरक्षित एवं कुशल हैं।

भारतीय नागरिकों का महत्व

- महामारी की आरंभ से पूर्व, 7,50,000 से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे थे, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में 24 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे थे, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है।
 - 2024 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 1.8 मिलियन होने की संभावना है, जब हमारे छात्र भारत के बाहर लगभग 80 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे।
- पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेशों में भारतीयों को "ब्रांड एंबेसडर" के रूप में संदर्भित किया था।
 - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन (यूके) में भारतीयों को दोनों देशों के मध्य "लिविंग ब्रिज" (जीवंत सेतु) कहा है।
- विदेशों में भारतीय छात्र सॉफ्ट पावर, ज्ञान हस्तांतरण तथा भारत को पुनः प्राप्त होने वाले प्रेषण के मामले में व्यापक लाभ प्रदान करते हैं।
- भारत चीन के बाद अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है तथा इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है।

विदेशों में भारतीय छात्रों के लिए चिंता

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव: भारत की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है एवं विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में कोई भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है, यह स्वाभाविक है कि इच्छुक छात्र विदेश में अध्ययन करना चाहेंगे।
- विदेशों में भारतीय छात्रों के भविष्य को खतरे में डालना: लगभग 2,000 छात्र जिनके कॉलेज अचानक बंद हो गए हैं, विरोध कर रहे हैं।
 - ब्रिटेन में कुछ वर्ष पूर्व सैकड़ों 'फर्जी' कॉलेज बंद कर दिए गए थे, जिसका हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

- महामारी के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ने अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने हेतु नामांकित हजारों भारतीय छात्रों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं।

विदेशों में भारतीय छात्रों के कल्याण को सुरक्षित करना

- विदेशों में उनकी रक्षा करना: भारत सरकार को यह सुनिश्चित करके विदेशों में भारतीय लोगों की सुरक्षा को अधिदेशित करना चाहिए कि मेजबान देश इसकी जिम्मेदारी लें।
 - भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के उपभोक्ता हैं तथा वे जिन देशों में रहते हैं वहां के मेहमान हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता: संकट एवं आकस्मिकताओं के समय में भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों को बाध्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए।
- अनिवार्य छात्र बीमा योजना: इसे अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उन छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जा सके जो मेजबान देश में भी काफी मात्रा में धन व्यय करते हैं।
 - उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा ब्रिटेन के लिए सर्वाधिक मजबूत निर्यातों में से एक रही है, जिससे £28.8 बिलियन का राजस्व सृजित होता है।

निष्कर्ष

- बेहतर प्रदर्शन एवं भविष्य को सुरक्षित करने की आकांक्षा उन्हें कठिनाइयों के प्रति प्रवृत्त कर सकती है, जिसे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था से दूर किया जा सकता है।
- जब विदेशों में भारतीयों की उपलब्धियों का हम उत्सव मनाते हैं, तो उनके कल्याण की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारा है।



केयर इनफॉर्मड बाय डेटा – लैसेट स्टडी

संदर्भ

- कोविड-19 के कारण अनाथ होने के हालिया लैसेट अनुमानों ने कोविड-19 के परिणामस्वरूप अनाथ हुए बच्चों की संख्या 19 लाख से अधिक बताई है।
 - इसने भारत एवं उसके अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- भारत ने 19 लाख के अनुमान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है, इसे "नागरिकों में दहशत पैदा करने के इरादे से परिष्कृत चालबाजी" करार दिया है।
 - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एकत्र किए गए एवं बाल स्वराज पोर्टल पर एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 के दौरान अनाथ बच्चों की संख्या 1.53 लाख थी।

कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चे- लैसेट स्टडी

- वैश्विक परिदृश्य:** वैश्विक स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि महामारी के कारण 52 लाख बच्चे अनाथ हो गए थे।
- लैसेट स्टडी कोविड-19 के कारण अनाथ को परिभाषित करता है:** अनाथ अवस्था को एक या दोनों माता-पिता (अभिभावकों) की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया था; या एक या दोनों संरक्षक दादा-दादी की मृत्यु।
- लैसेट के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि महामारी के आरंभिक 14 महीनों के बाद के आंकड़ों की तुलना में कोविड-19 द्वारा अनाथ बच्चों की संख्या छह महीनों में लगभग दोगुनी हो गई थी।

कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ होने को बाध्य हुए बच्चों के लिए सहायता की एक व्यापक योजना की घोषणा की।
- अनेक राज्यों ने पुनर्वास योजनाओं की घोषणा की, जिसमें दत्तक ग्रहण (गोद लेने), प्रतिपालक देखभाल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान सम्मिलित हैं।

आगे की राह

- COVID-19 प्रबंधन में चाइल्डकैअर को शामिल करें:** दुनिया भर की सरकारों को शिशु देखभाल (चाइल्डकैअर) को किसी भी कोविड-19 प्रबंधन कार्यक्रम में पूर्ण तात्कालिकता के साथ शामिल करना चाहिए।
 - राज्य को ऐसे बच्चों को कई प्रतिकूलताओं - निर्धनता, हिंसा, अभाव एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच की कमी से बचाने के लिए देखभाल के प्रछत्र में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना चाहिए।

- मौजूदा कार्यक्रमों को अद्यतन करें:** भारत को कोविड प्रभावित अनाथ बच्चों की देखभाल के कार्यक्रमों की स्थिति को अपडेट करना चाहिए।
 - भारत को उन मामलों की संख्या के बारे में भी सूचनाओं को अद्यतन करना चाहिए जहां हस्तक्षेप हुआ है, तथा जहां यह लंबित है, जिसे सार्वजनिक दायरे में रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- सरकार को समय-समय पर 'संपूर्ण जीवन' देखभाल प्रतिमान एवं नवीनतम डेटा द्वारा बच्चों को सूचित करने हेतु अंतःक्षेप की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।
- यह महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से एक महामारी में जो न केवल तेजी से विकसित हो रही है, बल्कि सभी दृष्टियों से, कहीं भी निकट भविष्य में समाप्त नहीं हो रही है।

केंद्रीकृत परीक्षण

समाचारों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (CUET)

- हाल ही में, 2022-23 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वित्त पोषित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट/सीयूईटी) आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
- कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (CUET) आयोजित करने के इस निर्णय की अनेक व्यक्तियों द्वारा आलोचना की जा रही है।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (CUET)

- पृष्ठभूमि:** कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (CUET) का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/NEP) से प्रभावित है।
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पूर्व स्नातक एवं स्नातक प्रवेश तथा शक्षावृत्ति (फैलोशिप) के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आम प्रवेश परीक्षाओं की वकालत करती है।
 - एक दर्जन से अधिक सीयू, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) स्कोर का उपयोग करके छात्रों को स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देते हैं।
- प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट के बारे में:** प्रस्तावित सीयूईटी, 13 भाषाओं में, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य बनाना चाहता है - ऐसे 54 संस्थान हैं - जो राष्ट्रीय स्तर के एकल टेस्ट स्कोर का उपयोग करके प्रवेश आयोजित करेंगे।
- पूर्व अनुशंसा:** 1984 में, माधुरी आर. शाह समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज को देखते हुए, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन) की सिफारिश की।

- **अपेक्षित लाभ:** CUET उम्मीदवारों को कई प्रवेश परीक्षा देने से बचाएगा एवं बारहवीं कक्षा में अनुपातहीन अंकों से प्राप्त अनुचित लाभ को भी समाप्त करेगा।

सीयूईटी की संबद्ध आलोचना

- **शिक्षा प्रणाली की विविधता को समाप्त करना:** आलोचक स्पष्ट रूप से, इस विकास को वर्तमान सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में 'एक राष्ट्र, एक मानक' के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के जुनून के चश्मे से देख रहे हैं।
 - यद्यपि, 1984 में, माधुरी आर. शाह समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज को देखते हुए, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा की सिफारिश की थी।
- **आरक्षण पर संदेह:** अनेक व्यक्तियों का मानना है कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) उन उम्मीदवारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा जो वर्तमान आरक्षण नीति से लाभान्वित होते हैं।
 - हालांकि, यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों में आरक्षण की वर्तमान योजना को बाधित नहीं किया जाएगा।
- **क्षेत्रीय असमानता पर विचार करने में विफल:** CUET भारत में शैक्षिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को देखते हुए योग्यता के एक पूर्ण निर्धारक के रूप में अर्ह नहीं हो सकता है।
 - जबकि राज्य बोर्डों में एक विशाल बहुमत का अध्ययन, परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसका मुख्य रूप से सीबीएसई के विद्यालयों में अनुसरण किया जाता है।
 - यह नीति बारहवीं कक्षा के अंकों को योग्यता मापदंड के रूप में सीमित करती है न कि योग्यता के सह-निर्धारक के रूप में।
- **राज्यों की चिंताएं:** तमिलनाडु, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों ने कुछ वैध चिंताओं को हरी झंडी दिखाई है।
 - पूर्वोत्तर में, इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए राज्य के अधिवासियों के हित को प्रभावित करने वाले परीक्षण के बारे में तर्क की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- **समृद्ध एवं निर्धन के मध्य अंतराल निर्मित करना:** यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है कि सामान्य प्रवेश परीक्षा कोचिंग उद्योग को जन्म देती है एवं छठी कक्षा से लागत- गहन हाइब्रिड पाठ्यक्रमों को प्रेरित करती है।
 - इसके परिणामस्वरूप संपन्न एवं वंचितों के मध्य अंतराल उत्पन्न होगा।

निष्कर्ष

- सीयूईटी के विचार की निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है, यदि एकल प्रवेश परीक्षा को योग्यता के एकमात्र निर्धारक के रूप में, या तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अथवा समग्र रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए विहित करना व्यावहारिक है।

युद्ध से चीन के निहितार्थ

समाचारों में युद्ध से चीन के निहितार्थ

- भारत की भांति एवं अपेक्षित तर्ज पर, चीन ने भी यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के यू.एस. प्रायोजित प्रस्ताव पर मतदान से स्वयं को पृथक रखा।
- यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान से चीन के स्वयं को पृथक रखने के कारणों के साथ-साथ आक्रमण से उसके लाभ एवं अपेक्षाएँ उसकी अपनी स्थिति के लिए अद्वितीय हैं।
 - 2014 में भी, जब क्रीमिया में रूसी आक्रमण के विरुद्ध अंतिम मत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान हेतु आया तो चीन ने स्वयं को पृथक रखने का निर्णय लिया, जैसा कि क्रीमियन जनमत संग्रह की वैधता थी।

रूस यूक्रेन युद्ध- चीन की रणनीतिक स्थिति

- **क्या चीन को रूस के इरादों के बारे में पता था:** अनेक पर्यवेक्षकों ने अवलोकन किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के लिए बीजिंग का दौरा करते समय अपने इरादों के बारे में सूचित किया होगा।
 - शी जिनपिंग ने सुझाव दिया हो सकता है कि श्री पुतिन डोनेट्स्क एवं लुहान्स्क को मान्यता प्रदान करने से पूर्व शीतकालीन ओलंपिक के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें एवं वहां "रक्षात्मक सैन्य बलों" को भेजने के बाद तत्काल आक्रमण करें।
 - चीनी अधिकारियों ने इस तरह की बातचीत को निराधार बताया है।
- **क्या चीन ने रूस को हतोत्साहित करने हेतु पर्याप्त कदम उठाया:** एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या चीन ने रूस को हतोत्साहित करने हेतु पर्याप्त कदम उठाया यदि उसे रूस की मंशा ज्ञात थी।
 - चीन को उम्मीद थी कि रूसी कार्रवाई डोनबास क्षेत्र तक सीमित होगी, जिसमें डोनेट्स्क एवं लुहान्स्क सम्मिलित हैं।
 - इसके अतिरिक्त, शांति प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने का प्रयत्न करके, चीन एक स्वार्थी शक्ति होने की नई आलोचनाओं से भी बचना चाहेगा।

रूस यूक्रेन युद्ध से चीन को किस प्रकार लाभ होगा

- **चीन पर कम ध्यान केंद्रण:** यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणामस्वरूप, पश्चिमी देश संभवतः अपना ध्यान चीन से हटा देंगे।
 - इस प्रकार उदारवादी विश्व की दृष्टि में चीन प्रमुख खलनायक नहीं रहेगा, जो तब से है-

- यह दक्षिण चीन सागर में एकपक्षीय रूप से द्वीपों का निर्माण कर रहा है, एवं
- शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों में वृद्धि हुई है।
- **सामरिक लाभ:** चीन की 'भेड़िया योद्धा कूटनीति' (वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी) में भी कमी देखी जा सकती है क्योंकि यह समझौता प्रक्रिया में ध्यान लगाने तथा हिस्सेदारी निर्मित करने के अवसर का अनुभव करता है।
 - रूस द्वारा अपने सैन्य बजट को बढ़ाकर पश्चिमी देशों पर लागत थोपना भी चीन के लिए अच्छी बात है।
 - इससे यूरोप का ध्यान अपने पड़ोस की ओर एवं हिंद-प्रशांत से हटेगा तथा संभवतः क्वाड के साथ इसके जुड़ाव में विलंब होगा।
- **मध्य एशियाई देश:** बीजिंग यूरोप के साथ यूक्रेन के जुड़ाव में भी एक प्रतिरूप को देखता है एवं मध्य एशिया में इसकी पुनरावृत्ति से भयभीत है जहां रूसी तथा चीनी हित लोकतांत्रिक हस्तक्षेप को दूर रखने में अभिसरित होते हैं।
 - चीन एवं रूस के लिए प्रमुख साझा चिंता बाह्यतः उकसाए गए शासन परिवर्तनों की है, जो मध्य एशिया में लोकतंत्रीकरण को बाध्य करते हैं तथा इस क्षेत्र को अस्थिर करते हैं।
 - यही कारण है कि चीन, यूक्रेन के साथ अपने मुद्दों को हल करने के लिए रूस से अपील करना जारी रखे हुए है।
- **चीन के लिए सामरिक एवं सैन्य सबक:**
 - यदि चीन ताइवान में सैन्य समाधान पर विचार करता है या ऐसी परिस्थितियों में जहां वह अपने मूल हितों का उल्लंघन करता हुआ देखता है, तो रूस द्वारा प्रयोग किया गया आघात एवं विस्मय तथा विस्तार आव्यूह (एस्केलेशन मैट्रिक्स) एक आदर्श हो सकता है।
 - चीन रूसी संस्थिति और संकेतों, जैसे परमाणु निवारक बलों को हाई अलर्ट पर रखना तथा यू.एस., उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन/नाटो), प्रत्येक यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) की प्रतिक्रिया का भी अध्ययन कर रहा होगा।

पांच राज्यों के चुनाव, उनके संदेश तथा निहितार्थ

समाचारों में पांच राज्यों के चुनाव, उनके संदेश तथा निहितार्थ

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में से पांच में से चार राज्यों में विजय प्राप्त की है। इन विजयों के साथ, भाजपा का युग चरम पर है एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा का लाभ

- **कमजोर विपक्ष:** समाजवादी पार्टी ने यद्यपि अपने 2017 के प्रदर्शन से सुधार किया, किंतु यह भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे सका जिसने शहरी एवं अर्ध-शहरी सीटों पर अपनी असाधारण बढ़त बनाए रखी।
 - इससे भी अधिक, भाजपा ने 2017 से वोट शेयर में लाभ प्राप्त किया है।
- **कोई सत्ता-विरोध नहीं:** केंद्र एवं राज्य के साथ केंद्र में लगभग आठ वर्ष की सत्ता तथा लखनऊ में पूर्ण बहुमत के बावजूद, भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में विजय प्राप्त करने में सफल रही।
- **गंभीर आर्थिक संकट का कोई असर नहीं:** राज्य के खराब आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1985 के बाद पहली बार सत्ता में लौटने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रहे।
 - युवाओं के मध्य बेरोजगारी देश में सर्वाधिक है एवं विगत पांच वर्षों में और बढ़ी है, राज्य में 2022 में 2017 की तुलना में 16 लाख कम लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
 - 2012-2017 के चरण की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम वृद्धि एवं कीमतों में त्वरित वृद्धि, खाद्य बास्केट को प्रभावित करना, ये सभी सांख्यिकीय रिकॉर्ड के मामले हैं।
 - नीति आयोग ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को सबसे निचले पायदान पर रखा है।

आप (आम आदमी पार्टी) का आविर्भाव

- **विपक्ष का नए तरीके से निर्माण:** एकमात्र विपक्षी दल जो सफल हुआ है, वह पंजाब में आम आदमी पार्टी है।
 - हारने वालों में कांग्रेस के अलावा, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) एवं अकाली दल शामिल होंगे।
- **बीजेपी को चुनौती:** आप के पास ग्रैंड ओल्ड पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं एवं एसपी तथा अन्य पार्टियां बीजेपी को चुनावी चुनौती देने में असमर्थ हैं।
 - यह पूरे ब्रह्मांड के लिए, कम से कम फिलहाल के लिए एक झटके का संकेत है कि 2014 से पहले राजनीति कैसे की जाती थी।

निष्कर्ष

- इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का मुकाबला करने के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सद्भाव से उत्साहित हैं, या यहां तक कि भारतीय राष्ट्रवाद के 21 वीं सदी के संस्करण को, स्मार्ट चुनावी या चातुर्यपूर्ण नाटकों की तुलना में बहुत अधिक की आवश्यकता होगी।

खंडित विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ

रूस यूक्रेन संकट: संदर्भ

- यूक्रेन पर रूसी युद्ध अभी भी जारी है एवं विश्व व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

रूस यूक्रेन संघर्ष: भारत के लिए मुद्दे

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मतदान से अनुपस्थित रहकर रूस की कार्रवाई की आलोचना करने से इनकार कर दिया है।
- इस निर्णय से पश्चिम के साथ, विशेष रूप से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर असर पड़ सकता है।
- अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व हानि हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, संकट का वैश्विक विश्व व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

रूस यूक्रेन युद्ध: चरमराती विश्व व्यवस्था

- **संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सुरक्षा परिषद:** यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद को उनकी पूर्ण अक्षमता के लिए बेनकाब कर दिया है।
 - यूक्रेन के शहरों पर रूस द्वारा प्रतिदिन बमबारी एवं रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत लाने के स्थान पर उस पर प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी प्रतिक्रिया वैश्विक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का कारण है।
- **परमाणु सुरक्षा उपायों को क्षीण करना:** रूस ने चेरनोबिल के समीप के क्षेत्रों एवं ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास शेल इमारतों को लक्षित किया है, जो यूरोप का सर्वाधिक वृहद परमाणु संयंत्र है जो एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चिंताजनक संकेत है।
 - इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि यूक्रेन एवं लीबिया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने परमाणु कार्यक्रम का त्याग कर दिया है, पर आक्रमण किया गया; एवं ईरान तथा उत्तर कोरिया कभी भी वैश्विक व्यवस्था की अवहेलना कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु निवारकों को अपने नियंत्रण में रखा है, परमाणु अप्रसार प्रणाली की विश्वसनीयता के बारे में बहुत कुछ कहता है।
- **आर्थिक प्रतिबंध:** पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए मनमाने एवं एकतरफा प्रतिबंधों ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को दुष्प्रभावित किया।
 - इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि अब तक घोषित प्रतिबंधों में रूस के कुछ सबसे बड़े बैंक जैसे Sberbank एवं Gazprombank तथा ऊर्जा एजेंसियां (रूस से तेल एवं गैस के व्यवधान से बचने के लिए) सम्मिलित नहीं हैं, ने भी इस

तरह के प्रतिबंधों की विश्वसनीयता के बारे में अनेक प्रश्न उठाए हैं।

- विश्व गैर-डॉलर प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत रूस से हमारे आयात के वित्तपोषण के लिए एक रुपया-रुबल तंत्र का उपयोग कर रहा है तथा रूसी बैंक अब ऑनलाइन लेनदेन के लिए चीनी "यूनियनपे" का उपयोग करेंगे।
- **अलगाव के कारण संकट:** पश्चिमी देश रूस को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग-थलग करने का लक्ष्य बना रहे हैं, जो वैश्विक उदार व्यवस्था के विरुद्ध है।
 - इसके अतिरिक्त, उनकी स्वीकारोक्ति कि उनका युद्ध रूसी नागरिकों के साथ नहीं है, उनके कार्रवाइयों के साथ भी संगत नहीं है क्योंकि उनके अधिकांश कार्रवाइयों से सामान्य रूसी नागरिकों को क्षति पहुंचेगी।

आगे की राह

- भारत को समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि वैश्विक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखा जा सके, मजबूत किया जा सके एवं विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सके।

हार्म इन द नेम ऑफ गुड

समाचारों में

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों के महत्व के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने हेतु एवं उत्सव मनाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया है।
- इस दिन, देशों को हरित आवरण को बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायता करने हेतु वृक्षारोपण अभियान जैसी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्तमान वृक्षारोपण अभियान के मुद्दे

- **पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण का अभाव:** वन जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं जो पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, कीटों, उभयचरों, कवकों, सूक्ष्म जीवों, जल, मृदा, पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं अन्य कारकों के परस्पर क्रिया के कारण कई वर्षों में निर्मित होते हैं।
 - जब तक ये प्रतिभागी पुनर्निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, वृक्ष आकर्षक, प्राकृतिक, जटिल पारिस्थितिक तंत्र के स्थान पर हरे भरे आवरण के रूप में बने रहेंगे।
- **पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पर्यावासों का विनाश:** यदि वृक्षारोपण के लिए गलत क्षेत्रों का चयन किया जाता है, तो

प्राकृतिक पर्यावास में परिवर्तन हो सकता है, जिससे पर्यावास विशेष प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी।

- यह स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को कम प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण बना देगा।
- एक उत्कृष्ट उदाहरण जो हम देखते हैं वह वृक्षारोपण के माध्यम से प्राकृतिक घास के मैदानों को जंगली क्षेत्रों में परिवर्तित होना है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे कभी भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया था, अब 200 से कम पक्षियों के साथ विलुप्त होने के कगार पर है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि वृक्षारोपण के कारण कई क्षेत्र जहां ये बड़े पक्षी पनपे हैं, ऐसे क्षेत्र समाप्त हो गए हैं।
- मध्य कर्नाटक में रानेबेन्नूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे इस प्रजाति के संरक्षण के लिए नामित किया गया था, इस अवैज्ञानिक सोच का एक उदाहरण है।
- जयमंगली संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में एक अन्य घास का मैदान, भेड़ियों का एक पर्यावास है। किंतु अब वहां तेंदुए पाए जाते हैं क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र में बबूल, अंजन, नीलगिरी तथा इमली के वृक्ष लगाए गए हैं।
- **दोषपूर्ण वृक्षारोपण अभियान:** इनमें से कुछ वृक्षारोपण अभियान स्थानीय प्रजातियों के प्रचार का दावा करते हैं। देशी वृक्ष प्रजाति भारत में एक अत्यंत ही दुरुपयोग की जाने वाली शब्दावली है।
 - हालांकि नीम, पीपल, बरगद तथा अंजन भारत के स्थानीय वृक्ष हो सकते हैं, किंतु वे देश के अनेक हिस्सों में गैर-स्थानीय हैं।
 - हम इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिक मानदंड की उपेक्षा करते हैं एवं सभी क्षेत्रों में इन प्रजातियों का रोपण करते हैं।
 - किसी भी प्रकार की स्थानीय वृक्ष प्रजातियों को लगाने से संभवतः शहरी परिवेश में सहायता मिल सकती है किंतु प्राकृतिक पर्यावासों में नहीं।

वनों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना

- **वृक्षारोपण गतिविधियों को स्थानीय जैव विविधता के अनुकूल बनाना:** यदि हम वनों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें पहले स्थानीय वनस्पतियों एवं जैव विविधता को व्यवस्थित रूप से समझने की आवश्यकता है जो इन वनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - यदि हम स्थानीय रूप से पाई जाने वाली स्वदेशी प्रजातियों की एक श्रृंखला लगाते हैं, तो जैव विविधता वापसी करेगी।
 - **वृक्ष लगाने का विश्व में एक अंगुष्ठ नियम है:** सही स्थान पर सही वृक्ष लगाना चाहिए। और कुछ जोड़ते हैं, 'सही कारण के लिए'।

- **प्रभावशीलता का अनुश्रवण:** हमें ऐसे वृक्षारोपण अथवा पुनर्स्थापना पहल के परिणामों का अनुश्रवण एवं जांच भी करनी चाहिए।
- **सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना:** एक अन्य उपाय यह है कि संरक्षण के माध्यम से वनों को स्वयं से पुनर्स्थापित होने दिया जाए। इसे सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन कहा जाता है एवं यह एक सस्ता तथा अधिक प्रभावी पद्धति है।
 - वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि प्राकृतिक पुनर्जनन वृक्षारोपण की तुलना में 40 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करता है एवं बहुत अधिक जैव विविधता का संरक्षण करता है।
- **मौजूदा जैव विविधता एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण:** हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वनोन्मूलन (वनों की कटाई) को रोकना एवं मौजूदा वनों की रक्षा करना है।
- **वानिकी एवं वन्य जीव संरक्षण में निवेश:** विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 2018 और 2021 के मध्य वन्यजीव संरक्षण के बजट में 47% की कटौती की है।
 - सरकार को वनों एवं अन्य पर्यावास संरक्षण के लिए अपने समर्थन में वृद्धि करनी चाहिए।

हर्टेनिंग माइलस्टोन

भारत में निर्यात क्षेत्र: संदर्भ

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का निर्यात पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया।

हर्षित करने वाला मील का पत्थर

- यह लेख इस महामारी से प्रेरित अर्थव्यवस्था में समाचारों द्वारा लाई गई राहत के बारे में बात करता है। साथ ही, यह लेख उन चुनौतियों के बारे में बात करता है जिनसे निपटने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक व्यापार में हमारी स्थिति को और मजबूत किया जा सके।

निर्यात 400 बिलियन डॉलर: उल्लेखनीय उपलब्धि

- यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड-19 महामारी के भीषण प्रभाव से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है, रिकॉर्ड व्यापारिक निर्यात अत्यंत आवश्यक उत्साह लाता है।
- यह प्रशंसनीय है कि इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं परिधान तथा वस्त्रों के प्रमुख मूल्य वर्धित क्षेत्रों ने इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया है।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इंजीनियरिंग वस्तुएं, विशेष रूप से, लगभग 50% साल-दर-साल

वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि तैयार कपड़ों में अप्रैल-फरवरी की अवधि में 30% की वृद्धि देखी गई है।

- महत्वपूर्ण रूप से, पेट्रोलियम उत्पाद असाधारण प्रदर्शनकर्ता थे क्योंकि तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल ने वित्त वर्ष के प्रथम 11 महीनों में भारत की तेल शोधन शालाओं (रिफाइनरियों) में उत्पादित वस्तुओं के विदेशी शिपमेंट के डॉलर मूल्य में 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- यह तथ्य कि, निर्यात वृद्धि कंटेनरों की कमी तथा बंदरगाह की भीड़ सहित निरंतर सम्भारिकी (रसद) चुनौतियों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध हासिल की गई है, जिसने माल ढुलाई दरों को बढ़ा दिया है, प्रशंसनीय है एवं उद्योग तथा देश के विदेशी मिशनों के समन्वय में सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयास को दर्शाता है।
- भारतीय उत्पादों के लिए नवीन अवसरों की खोज में, भारत के दूतावासों एवं राजदूतों द्वारा निभाई गई भूमिका को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है तथा यदि आने वाले वर्षों में निर्यात में वर्तमान गति को बनाए रखना है, तो राजनयिक समूह को व्यापार संवर्धन में अपनी भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

निर्यात क्षेत्र की चुनौतियां

- यद्यपि, घरेलू उद्योगों के सामने आने वाली समक्ष उपस्थित होने वाली चुनौतियों की अभिस्वीकृति के बाद प्रोत्साहन भी होनी चाहिए।
- इस वर्ष आयात ने निर्यात को पीछे छोड़ दिया है, अप्रैल-फरवरी की अवधि में व्यापार घाटा लगभग दोगुना होकर 175 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। यह अंतर महामारी-पूर्व वर्ष 2019-2020 से भी अधिक है।
 - जबकि कमोडिटी की कीमतों में वैश्विक मुद्रास्फीति ने निर्यात एवं आयात दोनों के मूल्य को बढ़ाने में योगदान दिया, यह तथ्य कि प्रोजेक्ट गुड्स, मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 30 व्यापक श्रेणियों में से, जो 11 माह की अवधि में अनुबंधित आयात की एकमात्र वस्तु थे, यह भी चिंता का एक कारण है।



- नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं की विदेशी खरीद की कमी एक स्पष्ट संकेतक है कि निजी भारतीय व्यवसाय अभी भी व्यक्तिगत उपभोग में गति की कमी को देखते हुए नए निवेश करने के प्रति संदेहशील हैं।
- यूक्रेन में युद्ध तथा रूस पर प्रतिबंध अब न केवल इन देशों में बल्कि यूरोप के अन्य बाजारों में भी माल भेजने के इच्छुक निर्यातकों के लिए नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।

आगे की राह

- नीति निर्माताओं को स्थानापन्न (स्टॉपगैप) उपायों से परे जाना चाहिए जैसे कि रुपया-रुबल व्यापार को सक्षम करना तथा मुक्त व्यापार समझौतों के बेड़े पर जारी वार्ता में तेजी लाना ताकि कम से कम कुछ प्रशुल्क बाधाओं को कम करने में सहायता मिल सके।

लाइन्स एंड रोल्स

प्रसंग

- हाल ही में, केरल के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के मध्य तनाव ने संवैधानिक मामलों में राज्य सरकारों की तुलना में राज्यपाल की भूमिका को पुनः एक बार सुर्खियों में ला दिया।

राज्य सरकार एवं राज्यपाल के मध्य तनाव का कारण

- हाल के दिनों में राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति एवं केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वे जो पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे मुद्दों के पीछे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यपाल अपने लिए उपलब्ध विवेकाधिकार के स्थान का उपयोग 'सहायता एवं परामर्श' खंड में शासन को चिंता में रखने के लिए कर रहे हैं।
- संवैधानिक मुद्दे: संविधान राज्यपालों के कार्य करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है।
- इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को यह चयन का अधिकार प्रदान करता है कि उनके विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या है एवं क्या नहीं, न्यायालयों को यह प्रश्नगत करने से निवारित कर दिया गया है कि क्या कोई सलाह दी गई थी और यदि हां, तो क्या सलाह दी गई थी।

सहायता एवं परामर्श

- 1974 में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल "अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग मात्र कुछ प्रसिद्ध असाधारण स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार करेंगे" - "स्थितियों" के भी सुस्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है।

- फिर भी, कुछ राज्यपालों द्वारा विधेयकों को क्षमादान या स्वीकृति प्रदान करने के अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं करने की असाधारण स्थिति है।
- तमिलनाडु में एक उदाहरण में, राज्यपाल ने केंद्रीय कानून के साथ स्पष्ट संघर्ष के कारण विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए अधिक सुरक्षित रखा।

आवश्यक कदम

- यद्यपि सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों को बरकरार रखा है, किंतु यह इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का समय है।
- कुछ स्थितियों पर विचार किया जा सकता है जैसे विवेकाधिकार के क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करना, उनके लिए कार्रवाई करने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करना तथा यह स्पष्ट करना कि वे विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु कैबिनेट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं।
- विधेयकों के संबंध में, यह स्पष्ट है कि संविधान सभा ने राज्यपालों के लिए विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस करने का प्रावधान केवल इस आश्वासन पर पारित किया कि उनके पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, जैसा कि एम.एम. पुंछी आयोग द्वारा सुझाया गया है, विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के पद के साथ राज्यपालों की भूमिका को समाप्त किया जाना चाहिए।

एक भारतीय विधायी सेवा की आवश्यकता

समाचारों में

- पी.पी.के. रामाचार्युलु को 1 सितंबर, 2021 को राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू द्वारा उच्च सदन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
- रामाचार्युलु प्रथम राज्यसभा सचिवालय स्टाफ सदस्य थे, जो उच्च सदन के महासचिव बने।
- महासचिव को 'बाहर' या नौकरशाही से जो प्रायः सेवानिवृत्त, से नियुक्त करने की एक नजीर का - अध्यक्ष द्वारा अनुसरण समाप्त करना अत्यंत कठिन था।
- यह संसद सचिवालय के लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक उचित प्रकार का योग्य संकेत था एवं उनकी लंबे समय से मांग की वैधता को बहाल करने हेतु अभीष्ट दिशा सुधार था।

राज्य सभा के महासचिवों का इतिहास

- 1952 में संसद के प्रथम गठन के पश्चात से, 11 महासचिवों ने रामाचार्युलु से पूर्व राज्यसभा को अपनी सेवाएं प्रदान की थी।
 - कुछ पार्श्व प्रवेश कर्मचारियों को छोड़कर, जो महासचिव बन सकते थे, अन्य सभी सिविल सेवाओं या अन्य सेवाओं से थे।

- प्रथम संसद में, राज्यसभा ने प्रथम महासचिव के रूप में एस.एन. मुखर्जी, एक सिविल सेवक का चयन किया।
 - यह 1929 से भारत के केंद्रीय विधान सभा से संलग्न विधान सभा विभाग (स चवालय) की विरासत होने के बावजूद था।
 - हालांकि, एस.एन. मुखर्जी की महासचिव के रूप में नियुक्ति को उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्होंने संविधान सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव तथा संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में कार्य किया था।
- इसी तरह, सुदर्शन अग्रवाल उप सचिव के रूप में राज्यसभा में सम्मिलित हुए एवं 1981 में चौथे महासचिव बने।
- 1993 से, रामाचार्युलु के 12वें महासचिव के रूप में नियुक्त होने तक, राज्य सभा के सभी महासचिव सिविल सेवा से थे।
- उच्च सदन में 13 वें महासचिव के रूप में सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी, पी. सी. मोदी की नियुक्ति पहली बार हुई थी।

महासचिव के पद के बारे में प्रमुख बिंदु

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक सचिवालयों के कार्यक्षेत्र का प्रावधान करता है।
 - इसलिए, इस अनुच्छेद में निर्धारित सिद्धांत यह है कि स चवालयों को कार्यपालिका सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए।
- **आधिकारिक रैंक:** कैबिनेट सचिव के समकक्ष रैंक वाला महासचिव, सभापति एवं उपसभापति के बाद राज्यसभा का तीसरा सर्वाधिक प्रमुख पदाधिकारी होता है।
- **अनुलाभ एवं विशेषाधिकार:** महासचिव को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं जैसे गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति तथा उनके अधिकारों का कोई भी अवरोध एवं उल्लंघन सदन की अवमानना के समान होगा।
- **प्रमुख उत्तरदायित्व:** दोनों सदनों के महासचिवों को अनेक संसदीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व अधिदेशित हैं।
 - महासचिव के पद द्वारा मांग की जाने वाली पूर्वापेक्षाओं में से एक संसदीय प्रक्रियाओं, प्रथाओं तथा पूर्व-उदाहरणों का अचूक ज्ञान एवं व्यापक अनुभव है।

सिविल सेवकों को संसद के महासचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के मुद्दे

- **विगत धारणाएं:** सेवारत सिविल सेवकों या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे लंबे समय से धारण की गई धारणाएं एवं उनके पिछले सेवाओं के प्रभाव के साथ आते हैं।
 - जब सचिव सेवकों को महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो इससे न केवल सचिवालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य का अपमान होता है बल्कि हितों का टकराव भी होता है।

- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:** महासचिव के रूप में सिविल सेवकों की नियुक्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
 - सत्ता के एक क्षेत्र का प्रयोग करने हेतु अधिदेशित अधिकारियों को सत्ता के अन्य क्षेत्र का प्रयोग करने की अपेक्षा नहीं हो सकती है।
- **संसदीय लोकतंत्र की पारस्परिक पर्यवेक्षी प्रकृति से समझौता:** संसदीय राजनीति में, संसद की एक भूमिका कार्यपालिका के प्रशासनिक व्यवहार पर नजर रखना है।
 - दूसरे शब्दों में, संसद के पास प्रशासन की निगरानी के सभी कारण हैं।
 - सार्थक जांच प्रदान करने एवं कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए एक प्रभावी निकाय होने के लिए संसद के पास तकनीकी एवं मानव संसाधन योग्यता होनी चाहिए जो कार्यपालिका के समान स्तर की हो।
 - एक समर्थ संसद का अर्थ है अधिक जवाबदेह कार्यपालिका।
 - यद्यपि, नौकरशाही निरंतर संसद को एक सक्षम तथा समर्थ विधायी संस्था नहीं बनने देती है।

आगे की राह- एक भारतीय विधायी सेवा का गठन

- **एक भारतीय विधायी सेवा की आवश्यकता:**
 - कानून निर्मित करने वाले विशालकाय निकाय: भारत में हजारों विधायी निकाय हैं, जिनमें पंचायत, प्रखंड, पंचायत, जिला परिषद, नगर निगमों से लेकर राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय संसद शामिल हैं।
 - कानून निर्मित करने वाले इन विशाल निकायों के बावजूद, उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सामान्य सार्वजनिक भर्ती तथा प्रशिक्षण एजेंसी का अभाव है।
- **एक भारतीय विधायी सेवा का निर्माण:** एक सामान्य भारतीय विधायी सेवा एक संयुक्त तथा अनुभवी विधायी कर्मचारी संवर्ग का निर्माण कर सकती है, जिससे वे स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय संसद में सेवा प्रदान कर सकें।
 - वर्तमान में, संसद एवं राज्य विधायिका के सचिवालय नौकरशाहों के अपने समूह को पृथक-पृथक रूप से भर्ती करते हैं।
 - सक्षम तथा समर्थ विधायी संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु योग्य एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** राज्यसभा, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, राष्ट्रीय हित में, संघ एवं राज्यों दोनों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह संसद को कानून द्वारा ऐसी सेवा का निर्माण करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

- ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) में, हाउस ऑफ कॉमन्स के क्लर्क को सदैव संसद की सेवा हेतु निर्मित किए गए विधायी कर्मचारी समूह (स्टाफ पूल) से नियुक्त किया गया है।
- अब समय आ गया है कि भारत ऐसी लोकतांत्रिक संस्थागत प्रथाओं से सामंजस्य स्थापित करें एवं इन्हें अपनाएं।

महिला कार्यबल की क्षमता का दोहन

संदर्भ

- डिजिटल एवं स्मार्टफोन प्रौद्योगिकियों को व्यापक स्तर पर अपनाने तथा व्यक्तिगत देखभाल की बढ़ती आवश्यकता ने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर खोले हैं। यद्यपि, हमें इस बाजार के अवसर का लाभ उठाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

महिला कार्यबल की क्षमता का दोहन: आवश्यक कदम

- **महिला श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि:** भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी (फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन/एफएलएफपी) दर ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। इसे न केवल आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए बल्कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- **स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में निवेश:** बेहतर स्वास्थ्य एवं देखभाल सुविधाओं में निवेश में वृद्धि होने से भारत के लोगों के कल्याण में सुधार होता है एवं इसलिए उनकी आर्थिक उत्पादकता, विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता में सुधार होता है।
 - देखभाल सेवा क्षेत्र, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य व्यक्तिगत देखभाल सेवाएं सम्मिलित हैं, विनिर्माण, निर्माण अथवा अन्य सेवा क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों की तुलना में अधिक श्रम प्रधान है।
- **गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था:** गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था लोचशीलता तथा स्वतंत्र (फ्रीलांसिंग) नौकरियों की पेशकश करती है। आईएलओ ग्लोबल सर्वे (2021) ने यह भी नोट किया है कि घर से कार्य करना या नौकरी में लचीलापन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि, स्मार्टफोन का पास में होना - दूरस्थ कार्य के लिए एक शर्त - अभी भी अधिकांश महिलाओं के लिए एक मुद्दा है। गिग एवं प्लेटफॉर्म क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- **उच्च शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच:** महिलाओं एवं उनके परिवारों को उनके रोजगार परिणामों में सुधार के लिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ परिवहन एवं छात्रावास सुविधाओं जैसे

प्रोत्साहनों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- सरकारों, कौशल प्रशिक्षण भागीदारों, निजी कंपनियों, व्यावसायिक घरानों एवं उद्योग संघों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों को महिलाओं के लिए सक्षम उपाय निर्मित करने हेतु एक साथ आने की आवश्यकता है।

सीलड जस्टिस

समाचारों में सीलबंद न्याय

- सरकार अथवा उसकी एजेंसियों द्वारा जमा किए गए 'सीलबंद कवर' पर विचार करने से इनकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अशोभनीय प्रथा से एक उल्लेखनीय और स्वागत योग्य बदलाव किया है।
- हाल ही में, मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने आश्चर्य जताया कि एक 'कार्टवाई की गई' (एक्शन टेकन) रिपोर्ट भी एक सीलबंद लिफाफे में क्यों होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन

- एक समाचार चैनल- मीडिया वन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वह चैनल की अपील पर सुनवाई करते हुए 'सीलबंद कवर न्यायशास्त्र' के मुद्दे की जांच करेगा।
- अभी के लिए, शीर्ष न्यायालय ने प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) आदेश पर रोक लगा दी है एवं चैनल को प्रसारण पुनः प्रारंभ करें की अनुमति प्रदान की है।

सील बंद आवरणों के प्रयोग से संबंधित मुद्दे

- न्यायाधीशों के विवेकाधिकार का विस्तार करता है: न्यायालयों ने प्रायः यह रेखांकित करते हुए तथ्यों पर विचार करने को उचित ठहराया है कि पक्षकारों को खुलासा नहीं किया गया है कि यह उनकी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए है।
 - कुछ मामलों में, न्यायालयों ने परिणाम निर्धारित करने के लिए ऐसी गुप्त सामग्रियों/ तथ्यों की अनुमति दी है।
 - उदाहरण के लिए- केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को दी गई प्रसारण अनुमति को रद्द करने के आदेशों की वैधता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश की गई गोपनीय खुफिया जानकारी का अध्ययन किया।
 - यह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया गया था।

- विपक्ष के जानने के अधिकार को छीनता है: हाल के वर्षों में, प्रायः सीलबंद लिफाफे की सामग्री को सरकार के विरुद्ध पेश होने वाले वकीलों द्वारा देखे जाने से रोक दिया जाता था, किंतु इसे मात्र न्यायाधीशों द्वारा देखा जाता था।
 - इसका तात्पर्य है कि न्यायालय प्रभावित पक्षों को यह जानने का अवसर प्रदान किए बिना कि उनके विरुद्ध क्या हो रहा है, सरकार के पक्ष में निर्णय कर सकती हैं।
- कानून के व्यापक एवं अस्पष्ट प्रावधानों का दुरुपयोग: सरकार आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा या जारी अन्वेषण की शुद्धता का हवाला देते हुए गुप्त सामग्री को सीधे न्यायालय में समर्पित करने को उचित ठहराती है।

सीलबंद लिफाफों के प्रयोग के अवांछनीय परिणाम

- यह कुछ अपराधों, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक कथित संकट अथवा मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपियों के बचाव के अधिकार से समझौता करता है।
- अघोषित सामग्री का उपयोग प्रायः जमानत देने से इनकार करने के लिए किया जाता है, शीर्ष न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के विरुद्ध एक वाद में ऐसा करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की आलोचना की।
 - इसने पाया कि सीलबंद लिफाफे में रखी गई सामग्री के आधार पर निष्कर्ष को अभिलेखित करना उचित नहीं था।
- 'सीलड कवर' प्रथा का मुख्य दोष उस दायरे में निहित है जो राज्य को स्वतंत्रता पर इसके प्रतिबंधों की आवश्यकता एवं आनुपातिकता की गहन जांच से बचने के लिए प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- न्यायनिर्णयन में सहायता के रूप में 'सीलबंद लिफाफे' में प्रस्तुत सामग्री का उपयोग एक ऐसी बात है जिसे दृढ़ता से हतोत्साहित एवं निंदा की जाना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय को उन परिस्थितियों का निर्धारण एवं परिसीमन करना चाहिए जिनमें गोपनीय सरकारी रिपोर्टें, विशेष रूप से दूसरे पक्ष द्वारा रोकी गई, न्यायालयों द्वारा न्यायनिर्णयन में उपयोग की जा सकती हैं।

अ-निर्देशित प्रक्षेपास्त्र

समाचारों में भारत-पाकिस्तान के मध्य मिसाइल संकट

- हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में मिसाइल की सांयोगिक फायरिंग दोनों देशों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती थी।
- इससे दो परमाणु-सशस्त्र देशों के मध्य तनाव में अनपेक्षित वृद्धि हो सकती थी, किंतु सौभाग्य से, ऐसा नहीं हुआ।

पाकिस्तान पहुंची अनगाइडेड मिसाइल

- **भारत का रुख:** भारत सरकार ने कहा है कि 9 मार्च को यह घटना नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के कारण घटित हुई थी।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने एक उच्च स्तरीय अधिकारिक जांच (कोर्ट ऑफ इंक्वायरी) का आदेश दिया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के राजनयिक मिशन के प्रमुख (चार्ज डी'एफेयर) को पाकिस्तान ने अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए दो बार बुलाया।
- **पाकिस्तान का रुख:** पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि यह घटना "रणनीतिक हथियारों के भारतीय संचालन में गंभीर प्रकृति की कई खामियों तथा तकनीकी खामियों को इंगित करती है"।
- **पाकिस्तान की मांग:** पाकिस्तान ने भारत के आदेश पर जांच को अपर्याप्त बताया। इसने संयुक्त जांच की मांग की है।
 - इसने "क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता" को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी की भी मांग की है।

मिसाइल घटना के संभावित निहितार्थ

- **भारत की तकनीकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह:** भारत की एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने की वैश्विक छवि दशकों के संयमित शब्दों एवं विचारशील कार्रवाई से निर्मित हुई है।
 - यह घटना भारत की उस प्रतिष्ठा को उधेड़ती है एवं भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को बहाल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **विगत घटनाएं:** इस दुर्घटना में फरवरी 2019 की एक अन्य घटना की भी प्रतिध्वनि है।
 - बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद, जब भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा के समीप हवाई युद्ध में लगे हुए थे, श्रीनगर से उड़ान भरने के कुछ ही समय पश्चात बडगाम में एक एमआई-17वी5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसके जवान तथा जमीन पर मौजूद एक नागरिक की मृत्यु हो गई थी।
 - कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पुष्टि की कि इसे भारतीय वायुसेना के सतह से हवा में मार करने वाली इजरायली मूल के स्पाइडर मिसाइल प्रणाली द्वारा शूट किया गया था।



निष्कर्ष

- भारत को परमाणु तथा अन्य सैन्य परिसंपत्तियों को संभालने की अपनी क्षमता के बारे में किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। उस उद्देश्य को पाकिस्तान के साथ संयुक्त जांच या किसी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के बिना प्राप्त किया जा सकता है,]किंतु फिर भी इस उद्देश्य को अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

जल प्रबंधन को एक जल-सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है

भारत में जल संकट: संदर्भ

- वैश्विक जल प्रणाली परियोजना स्वच्छ जल के मानव-प्रेरित परिवर्तन एवं पृथ्वी तंत्र एवं समाज पर इसके प्रभाव के बारे में वैश्विक चिंता का प्रतीक है।

भारत में स्वच्छ जल के संसाधनों का ह्रास

- विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण स्वच्छ जल के संसाधन दबाव में हैं।
- यदि वर्तमान प्रक्रिया जारी रहती है, तो स्वच्छ जल की मांग तथा आपूर्ति के मध्य का अंतर 2030 तक 40% तक पहुंच सकता है।
- 2008 में 2030 जल संसाधन समूह ने भी इस समस्या को पहचाना एवं एसडीजी 6 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता की।
- नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2021, जिसका शीर्षक 'पानी का मूल्यांकन' (वैल्यूइंग वाटर) है, ने निम्नलिखित पांच अंतर्संबंधित दृष्टिकोणों पर विचार करके जल के उचित मूल्यांकन पर जोर दिया है।
 - जल स्रोत;
 - जल से संबंधित बुनियादी ढांचा;
 - जल सेवाएं;
 - उत्पादन के लिए एक आदान के रूप में जल;
 - सामाजिक-आर्थिक विकास तथा जल के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य।
- इस संदर्भ में, एक जल-सामाजिक चक्र दृष्टिकोण एक उपयुक्त ढांचा प्रदान करता है।

जल-सामाजिक चक्र क्या है?

- जल-सामाजिक चक्र मानव एवं प्रकृति की अंतःक्रियात्मक संरचना में प्राकृतिक जल विज्ञान चक्र का स्थान लेता है एवं जल तथा समाज को एक ऐतिहासिक एवं संबंधपरक-द्विआत्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मानता है।

स्वच्छ जल से संबंधित मुद्दे

- अंतर-बेसिन स्थानांतरण परियोजनाएं
 - मानव हस्तक्षेप ने सिंचाई, नदी प्रणाली अभियांत्रिकी एवं भूमि उपयोग परिवर्तन, जलीय पर्यावास में परिवर्तन के माध्यम से स्वच्छ जल प्रणाली को प्रभावित किया है।
 - किसी प्रदूषित क्षेत्र के भीतर जल संसाधनों के प्राकृतिक रूप से प्रचलित असमान वितरण के कारण जल की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करने के लिए पानी का अन्तः- एवं अंतर-नदी द्रोणी हस्तांतरण (इंट्रा एंड इंटर बेसिन ट्रांसफर/आईबीटी) एक प्रमुख जल विज्ञान संबंधी (हाइड्रोलॉजिकल) अंतःक्षेप है।
 - संपूर्ण विश्व में अनेक आईबीटी पहलें हैं।
 - भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ने की परियोजना निर्माणाधीन परियोजनाओं में से एक है।
 - ये परियोजनाएं, यदि क्रियान्वित की जाती हैं, तो कृत्रिम जल प्रवाह मार्ग निर्मित करेंगी जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा की लंबाई से दोगुने से अधिक हैं।
- बजट 2022 में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख है।
 - यह निर्णय जल विज्ञान संबंधी (हाइड्रोलॉजिकल) मान्यताओं तथा देश में स्वच्छ जल के संसाधनों के उपयोग एवं प्रबंधन के बारे में बड़े प्रश्न उठाता है।
- भारत में कृषि क्षेत्र कुल जल उपयोग का लगभग 90% उपयोग करता है एवं औद्योगिक संयंत्रों में, अन्य देशों में समरूप संयंत्रों के उत्पादन की प्रति इकाई खपत से 2 गुना से 3.5 गुना अधिक है।
- स्वच्छ जल के जलाशयों में अनुपचारित दूषित जल एवं औद्योगिक अपशिष्टों का विसर्जन चिंता का कारण है।
 - यह अनुमान लगाया गया है कि घरेलू जल का 55% से 75% उपयोग दूषित जल में परिवर्तित हो जाता है।
- सभी क्षेत्रों में जल के अकुशल उपयोग के अतिरिक्त, प्राकृतिक भंडारण क्षमता में कमी तथा जलग्रहण क्षमता में गिरावट भी आई है।

भारत में जल संकट: आगे की राह

- कम पूर्वानुमेय चरों को सम्मिलित करना, 'या तो यह या तो वह' (आइदर और) के बारे में सोचने के द्विआधारी तरीकों को संशोधित करना एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में गैर-राज्य कारकों को सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है।
- एक मिश्रित जल प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है जिसमें मूल्य श्रृंखला में निश्चित भूमिका वाले व्यक्ति, समुदाय तथा समाज सम्मिलित हों।
- चुनौती तकनीक केंद्रित नहीं बल्कि मानव जनित होने की है।

एक उप क्षेत्रीय समूह जिसे मार्ग पर वापस आना चाहिए

BIMSTEC समिट 2022: संदर्भ

- बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन/बिम्स्टेक) श्रीलंका में आयोजित होने जा रही है, जो बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है।

बिम्स्टेक क्या है?

- बिम्स्टेक एक सात सदस्यीय संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार (थाईलैंड भी एक सदस्य है) तथा नेपाल एवं भूटान के स्थल रुद्ध देश सम्मिलित हैं।
- इसमें विशेष फोकस के लिए 14 स्तंभ हैं: व्यापार तथा निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निर्धनता उन्मूलन, आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय अपराध का प्रतिरोध, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, व्यक्तियों का व्यक्तियों से संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग तथा जलवायु परिवर्तन।

बंगाल की खाड़ी सामुद्रिक संवाद

- हाल ही में, सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग तथा पाथफाइंडर फाउंडेशन द्वारा बंगाल की खाड़ी समुद्री संवाद (बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग/बीओबीएमडी) का आयोजन किया गया था।
- इसकी श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया से सदस्यता थी।
- संवाद में पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रयासों को गति प्रदान करने का आह्वान किया गया; वैज्ञानिक अनुसंधान; अवैध, गैर-सूचित, और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन पर अंकुश लगाने के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास जो एक देश के मत्स्यन के जहाजों के बीच दूसरे देश की समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य अंतः क्रिया को नियंत्रित कर सकता है।

बंगाल की खाड़ी के सामुद्रिक संसाधन

- बीओबीएमडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बंगाल की खाड़ी मनमोहक किंतु नाजुक ज्वारनदमुखों, मैंग्रोव जंगलों, प्रवाल भित्तियों, समुद्री घास के मैदानों तथा व्यापक पैमाने पर समुद्री कछुओं के नीडन स्थलों के एक बड़े नेटवर्क का आवास है।
- यद्यपि, यह चिंता का विषय है कि मैंग्रोव क्षेत्रों की वार्षिक हानि 0.4% से 1.7% तथा प्रवाल भित्तियों की 0.7% अनुमानित है।
- इसके अतिरिक्त, यह पूर्वानुमान भी लगाया गया है कि आगामी 50 वर्षों में समुद्र का स्तर 0.5 मीटर बढ़ जाएगा। जिसका प्रभाव

इस बात से देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्ष में 13 चक्रवाती तूफान आए हैं।

- लगभग 185 मिलियन लोगों की तटीय आबादी के लिए खाड़ी प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/FAO) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी एशिया-प्रशांत में IUU मछली पकड़ने के आकर्षण के केंद्रों में से एक है।

बंगाल की खाड़ी में मुद्दे

- शून्य ऑक्सीजन के साथ एक मृत क्षेत्र का उद्भव जहां कोई मछली जीवित नहीं रहती है;
- नदियों के साथ-साथ हिंद महासागर से प्लास्टिक का निक्षालन (लीचिंग);
- मेंग्रीव जैसी बाढ़ से प्राकृतिक सुरक्षा का विनाश;
- समुद्री अपरदन;
- तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बढ़ता दबाव एवं औद्योगिक विकास तथा परिणामस्वरूप, विपुल मात्रा में अनुपचारित अपशिष्ट का प्रवाह।
- सामुद्रिक सीमाओं को पार करने वाले मछुआरों की गिरफ्तारी के कारण आतंकवाद, समुद्री दस्युता (डकैती) तथा देशों के मध्य तनाव जैसे सुरक्षा खतरे अतिरिक्त समस्याएं हैं।

किन बिंदुओं पर ध्यान देना है?

- बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को सीमा पारीय प्रकृति के सामुद्रिक मुद्दों पर समन्वित गतिविधियों के लिए एक नया क्षेत्रीय तंत्र निर्मित करना चाहिए।
- इस तंत्र को मत्स्य पालन प्रबंधन को सुदृढ़ करने, मछली पकड़ने के सतत तरीकों को बढ़ावा देने, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना तथा प्रदूषण, विशेष रूप से औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट के साथ-साथ तेल रिसाव को रोकने एवं प्रबंधित करने हेतु ढांचा विकसित करने के लिए तत्काल उपाय प्रारंभ करना चाहिए।
- सामान्य रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं विशेष रूप से मत्स्य पालन पर अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान की भी आवश्यकता है। वर्तमान में समुद्री अनुसंधान में इस क्षेत्र के देशों के मध्य सहयोग सीमित है।
- आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं मछली पकड़ने के बेहतर तरीके खाड़ी के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने में एक लंबा मार्ग तय कर सकते हैं।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- समुद्री पर्यावरण संरक्षण: इसे प्रवर्तन को सुदृढ़ करके एवं सर्वोत्तम पद्धतियों पर जानकारी साझा करके बंगाल की खाड़ी में सहयोग के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनना चाहिए।

- **क्षेत्रीय नवाचार:** प्रदूषण नियंत्रण पर दिशा निर्देश एवं मानक स्थापित करने के साथ-साथ इन्हें विकसित करने की आवश्यकता है।
- **स्थानीय रूप से विकसित समाधान:** स्थानीय संस्थानों की क्षमताओं के आधार पर घरेलू समाधानों की आवश्यकता है। साथ ही, डेटा संग्रह के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।
- निकट-वास्तविक समय के स्टॉक मूल्यांकन तथा एक क्षेत्रीय मुक्त मात्स्यिकी डेटा गठबंधन के निर्माण के लिए सहभागी दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए।
- BIMSTEC शिखर सम्मेलन को BOBP एवं BOBLME दोनों के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त करना चाहिए। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम (द बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम/बीओबीपी), चेन्नई स्थित एक अंतर-सरकारी संगठन, धारणीय मत्स्यन को प्रोत्साहित करने हेतु अच्छा कार्य कर रहा है।
- खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी (जीईएफ) एवं अन्य से वित्त पोषण के साथ बंगाल की खाड़ी वृहद समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम/बीओबीएलएमई) परियोजना प्रारंभ की जा रही है।
- **अ-सतत मत्स्यन को कम करना:** शिखर सम्मेलन को अ-सतत एवं साथ ही आईयूयू मत्स्यन को कम करने के उपायों के साथ आना चाहिए। इसके चरणों में सम्मिलित हो सकते हैं:
- एक अंतरराष्ट्रीय पोत ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करना एवं जलयानों के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली (ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम/एआईएस) ट्रैकर्स से लैस होना अनिवार्य बनाना;
- अवैध जहाजों की पहचान करने में सहायता करने हेतु क्षेत्रीय मत्स्यन पोत रजिस्ट्री प्रणाली की स्थापना तथा पोत लाइसेंस सूची प्रकाशित करना;
- आईयूयू फिशिंग हॉटस्पॉट में अनुश्रवण, नियंत्रण तथा निगरानी में वृद्धि करना;
- आईयूयू अभ्यासों को किस प्रकार रोका जाए एवं प्रतिबंधित किया जाए, इस पर क्षेत्रीय दिशा निर्देश स्थापित करना;
- संयुक्त क्षेत्रीय गश्तीकथा क्षेत्रीय मत्स्य पालन स्थगन एवं मछुआरों पर लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार।
- तटवर्ती राज्यों में कानूनों एवं नीतियों में सामंजस्य होना चाहिए तथा सामुद्रिक विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किसी भी मुठभेड़ के दौरान मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- शिखर सम्मेलन को अवैध एवं अ-सतत मत्स्यन से निपटने के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करनी चाहिए

अभ्यास प्रश्नावली

प्रश्न सेट 01

- ध्रुवीय विज्ञान और हिममण्डल अनुसंधान (PACER) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - इसमें अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम और हिममण्डल और जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं।
 - इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
 उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2	(d) न तो 1 और न ही 2
 - निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के समर्पित सैन्य संचार उपग्रह हैं?

1. रुक्मणी	2. GSAT-7B
3. CARTOSAT	4. RISAT

 सही कूट चुनें:

(a) 1 और 2	(b) 3 और 4
(c) 1, 2 और 3	(d) 1, 2, 3 और 4
 - निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
 - अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं।
 - इस सूची में गुजरात शीर्ष पर था।
 उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2	(b) 2 और 3
(c) 1 और 3	(d) 1, 2 और 3
 - "H2Ooooh! - भारत के बच्चों के लिए जलवार कार्यक्रम" पहल किसके द्वारा शुरू की गई है?

(a) यूएनईपी	(b) यूनेस्को
(c) यूएनडीपी	(d) नीति आयोग
 - रेजांग ला दर्रा कहाँ स्थित है?

(a) लद्दाख	(b) सिक्किम
(c) अरुणाचल प्रदेश	(d) जम्मू कश्मीर
 - NIPUN BHARAT (निपुण भारत) मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
 - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
 - निपुण भारत मिशन समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करेगा।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- | | |
|------------|---------------|
| (a) 1 और 2 | (b) 2 और 3 |
| (c) 1 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |
- "Dare2eraD TB" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - यह परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का एक TB उन्मूलन कार्यक्रम है।
 - यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई TB को मिटाने के लिए डेटा-संचालित अनुसंधान है।
 - यह WHO का एक TB उन्मूलन कार्यक्रम है।
 - यह उच्च TB घटना वाले देशों का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य TB को खत्म करना है।
- निर्यात उत्पादों (RoDTEP) योजना पर शुल्क और करों की छूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - इस योजना की घोषणा मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) के प्रतिस्थापन के रूप में की गई थी।
 - वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा की।
 - यह योजना निर्यातकों को एम्बेडेड केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी, जिन्हें अब तक छूट या वापस नहीं किया जा रहा था।
 - उपर्युक्त सभी सही हैं।
- मिशन 25 टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 - इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में CO₂ की रिहाई को कम करना है ताकि शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम किया जा सके।
 - इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
 उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1	(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2	(d) न तो 1 और न ही 2
- क्षय रोग (TB) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) यह एक वायरस के कारण होता है और सबसे अधिक बार फेफड़ों को प्रभावित करता है।
 (b) टूनेट पोलीमरेज़ चैन रिएक्शन (PCR) परीक्षण पर आधारित TB के लिए एक स्वदेशी आणविक निदान उपकरण है।

- (c) दुनिया में TB के मरीजों का सबसे ज्यादा बोझ भारत में है।
 (d) सभी सही हैं।

Solutions

- | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1. (a): | 2. (a) | 3. (b) | 4. (b) | 5. (a) |
| 6. (d) | 7. (b) | 8. (b) | 9. (d) | 10. (a) |

प्रश्न सेट 02

- हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2022 किसके द्वारा जारी की गई?
 (a) संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (UN - SDSN)
 (b) विश्व आर्थिक मंच (WEF)
 (c) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
 (d) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)
- आर्कटिक परिषद् के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 (a) यह 1996 में ओटावा घोषणा द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी निकाय है।
 (b) यह उन देशों से संबंधित जलवायु परिवर्तन के अलावा सुरक्षा मुद्दों से संबंधित है जिनके पास आर्टिक सर्कल में क्षेत्र हैं जो इस मंच का भी हिस्सा हैं।
 (c) आर्कटिक परिषद् में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
 (d) वर्तमान में, रूस के पास आर्कटिक परिषद् की अध्यक्षता है।
- कामिकज़े के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
 1. यह एक लोइटरिंग युद्ध सामग्री है।
 2. यह कूज मिसाइलों और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों (UCAV) दोनों की विशेषताओं को साझा करता है।
 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
 1. इस योजना के तहत, किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
 2. योजना के तहत नामांकन सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है।

- इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है।
 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
- मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
 1. अंग्रेजी में या केवल अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सम्मानित किया जाता है।
 2. यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता है।
 3. यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है।
 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
- हाल ही में समाचारों में देखे गए शब्द "सिलीप्सिमोपोडी विडेनी" का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है?
 (a) डायनासोर का जीवाश्म
 (b) पश्चिमी घाट की नीलगिरि पहाड़ियों में मिली एक छिपकली
 (c) हिमालय में फूलों की एक प्रजाति
 (d) दस भुजाओं वाला मूल ऑक्टोपस
- निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
 1. भारत में चांदी की हॉलमार्किंग के लिए नोडल एजेंसी ISI है।
 2. भारत में हॉलमार्किंग केवल दो धातुओं-सोने और चांदी के गहनों के लिए उपलब्ध है।
 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
- निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट को रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सुझाव देता है और उनकी पहचान करता है?

- (a) नीति आयोग
(b) सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE)
(c) वित्त मंत्रालय
(d) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. भारत में, लगभग 10 प्रतिशत घरेलू सतह परिवहन अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से होता है।
2. भारत में कुल 10 चालू अंतर्देशीय जलमार्ग हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
10. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. ICJ में 15 न्यायाधीशों का पैनल होता है।
2. प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष है।
3. सभी 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य स्वचालित रूप से अदालत के कानून के पक्षकार हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Solutions

1. (a) 2. (b) 3. (c) 4. (d) 5. (c)
6. (d) 7. (b) 8. (a) 9. (d) 10. (c)

प्रश्न सेट 03

1. निम्नलिखित घटना को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें-
1. पूर्ण स्वराज का लाहौर संकल्प
2. दांडी मार्च
3. अगस्त प्रस्ताव
4. प्रथम गोलमेज सम्मेलन
सही क्रम चुनें:
(a) 1-2-4-3 (b) 2-3-1-4
(c) 1-3-4-2 (d) 1-2-3-4
2. संयुक्त ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह स्कूलों और कॉलेजों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की एक प्रणाली है।
2. इसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न ही 2
3. चिलिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(a) चिलिका एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
(b) पक्षी आबादी के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाले मंगलाजोड़ी चिलिका का एक हिस्सा है।
(c) चिलिका झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था।
(d) यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
4. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह गृह मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है।
2. यह प्रतिबद्ध सतनाम की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था।
3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पास इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) को लागू करने की जिम्मेदारी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
5. तेय्यम नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
(a) तमिलनाडु (b) आंध्र प्रदेश
(c) ओडिशा (d) केरल
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) जिसे आमतौर पर ई-सिगरेट के रूप में जाना जाता है, में तंबाकू नहीं होता है।

2. वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
7. हाल ही में शुरू की गई 'बहिनी योजना' किससे संबंधित है?
(a) हस्तशिल्प से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(b) कॉलेज छोड़ने वालों को उद्यमिता कौशल प्रदान करना।
(c) स्कूलों में शिक्षकों को नवीन शिक्षण सहायता प्रदान करना।
(d) निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीनों की स्थापना।
8. मूल्यहास मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(a) यह तब होता है जब किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले उसकी सरकार द्वारा विनिमय दर में कटौती की जाती है।
(b) यह ऋण सेवा देयता में वृद्धि की ओर जाता है।

- (c) यह मार्क-टू-मार्केट, समस्याएं पैदा कर सकता है।
(d) सब सही हैं।
9. पोचमपैल्ली साड़ी, पोचमपैल्ली गांव की पारंपरिक विरासत है जिसे विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ विश्व पर्यटन गांव का टैग भी दिया गया है। यह कहाँ मौजूद है?
(a) तेलंगाना (b) तमिलनाडु
(c) केरल (d) कर्नाटक
10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 भारत में सभी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाता है।
2. मैनुअल स्कैवेंजिंग वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग वालों के लिए एक पुनर्वास तंत्र का प्रावधान करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

Solutions

1. (a) 2. (b) 3. (d) 4. (c) 5. (d)
6. (a) 7. (d) 8. (a) 9. (a) 10. (b)

प्रश्न सेट 04

1. डिजीसाथी हेल्पलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. 'डिजीसाथी' वेबसाइट और चैटबॉट के माध्यम से कॉल करने वालों/उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान पर उनके सभी प्रश्नों में सहायता करेगा।
2. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
2. VVPAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. इसमें उस उम्मीदवार के साथ मतदाता का नाम होता है जिसके लिए वोट डाला गया है और पार्टी/व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है।
2. VVPAT पर्ची को सीलबंद बॉक्स में डालने से पहले केवल 10 सेकंड के लिए प्रदर्शित किया जाता है।
3. आम चुनावों के मामले में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच EVM की VVPAT पर्चियों की भौतिक गणना की जाएगी।

4. राज्य के विधानसभा चुनावों में, VVPAT सत्यापन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच यादृच्छिक EVM तक विस्तारित होगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 3 और 4 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
3. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - पाम ऑयल (NMEO-OP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. यह खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता को कम करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. NMEO-OP के तहत सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर भूमि को पाम ऑयल के तहत लाने का है।
3. इसका पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
4. स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना (SSSY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को मासिक पेंशन दी जाएगी।
2. गृह मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
5. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(a) भारत में मातृत्व लाभ 10 या अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
(b) इसने दत्तक और कमीशनिंग (जैविक) माताओं के लिए मातृत्व लाभ की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया।
(c) सभी गर्भवती महिलाएं 26 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश की हकदार हैं।
(d) अधिनियम 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
6. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कार्यक्रम सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का एक पूल विकसित करना चाहता है जो स्थानीय हैं और ग्रामीण उद्यमों को स्थापित करने वाले उद्यमियों का समर्थन करते हैं।
2. यह योजना SIDBI द्वारा शुरू की गई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
7. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. मिशन 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी गणना शक्ति के साथ सुविधाओं के निर्माण और तैनाती की योजना बना रहा है।
2. इसके तहत CDAC ने एक कंप्यूट सर्वर "रुद्र" और हाई-स्पीड इंटरकनेक्ट "त्रिनेत्र" विकसित किया है, जो सुपर कंप्यूटर के लिए आवश्यक प्रमुख उपसंयोजन है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
8. PARAM (परम) गंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह भारत के नदी घाटियों के लिए पूरी तरह से स्वदेशी बाढ़ पूर्व चेतावनी और भविष्यवाणी प्रणाली है।
2. इसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग प्रणाली के तहत IIT रुड़की द्वारा डिजाइन किया गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
9. पेंशन दान पहल किसके द्वारा हाल ही में शुरू की गई?
(a) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(b) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(c) गृह मंत्रालय
(d) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10. सौर प्लाज्मा जेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. ये सूर्य के वर्णमण्डल से लगातार निकलने वाली प्लाज्मा धाराएं हैं।
2. ये जेट सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के बिना ऊपर उठते और गिरते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

Solutions

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. (a) | 2. (a) | 3. (d) | 4. (c) | 5. (c) |
| 6. (a) | 7. (c) | 8. (d) | 9. (b) | 10. (a) |

प्रश्न सेट 05

1. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. यह UN की एक विशेष एजेंसी है।
2. वैश्विक नेटवर्क लचीलापन मंच (REG4COVID) एक कोविड महामारी में दूरसंचार नेटवर्क द्वारा अनुभव किए गए तनाव को दूर करने के लिए ITU द्वारा लॉन्च किया गया है।
3. यह उपग्रहों के लिए उपयुक्त कक्षीय स्लॉट प्रदान करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
2. निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें-


1. 'समायोज्य' रुख- मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करें क्योंकि मुद्रास्फीति तत्काल चिंता का विषय नहीं है।
2. 'तटस्थ रुख' - ब्याज दर किसी भी तरफ जा सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति और विकास समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
3. श्येनवत् रुख-वृद्धि ब्याज दरों को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में मुद्रास्फीति को कम रखना है।
ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत है?
(a) सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस सभा के लिए चुने जाते हैं।
(b) भारत वर्तमान में UNHRC का सदस्य है।
(c) परिषद् के सदस्य दो साल की अवधि के लिए कार्य करते हैं।
(d) परिषद् के सदस्य लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुनः चुनाव के लिए योग्य नहीं हैं।
4. तीव्र विकिरण सिंड्रोम (ARS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. ARS तब होता है जब कोई व्यक्ति विकिरण की उच्च खुराक के संपर्क में आता है।
2. यह कैसर थैरेपी के कारण हो सकता है।
3. यह DNA को नुकसान पहुंचा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
2. अनुच्छेद 351 राज्य द्वारा देश में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का प्रावधान करता है।
3. उड़िया एक शास्त्रीय भाषा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
6. निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में गिरती है?
1. डेन्यूब
2. डॉन
3. नीपर
सही कूट चुनें:
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
7. निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें-
1. अज़ोव का सागर 2. काला सागर
3. मारमार सागर 4. ईगन सागर
सही कूट चुनें:
(a) 1-2-3-4 (b) 3-2-1-4
(c) 1-2-4-3 (d) 3-2-4-1
8. एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. भारत और जापान AIIB के संस्थापक सदस्य हैं।
2. AIIB की सदस्यता वर्तमान में केवल एशियाई देशों के लिए खुली है।
3. जापान के पास AIIB के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है जिसके बाद चीन का नंबर आता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
9. कवच प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
2. यह 4G दीर्घकालिक विकास (LTE) तकनीक के अनुकूल है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2
10. हाल ही में खबरों में देखा गया जैपसोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है?
(a) ईरान (b) उत्तर कोरिया
(c) संयुक्त अरब अमीरात (d) यूक्रेन

Solutions

- | | | | |
|--------|--------|--------|----------|
| 1. (d) | 2. (d) | 3. (c) | 4. (c) |
| 6. (c) | 7. (a) | 8. (d) | 9. (c) |
| | | | 10. (d). |

यूपीएससी और पीएससी

परीक्षाओं की तैयारी करें



यूपीएससी Adda247 ऐप की विशेषताएं

- दैनिक शीर्ष समाचार और हेडलाइंस
- दैनिक करेंट अफेयर्स लेख
- दैनिक संपादकीय विश्लेषण
- सामान्य अध्ययन नोट्स
- दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी विस्तृत समाधान के साथ
- विषयवार जीएस और सीसैट क्विज़
- मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका
- योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं का सार
- संसद टीवी चर्चाओं का विश्लेषण



Download
Our App Now!

